

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुख/ 51

दिनांक 08/01/24

विशेषाधिकारी,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP) - 1 to 4. (Proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन विभाग एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली का पत्रांक File No. 8-10/2022-FC दिनांक 12.05.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर का पत्रांक 6927 दिनांक 19.12.2023 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

S.No.	Conditions	Compliance
i	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	Legal Status of the diverted forest land will remain unchanged.
ii	The user agency shall utilize 27.47ha forest land for operating stand and pipeline corridors and remaining area of forest land i.e. 72.58ha. will be maintained as green cover. The user agency shall develop 72.58ha. as green belt at the project cost under the supervision of state forest department. The state forest department shall be given free access to the area proposed for diversion for its management.	Undertaking has been submitted as Annexure-1 by user agency. (enclosed)
iii	The minimum number of trees shall be felled and the felling shall be done under the supervision of state forest department.	Undertaking has been submitted as Annexure-2 by user agency. (enclosed)
iv	User agency will not allow any direct discharge from the project site to the Dam water.	Undertaking has been submitted as Annexure-3 by user agency. (enclosed)
v	Since the Ghatol DFL site proposed for CA is situated on plateau, which is good grass land having heavy biotic pressure, this area should be properly fenced and plantation should be done after carrying out proper soil-moisture conservation (SMC) works.	As directed, DCF submitted revised estimate for CA land in Ghatol DFL site including properly fencing and taking SMC works. (Estimate enclosed)

....P.T.O.

vi	<u>Compensatory Afforestation</u>	
a	The Compensatory afforestation over the identified degraded forest land of 304ha. in two patches located under Banswara district of Rajasthan shall be raised by the state forest department at the project cost. At least 1000 saplings per ha shall be planted over identified DFL, the balance seedlings, if any will be planted in another degraded forest land as per prescription of the working plan at the cost of the user agency.	As directed, Compensatory Afforestation work will be carried out in 304 Ha. of DFL (Ghatol) to achieve at least 1000 saplings per ha as per prescription of the working plan. The amount of Rs. 5,56,60,000/- deposited by user agency towards Compensatory afforestation was derived considering this aspect.
b	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the forest department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	User agency has deposited fund of Rs. 5,56,60,000/-towards Compensatory Afforestation in the account of Rajasthan CAMPA vide UTR No. SBINR52023082267877523 against our demand order No. 140 FCA/DCF/2021/ 3774 Dated 05.06.2023. The amount of Rs. 5,56,60,000/- deposited by user agency towards Compensatory afforestation has been derived considering cost of survey, demarcation, erection of pillars, maintenance for 10 years, etc.
c	The KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details prior to stage II approval.	The KML files of diverted area and the CA areas have been uploaded on the e-green watch portal with all requisite details.
vi	The user agency shall transfer the fund towards the cost of Net present value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 19.01.2022.	Fund of Rs. 12,29,20,430/- towards NPV has been transferred to the account of Rajasthan CAMPA vide UTR No. SBINR52023082267877523
vii	The cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.	Fund of Rs. 1,10,88,356/- towards felling of 4467 trees has been transferred to DFO PD Account vide UTR No. SBINR52023082267878893
viii	The user agency shall implement the R&R plan as per R&R policy of state government in consonance with national R&R policy, Government of India before commencement of the project work and implementation. The said R&R plan will be monitored by the state government/Regional office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.	Undertaking has been submitted as Annexure-4 by user agency. (enclosed)

ix	All the funds received from the user agency under the project shall be (transferred/deposited) in the account of national authority only through e-portal. Amount deposit through other modes will not be accepted as compliance of the stage-I clearance	All the funds of NPV and Compensatory Afforestation amounting to Rs. 17,85,80,430/- have been transferred through e-portal. CA- 5,56,60,000.00 NPV- 12,29,20,430.00 Total- 17,85,80,430.00
x	The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by the state Govt.	FRA certificate with all annexures under FRA,2006 issued by District Collector is enclosed.
xi	The user agency shall obtain the environment clearance as per the provisions of the environmental (protection) Act,1986, if required.	Status / Undertaking has been submitted as Annexure-5 by user agency. (enclosed)
xii	The compliance report shall be uploaded on e-portal.	Compliance Report has been uploaded on e-portal.
xiii	At the time of payment of the Net Present value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble supreme court of India.	Undertaking has been submitted as Annexure-6 by user agency. (enclosed)
xiv	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the state forest department.	Undertaking has been submitted as Annexure-7 by user agency. (enclosed)
xv	Adequate greenery by planting trees will be maintained around the project area in view of the safety measures for running the atomic power project.	Undertaking has been submitted as Annexure-8 by user agency. (enclosed)
xvi	No labour camp shall be established on the forest land and the user agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the laborers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	Undertaking has been submitted as Annexure-9 by user agency. (enclosed)
xvii	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Undertaking has been submitted as Annexure-10 by user agency. (enclosed)
xviii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	Undertaking has been submitted as Annexure-11 by user agency.(enclosed)

xix	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of march every year regularly.	Undertaking has been submitted as Annexure-12 by user agency. (enclosed)
xx	Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of This Ministry May stipulate, with prior approval of competent authority, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	Undertaking has been submitted as Annexure-13 by user agency. (enclosed)
xxi	The User Agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to this project	Undertaking has been submitted as Annexure-14 by user agency. (enclosed)
xxii	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action Would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	Undertaking has been submitted as Annexure-15 by user agency. (enclosed)

संलग्न:- उक्तानुसार.

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा।
3. मुख्य अभियंता, NPCIL, माही बांसवाड़ा।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 (30-A)/ऐटोमिक पावर प्रोजेक्ट) एफसीए./मुवसं/2023-24/6927 दिनांक :-

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

19-12-2023

विषय:- Proposal for Diversion of 100.05 ha. Of forest land in favour of NPCIL for Mahi
Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)- to 4. in the State of
Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016)

संदर्भ :-आपका पत्रांक 7886 दिनांक 13.10.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट में आप द्वारा 6 बिन्दुओं पर आक्षेप लगाकर पालना रिपोर्ट चाही गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके पत्रांक प. 14() एफसीए /उवसं /2023 /7928 दिनांक 09.11.2023 एवं 8213 दिनांक 05.12.2023 से बिन्दुवार तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत की है। तदनुसार पालना प्रतिवेदन इस कार्यालय की सहमति के साथ मूल ही तीन प्रतियों में संलग्न कर निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

क्र.स.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	बिन्दु संख्या - 5 उप वन संरक्षक द्वारा मात्र वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है अपितु फेन्सिंग एवं जल मृदा संरक्षण कार्य हेतु प्रस्तावित कार्य का प्रावधान करते हुए वचनबद्धता संलग्न किया जाता है।	वनमण्डल, बांसवाडा द्वारा अवगत कराया गया है कि फेन्सिंग एवं जल मृदा संरक्षण कार्य हेतु प्रस्तावित कार्य का प्रावधान DFL के प्रावकलन में सम्मिलित कर लिया गया है। जिसकी वचनबद्धता संलग्न है।
2	बिन्दु संख्या -6(a) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 304 हैक्टर में किये जाने हेतु उल्लेखित किया गया है, जबकि संलग्न क्षतिपूर्ति योजना $200.10+86=286.10$ हैक्टर की प्रस्तुत की गई है। कुल 304 हैक्टर की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की जानी है।	वनमण्डल, बांसवाडा के पत्रांक 8395 दिनांक 14.12.2023 (प्रति संलग्न) से अवगत कराया गया है कि 286.10 हैक्टर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभ्रांषित वन भूमि के बदले 304 हैक्टर भूमि ली गई है। उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभ्रांषित वनभूमि में पहाड़ी, ढलान नाले होने के कारण 18 हैक्टर भूमि अधिक ली गई है। फेन्सिंग एवं जल मृदा संरक्षण कार्य हेतु प्रस्तावित करते हुए 304 हैक्टर की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की गई है। (प्रावकलन संलग्न है।)
3	बिन्दु संख्या -6(c) उप वन संरक्षक द्वारा प्रत्यावर्तन वनभूमि एवं क्षतिपूर्ति वनभूमि की KML file ई-ग्रीन वॉच पर अपलोड नहीं की गयी है।	वनमण्डल द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि एवं क्षतिपूर्ति वनभूमि की KML file ई-ग्रीन वॉच पर अपलोड कर दी गई है।

RajKaj Rel
5186610



Digitally signed by Raj Kumar Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.18 17:20:23 IST
Reason: Approved



4	बिन्दु संख्या -(viii) R&R Plan की वर्तमान स्थिति एवं अनुमोदित प्रति संलग्न किया जाकर प्रोजेक्ट से पूर्व भारत सरकार की गाईड लाईन अनुसार पूरा करने की वचनबद्धता संलग्न की जानी है।	वनमण्डल, बांसवाडा द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है कि अनुमोदित अवार्ड एवं आर.एण्ड आर. की पूर्ण राशि राज्य सरकार को जमा करा दी गई है तथा संबंधित हितबद्ध लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है। कुल 128 विस्थापित परिवारों द्वारा आर.एण्ड आर. कॉलोनी में मकान लेने के विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा एन.पी.सी.आई. प्रोजेक्ट द्वारा राजस्थान राज्य सरकार की निती जो राष्ट्रीय पुर्नवास निती पर आधारित है तदनुसार आर.एण्ड आर. कॉलोनी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आर.एण्ड आर. कॉलोनी में निर्मित मकानों का लाभार्थियों को आवंटन कराने एन.पी.सी. आई.एल. द्वारा राज्य सरकार को अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आवास आवंटन की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार द्वारा अवार्ड एवं आर.एण्ड आर. के अनुमोदन का पत्र परिशिष्ट -ए संलग्न कर दिया गया है। आर. एण्ड आर. कियान्वयन के लिए पुनरीक्षित वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
5	बिन्दु संख्या -(x) FRA Certificate मे संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण में लालपुरा वांक का प्रस्तावित वनक्षेत्र अंकित नहीं है एवं रेल व सजवानिया में प्रस्तावित वनभूमि से कम का प्रमाण पत्र है। प्रस्तावित वनभूमि के अनुसार संशोधित जिला स्तर, उपखण्ड स्तर एवं ग्राम स्तर बैठक कार्यवाही विवरण एवं प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	एफ.आर.के तहत ग्राम लालपुरा एवं वांक की बैठक कार्यवाही विवरण परिशिष्ट - बी संलग्न कर दिया गया है। पुनः जाँच के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित रकबा तथा प्रस्तावित डायवर्जन के रकबे में अंतर नहीं पाया गया है।
6	बिन्दु संख्या -(ix) Environment Clearance प्राप्त करने हेतु अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सहित वचनबद्धता किया जाना प्रस्तावित है।	पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित आदेश परिशिष्ट - सी के रूप में संलग्न है। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। (मूल ही तीन प्रतियों में)

भवदीय,

(आर.के.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

क्रमांक एफ 5 (30-A)/ऐटोमिक पावर प्रोजेक्ट) एफसीए./मुवसं/2023-24/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 7928 दिनांक 09.11.2023 एवं 8213 दिनांक 05.12.2023 तथा 8395 दिनांक 14.12.2023 के क्रम में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित कर लेख है कि कृपया अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व आवेदित क्षेत्र में कोई पर्यावरणीय कार्य नहीं करे। यह सुनिश्चित करे।

RajKaj Ref
5186610

Digitally signed by Rajkumar Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.18 7:20:23 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: cc.f.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 (30-A)/ऐटोमिक पावर प्रोजेक्ट) एफसीए./मुवसं/2023-24/5944 दिनांक :- 03-10-2023

निमित्त,
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Proposal for Diversion of 100.05 ha. Of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)- to 4. in the State of Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016)

संदर्भ :-आपका पत्रांक 5993 दिनांक 16.05.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, एफसीए, डिविजिन इण्डियन पर्यावरण भवन जोर बाग रोड़, अलीगंज न्यू दिल्ली का पत्रांक 8 - 10/2022-FC दिनांक 12.05.2023 से 100.05 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालना प्रतिवेदन एवं वांछित वचनबद्धता - पत्र एवं भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करा प्रयोक्ता विभाग द्वारा करवाई जाकर उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके पत्रांक प. 14() एफसीए /उवसं /2023 / 6719 दिनांक 26.08.2023 एवं 7180-7183 दिनांक 20.09.2023 से इस कार्यालय को प्रस्तुत की है। तदनुसार पालना प्रतिवेदन इस कार्यालय की सहमति के साथ मूल ही दो प्रतियों में संलग्न कर निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

Compliance Report w.r.t. Stage-I approval vide No. I/42901/2023dtd. 12.05.2023

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
i	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	Forest Department	Legal Status of the diverted forest land will remain unchanged.
ii	The user agency shall utilize 27.47ha forest land for operating stand and pipeline corridors and remaining area of forest land i.e. 72.58ha. will be maintained as green cover. The user agency shall develop 72.58ha. as green belt at the project cost under the supervision of state forest department. The state forest department shall be given free access to the area proposed for diversion for its management.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-1 by user agency.(enclosed)
iii	The minimum number of trees shall be felled and the felling shall be done under the supervision of state forest department.	NPCIL	Digitally signed by Raj Kumar Singh Designation: Chief Conservator Of Forest Date: 2023.09.29 05:49:48 Annexure-2 by Reason: Approved agency.(enclosed)

Signature valid

Digitally signed by Raj Kumar Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.09.29 05:49:48
Reason: Approved agency.(enclosed)

RajKaj Ref No. : 48499

Other

4/10/23

2497
05-10-2023



No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
iv	User agency will not allow any direct discharge from the project site to the Dam water.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-3 by user agency.(enclosed)
v	Since the Ghatol DFL site proposed for CA is situated on plateau, which is good grass land having heavy biotic pressure, this area should be properly fenced and plantation should be done after carrying out proper soil-moisture conservation (SMC) works.	Forest Department	As directed, Ghatol DFL site having heavy biotic pressure will be fenced properly as per norms and plantation will be done after carrying out soil-moisture conservation (SMC) works by forest department.
vi	<u>Compensatory Afforestation</u>		
a	The Compensatory afforestation over the identified degraded forest land of 304ha. in two patches located under banswara district of Rajasthan shall be raised by the state forest department at the project cost. At least 1000 saplings per ha shall be planted over identified DFL, the balance seedlings, if any will be planted in another degraded forest land as per prescription of the working plan at the cost of the user agency.	Forest Department	<p>User agency has deposited fund of Rs. 5,56,60,000/- towards Compensatory Afforestation in the account of RAJASTHAN CAMPA vide UTR No. SBINR52023082267877523 against our demand order No. 14(0) FCA/DCF/2021/3774 dtd. 05.06.2023.(estimate of the same is enclosed)</p> <p>As directed earlier, Compensatory Afforestation work will be carried out in 304 Ha. of DFL to achieve at least 1000 saplings per ha as per prescription of the working plan. The amount of Rs. 5,56,60,000/- deposited by user agency towards Compensatory afforestation was derived considering this aspect.</p>

Signature valid

Digitally signed by Raj Kumar Singh
 Designation : Chief Conservator Of
 Forest
 Date: 2023.09.29 15:49:18 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4810195





पर-घर
औषधि योजना

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
b	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the forest department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Forest Department	User agency has deposited fund of Rs. 5,56,60,000/- towards Compensatory Afforestation in the account of Rajasthan CAMPA vide UTR No. SBINR52023082267877523 against our demand order No. 14(FCA/DCF/2021/3774dtd. 05.06.2023. The amount of Rs. 5,56,60,000/- deposited by user agency towards Compensatory afforestation has been derived considering cost of survey, demarcation, erection of pillars, maintenance for 10 years, etc.
c	The KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details prior to stage II approval.	Forest Department	The KML files of diverted area and the CA areas have been uploaded on the e-green watch portal with all requisite details.
vi	The user agency shall transfer the fund towards the cost of Net present value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 19.01.2022.	NPCIL	Fund of Rs. 12,29,20,430/- towards NPV has been transferred to the account of Rajasthan CAMPA vide UTR No. SBINR52023082267877523
vii	The cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.	NPCIL	Fund of Rs. 1,10,88,356/- towards felling of 4467 trees has been transferred to DFO PD Account vide UTR No. SBINR52023082267878893
viii	The user agency shall implement the R&R plan as per R&R policy of state government in	Forest	Digitally signed by Raj Kumar Singh Designation: Chief Conservator Of Forest Date: 2023.09.29 16:49:18 IST Reason: Approved Submitted as Annexure-4 by

RajKaj Ref No. : 4830195





पर-पर
औषधि योजना

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
	consonance with national R&R policy, Government of India before commencement of the project work and implementation. The said R&R plan will be monitored by the state government/Regional office of MoEF& CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.		user agency.(enclosed)
ix	All the funds received from the user agency under the project shall be (transferred/deposited) in the account of national authority only through e-portal (https://parvish.nic.in/). Amount deposit through other modes will not be accepted as compliance of the stage-I clearance	NPCIL	All the funds of NPV and Compensatory Afforestation amounting to Rs. 17,85,80,430/- have been transferred through e-portal (https://parvish.nic.in/)
x	The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by the state Govt.	Forest Department	Form-II under FRA,2006 has been issued by District Collector after due process. (enclosed)
xi	The user agency shall obtain the environment clearance as per the provisions of the environmental (protection) Act,1986, if required.	NPCIL	Status / Undertaking has been submitted as Annexure-5 by user agency. (enclosed)
xii	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parvish.nic.in/).	NPCIL	Compliance Report has been uploaded on e-portal (https://parvish.nic.in/).
xiii	At the time of payment of the Net Present value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble supreme court of India.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-6 by user agency.(enclosed)
xiv	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-7 by

Signature valid

Digitally signed by Raj Kumar Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest

Date: 2023.09.29 15:49:18 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4810195



No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
	identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the state forest department.		user agency.(enclosed)
xv	Adequate greenery by planting trees will be maintained around the project area in view of the safety measures for running the atomic power project.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-8 by user agency.(enclosed)
xvi	No labour camp shall be established on the forest land and the user agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-9 by user agency.(enclosed)
xvii	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-10 by user agency.(enclosed)
xviii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-11 by user agency.(enclosed)
xix	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of march every year regularly.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-12 by user agency.(enclosed)
xx	Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of This Ministry May stipulate, with prior approval of competent authority, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-13 by user agency.(enclosed)

Signature valid

Digitally signed by Raj Kumar Singh
 Designation: Chief Conservator Of
 Forest
 Date: 2023.09.29 15:49:18 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4810195



No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
xxi	The User Agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to this project	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-14 by user agency.(enclosed)
xxii	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action Would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-15 by user agency.(enclosed)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। (मूल ही दो प्रतियो में)

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
 संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
 उदयपुर।

क्रमांक एफ 5 (30-A)/ऐटोमिक पावर प्रोजेक्ट) एफसीए./मुवसं/2023-24/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1-उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 6719 दिनांक 26.08.2023 एवं 7180-7183 दिनांक 20.09.2023 के क्रम में।

2- मुख्य अभियंता, NPCIL Mahi बांसवाडा।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
 उदयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Rajkumar Singh
 Designation: Chief Conservator Of
 Forest
 Date: 2023.09.29 15:49:18 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4810195



कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

दिनांक:- 09/11/2023

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/ 7928

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.(online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 6188 दिनांक 19.10.2023 एवं कार्यालय न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पत्र क्रमांक NPCIL/ MBRAPP/2023 दिनांक 08.11.2023 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग नई दिल्ली के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। Government of India ,Ministry of Environment,Forests and Climate Change (FC Division) File No.8-10/2022-FC दिनांक 12.05.2023 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत-सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट में पाई गई कमियों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार चार प्रतियों में संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1.	बिन्दु संख्या-5 उप वन संरक्षक द्वारा मात्र वचनवद्धता प्रस्तुत की गयी है अपितु फेन्सिंग एवं जल मृदा संरक्षण कार्यों हेतु प्रस्तावित कार्यों का प्रावधान करते हुए वचनवद्धता संलग्न किया जाता है।	फेन्सिंग एवं जल मृदा संरक्षण कार्यों हेतु प्रस्तावित कार्यों का प्रावधान डी.एफ.एल के प्राक्कलन में सम्मिलित कर लिया गया है। जिसकी वचनवद्धता संलग्न है।
2.	बिन्दु संख्या-6(a) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 304 हैक्टर में किये जाने हेतु उल्लेखित किया गया है जबकि संलग्न क्षतिपूर्ति योजना 200.10+86=286.10 है की प्रस्तुत की गई है। कुल 304 हैक्टर की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की जानी है ।	फेन्सिंग एवं जल मृदा संरक्षण कार्यों को प्रस्तावित करते हुए 304 हैक्टर की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की गई है। (प्राक्कलन संलग्न है)
3.	बिन्दु संख्या-6(C) उप वन संरक्षक द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि एवं क्षतिपूर्ति वन भूमि की के.एम.एल फाईल ई-ग्रीन वॉच पर अपलोड नहीं की गई है।	प्रत्यावर्तित वनभूमि एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की वन भूमि की के.एम.एल फाईल ई-ग्रीन वॉच पर अपलोड कर दी गई है।
4.	बिन्दु संख्या-(viii) आर.एण्ड आर. प्लान की वर्तमान स्थिति एवं अनुमोदित प्रति संलग्न किया जाकर प्रोजेक्ट से पूर्व भारत सरकार की गाईड लाईन अनुसार पुरा करने की वचनवद्धता संलग्न की जानी है।	अनुमोदित अवार्ड एवं आर.एण्ड आर. की पूर्ण राशि राज्य सरकार को जाम करा दी गई है तथा सम्बन्धित हितबद्ध लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है। कुल 128 विस्थापित परिवारों द्वारा आर.एण्ड आर. कॉलोनी में मकान लेने का विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा एन.पी.सी.आई. प्रोजेक्ट द्वारा राजस्थान राज्य सरकार की निति जो राष्ट्रीय पर्ववास निति पर आधारित है तदनुसार आर.एण्ड आर. कॉलोनी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आर.एण्ड आर. कॉलोनी में निर्मित मकानों का लाभार्थियों को आवंटन कराने एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा राज्य सरकार को अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आवास आवंटन की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार द्वारा अवार्ड एवं आर.एण्ड



		आर. के अनुमोदन का पत्र परिशिष्ट - ए संलग्न कर दिया गया है। आर.एण्ड आर. क्रियान्वयन के लिए पुनरीक्षित वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
5	बिन्दु संख्या- (x) FRA certificate में संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण में लालपुरा, वांक का प्रस्तावित वनक्षेत्र अंकित नहीं है एवं रेल व सजवानिया में प्रस्तावित वनभूमि से कम का प्रमाण पत्र है। प्रस्तावित वनभूमि के अनुसार संशोधित जिला स्तर, उपखण्ड स्तर एवं ग्राम स्तर बैठक कार्यवाही विवरण एवं प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	एफ आर ए के तहत ग्राम लालपुरा एवं वांक की बैठक कार्यवाही विवरण परिशिष्ट - बी संलग्न कर दिया गया है। पुनःजाँच के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित रकबा तथा प्रस्तावित डायवर्जन के रकबे में अंतर नहीं पाया गया है।
6	बिन्दु संख्या- (ix) Environment Clearance प्राप्त करने हेतु अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सहित वचनबद्धता किया जाना प्रस्तावित है।	पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया से सम्बन्धित आदेश परिशिष्ट - सी के रूप में संलग्न है। वननबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (चार प्रतियों में)

भवदीय



(जिगनेश शर्मा)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्माण, अभियंता, NPCIL, Mahi बांसवाड़ा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज बांसवाड़ा को दी जाकर लेख है कि बिना सक्षम अनुमति वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न करने देवे।


उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/ 8 213

दिनांक:- 5/12/2023

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi
Banswara,Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.(online proposal No.
FP/RJ/Others/22621/2016).

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 7928 दिनांक 29.11.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग नई दिल्ली के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। Government of India ,Ministry of Environment,Forests and Climate Change (FC Division) File No.8-10/2022-FC दिनांक 12.05.2023 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत-सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट में पाई गई कमियों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार चार प्रतियों में संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1.	बिन्दु संख्या-5 उप वन संरक्षक द्वारा 200.10 हैक्टर का ही अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्राक्कलन 210 हैक्टर एवं 94 हैक्टर के होने से तदनुसार ही अण्डरटेकिंग दिया जाना अपेक्षित है।	प्राक्कलन अनुसार 210 हैक्टर एवं 94 हैक्टर के अण्डरटेकिंग संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (चार प्रतियों में)



भवदीय
(जिगनेश शर्मा)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

दिनांक:-

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्माण, अभियंता, NPCIL, Mahi बांसवाड़ा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज बांसवाड़ा को दी जाकर लेख है कि बिना सक्षम अनुमति वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न करने देवे।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/8395

दिनांक: 14/12/23

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-I to 4. (online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 7928 दिनांक 29.11.2023 ऊ कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग नई दिल्ली के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (FC Division) File No.8-10/2022-FC दिनांक 12.05.2023 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत-सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट में पाई गई कमियों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार चार प्रतियों में संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1.	बिन्दु संख्या-5 उप वन संरक्षक द्वारा 200.10 हैक्टर का ही अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्राक्कलन 210 हैक्टर एवं 94 हैक्टर के होने से तदनुसार ही अण्डरटेकिंग दिया जाना अपेक्षित है।	प्राक्कलन अनुसार 210 हैक्टर एवं 94 हैक्टर के अण्डरटेकिंग संलग्न प्रस्तुत है।
2.	बिन्दु संख्या-6(ए) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 304 हैक्टर में किये जाने हेतु उल्लेखित किया गया है जबकि संलग्न क्षतिपूर्ति योजना 200.10+86=286.10 है की प्रस्तुत की गई है। कुल 304 हैक्टर की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की जानी है।	286.10 हैक्टर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभ्रांषित वन भूमि के बदले 304 हैक्टर भूमि ली गई है। उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभ्रांषित वन भूमि में पहाड़ी, ढलान नाले होने के कारण 18 हैक्टर भूमि अधिक ली गई है। फेन्सिंग एवं जल मृदा संरक्षण कार्यों को प्रस्तावित करते हुए 304 हैक्टर की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की गई है। (प्राक्कलन संलग्न है)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (चार प्रतियों में)

भवदीय



(जिगनेश शर्मा)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य निर्माण, अभियंता, NPCIL, Mahi बांसवाड़ा।
- क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज बांसवाड़ा को दी जाकर लेख है कि बिना सक्षम अनुमति वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न करने देवे।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/ 8213

दिनांक:- 5/12/2023

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.(online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).


सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 7928 दिनांक 29.11.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग नई दिल्ली के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (FC Division) File No.8-10/2022-FC दिनांक 12.05.2023 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत-सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट में पाई गई कमियों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार चार प्रतियों में संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1.	बिन्दु संख्या-5 उप वन संरक्षक द्वारा 200.10 हैक्टर का ही अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है जबकि प्राक्कलन 210 हैक्टर एवं 94 हैक्टर के होने से तदनुसार ही अण्डरटेकिंग दिया जाना अपेक्षित है।	प्राक्कलन अनुसार 210 हैक्टर एवं 94 हैक्टर के अण्डरटेकिंग संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (चार प्रतियों में)


भवदीय

(जिगनेश शर्मा)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्माण, अभियंता, NPCIL, Mahi बांसवाड़ा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज बांसवाड़ा को दी जाकर लेख है कि बिना सक्षम अनुमति वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न करने देवे।


उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/1180-1183

दिनांक:- 20/09/23

निमित्त,

सभागाय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-I to 4. (online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 5364 दिनांक 05.09.2023 एवं कार्यालय न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पत्र क्रमांक NPCIL/ MBRAPP/2023 दिनांक 13.09.2023 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग नई दिल्ली के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (FC Division) File No.8-10/2022-FC दिनांक 12.05.2023 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत-सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट में पाई गई कामयाबी की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार तीन प्रतियों में संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1.	प्रकरण में NPV, CA एवं पेडों की किमत की राशि जमा की गई है, जिसकी रसीद पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं की गई है।	रसीद की प्रति संलग्न कर दी गई है।
2.	FRA प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है परन्तु इसके साथ जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय व ग्राम पंचायत स्तर की बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है।	जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय व ग्राम पंचायत स्तर की बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न है।
3.	पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न यूजर एजेंसी के समस्त अपडेटेडिंग पर उप वन संरक्षक के प्रति हस्ताक्षर नहीं है।	उप वन संरक्षक के प्रति हस्ताक्षर कर संलग्न प्रेषित हैं।
4.	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ संलग्न नहीं हैं।	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति दैनिक नवज्योति (हिन्दी) व इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) समाचार पत्र में दिनांक 12.09.2023 में प्रकाशित करा दिया है जिसकी प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (तीन प्रतियों में)

भवदीय

(रंगाश्यामी ई)

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्माण, अभियंता, NPCIL, Mahi बांसवाड़ा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज बांसवाड़ा को दी जाकर लेख है कि बिना सक्षम अनुमति वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न करने देवे।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/ 6712

दिनांक:- 26/08/2023

निमित्त,
सहायीय मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय :- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4. (online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).

सन्दर्भ:- कार्यालय न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पत्र क्रमांक 243 दिनांक 25.08.2023 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग नई दिल्ली के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (FC Division) File No.8-10/2022-FC दिनांक 12.05.2023 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत-सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट तीन प्रतियों में संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार (तीन प्रतियों में)

भवदीय

(जिग्नेश शर्मा)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

दिनांक:-

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2023/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्माण, अभियंता, NPCIL, Mahi बांसवाड़ा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज बांसवाड़ा को दी जाकर लेख है कि बिना सक्षम अनुमति वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न करने देवे।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा


Compliance Report w.r.t. Stage-I approval vide No. I/42901/2023dtd. 12.05.2023

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
i	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	Forest Department	Legal Status of the diverted forest land will remain unchanged.
ii	The user agency shall utilize 27.47ha forest land for operating stand and pipeline corridors and remaining area of forest land i.e. 72.58ha. will be maintained as green cover. The user agency shall develop 72.58ha. as green belt at the project cost under the supervision of state forest department. The state forest department shall be given free access to the area proposed for diversion for its management.	NPCL	Undertaking has been submitted as Annexure-1 by user agency.(enclosed)
iii	The minimum number of trees shall be felled and the felling shall be done under the supervision of state forest department.	NPCL	Undertaking has been submitted as Annexure-2 by user agency.(enclosed)
iv	User agency will not allow any direct discharge from the project site to the Dam water.	NPCL	Undertaking has been submitted as Annexure-3 by user agency.(enclosed)
v	Since the Ghatol DFL site proposed for CA is situated on plateau, which is good grass land having heavy biotic pressure, this area should be properly fenced and plantation should be done after carrying out proper soil-moisture conservation (SMC) works.	Forest Department	As directed, Ghatol DFL site having heavy biotic pressure will be fenced properly as per norms and plantation will be done after carrying out soil-moisture conservation (SMC) works by forest department.
vi	<u>Compensatory Afforestation</u>		
a	The Compensatory afforestation over the identified degraded forest land of 304ha. in two patches located under banswara district of Rajasthan shall be raised by the state forest department at the project cost. At least 1000 saplings per ha shall be planted over identified DFL, the balance seedlings, if any will be planted in another degraded forest land as per prescription of the working plan at the cost of the user agency.	Forest Department	User agency has deposited fund of Rs. 5,56,60,000/- towards Compensatory Afforestation in the account of RAJASTHAN CAMPA vide UTR No. SBINR52023082267877523 against our demand order No. 140 FCA/DCF/2021/3774dtd. 05.06.2023.(estimate of the same is enclosed) As directed earlier, Compensatory Afforestation work will be carried out in 304 Ha. of DFL to achieve at least 1000 saplings per ha as per prescription of the working plan. The

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
b	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the forest department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Forest Department	User agency has deposited fund of Rs. 5,56,60,000/-towards Compensatory Afforestation in the account of Rajasthan CAMPA vide UTR No. SBINR5202308226787523 against our demand order No. 140 FCA/DCF/2021/3774td. 05.06.2023. The amount of Rs. 5,56,60,000/- deposited by user agency towards Compensatory afforestation has been derived considering cost of survey, demarcation, erection of pillars, maintenance for 10 years, etc.
c	The KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details prior to stage II approval.	Forest Department	The KML files of diverted area and the CA areas have been uploaded on the e-green watch portal with all requisite details.
vi	The user agency shall transfer the fund towards the cost of Net present value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 19.01.2022.	NPCL	Fund of Rs. 12,29,20,430/- towards NPV has been transferred to the account of Rajasthan CAMPA vide UTR No. SBINR5202308226787523
vii	The cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.	NPCL	Fund of Rs. 1,10,88,356/- towards felling of 4467 trees has been transferred to DFO PD Account vide UTR No. SBINR52023082267878893
viii	The user agency shall implement the R&R plan as per R&R policy of state government in consonance with national R&R policy, Government of India before commencement of the project work and implementation. The said R&R plan will be monitored by the state government/Regional office of	NPCL	Undertaking has been submitted as Annexure-4 by user agency.(enclosed)

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
	MoEF& CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.		
ix	All the funds received from the user agency under the project shall be (transferred/deposited) in the account of national authority only through e-portal (https://parvish.nic.in/). Amount deposit through other modes will not be accepted as compliance of the stage-I clearance	NPCLIL	All the funds of NPV and Compensatory Afforestation amounting to Rs. 17,85,80,430/- have been transferred through e-portal (https://parvish.nic.in/)
x	The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by the state Govt.	Forest Department	Form-II under FRA,2006 has been issued by District Collector after due process.(enclosed)
xi	The user agency shall obtain the environment clearance as per the provisions of the environmental (protection) Act,1986, if required.	NPCLIL	Status / Undertaking has been submitted as Annexure-5 by user agency.(enclosed)
xii	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parvish.nic.in/).	NPCLIL	Compliance Report has been uploaded on e-portal (https://parvish.nic.in/).
xiii	At the time of payment of the Net Present value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble supreme court of India.	NPCLIL	Undertaking has been submitted as Annexure-6 by user agency.(enclosed)
xiv	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the state forest department.	NPCLIL	Undertaking has been submitted as Annexure-7 by user agency.(enclosed)
xv	Adequate greenery by planting trees will be maintained around the project area in view of the safety measures for running the atomic power project.	NPCLIL	Undertaking has been submitted as Annexure-8 by user agency.(enclosed)
xvi	No labour camp shall be established on the forest land and the user agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	NPCLIL	Undertaking has been submitted as Annexure-9 by user agency.(enclosed)
xvii	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	NPCLIL	Undertaking has been submitted as Annexure-10 by user agency.(enclosed)

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
xviii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	NPCL	Undertaking has been submitted as Annexure-11 by user agency.(enclosed)
xix	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of march every year regularly.	NPCL	Undertaking has been submitted as Annexure-12 by user agency.(enclosed)
xx	Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of This Ministry May stipulate, with prior approval of competent authority, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	NPCL	Undertaking has been submitted as Annexure-13 by user agency.(enclosed)
xxi	The User Agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to this project	NPCL	Undertaking has been submitted as Annexure-14 by user agency.(enclosed)
xxii	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action Would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	NPCL	Undertaking has been submitted as Annexure-15 by user agency.(enclosed)


 (Jignesh Sharma)
 Deputy Conservator of Forest
 Banswara



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)

माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/ 243

25.08.2023

To,

Deputy Conservator of Forests,
Banswara,
Rajasthan

Sub : Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4 – **Submission of compliance to in-principle / Stage-1 approval.**

Ref : 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. MoEFCC stage-I approval vide No. I/42901/2023 dtd: 12-05-2023.
3. Demand Letter received from DFO, Banswara regarding felling of trees vide No- 14() FCA/DCF/2021/3770 dtd. 05.06.2023
4. Demand Letter received from DFO, Banswara regarding NPV & CA vide No- 14() FCA/DCF/2021/3770 dtd. 05.06.2023

With respect to subject above, compliance to in-principle approval granted by MoEFCC vide order mentioned at Ref-2 is hereby submitted for further necessary processing of our application for diversion of forest land. Four sets in hard copy are enclosed herewith for further forwarding at your end. Our submission contains compliance report including fund transfer details (4 Sheets) and various undertakings (15 Sheets).

It is requested to process the application at the earliest so that construction of prestigious nuclear power project of national importance can proceed further in the service of nation.

(Saroj Kumar Verma)

Chief Construction Engineer

SAROJ KUMAR VAERMA

मुख्य निर्माण अभियन्ता

Chief Construction Engineer

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Encl : 1. In-principle / Stage-1 approval by MoEFCC
2. Letter No. 14() FCA/DCF/2021/3770 dtd. 05.06.2023
3. Letter No. 14() FCA/DCF/2021/3774 dtd. 05.06.2023
4. Compliance Report – 4 sheets
5. Undertakings – 15 Sheets

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

Compliance Report w.r.t. Stage-I approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
i	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	Forest Department	
ii	The user agency shall utilize 27.47ha forest land for operating stand and pipeline corridors and remaining area of forest land i.e. 72.58ha. will be maintained as green cover. The user agency shall develop 72.58ha. as green belt at the project cost under the supervision of state forest department. The state forest department shall be given free access to the area proposed for diversion for its management.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-1
iii	The minimum number of trees shall be felled and the felling shall be done under the supervision of state forest department.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-2
iv	User agency will not allow any direct discharge from the project site to the Dam water.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-3
v	Since the Ghatol DFL site proposed for CA is situated on plateau, which is good grass land having heavy biotic pressure, this area should be properly fenced and plantation should be done after carrying out proper soil-moisture conservation (SMC) works.	Forest Department	
vi	<u>Compensatory Afforestation</u>		
a	The Compensatory afforestation over the identified degraded forest land of 304ha. in two patches located under banswara district of Rajasthan shall be raised by the state forest department at the project cost. At least 1000 saplings per ha shall be planted over identified DFL, the balance seedlings, if any will be planted in another degraded forest land as per prescription of the working plan at the cost of the user agency.	Forest Department	

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
b	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the forest department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Forest Department	
c	The KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details prior to stage II approval.	Forest Department	
vi	The user agency shall transfer the fund towards the cost of Net present value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 19.01.2022.	NPCL	Fund of Rs. 12,29,20,430/- towards NPV has been transferred to the account of Rajasthan CAMPA vide UTR No. SBINR52023082267877523
vii	The cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.	NPCL	Fund of Rs. 1,10,88,356/- towards felling of 4467 trees has been transferred to DFO PD Account vide UTR No. SBINR52023082267878893
viii	The user agency shall implement the R&R plan as per R&R policy of state government in consonance with national R&R policy, Government of India before commencement of the project work and implementation. The said R&R plan will be monitored by the state government/Regional office of MoEF & CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.	NPCL	Undertaking has been submitted as Annexure-4
ix	All the funds received from the user agency under the project shall be (transferred/deposited) in the account of national authority only through e-portal (https://parvish.nic.in/). Amount deposit through other modes will not be accepted as compliance of the stage-I clearance	NPCL	All the funds of NPV and Compensatory Afforestation amounting to Rs. 17,85,80,430/- have been transferred through e-portal (https://parvish.nic.in/) to the account of Rajasthan CAMPA vide UTR No. SBINR52023082267877523

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
x	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by the state Govt.	Forest Department	
xi	The user agency shall obtain the environment clearance as per the provisions of the environmental (protection) Act, 1986, if required.	NPCIL	Status / Undertaking has been submitted as Annexure-5
xii	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parvish.nic.in/).	NPCIL	Compliance Report has been uploaded on e-portal (https://parvish.nic.in/).
xiii	At the time of payment of the Net Present value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble supreme court of India.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-6
xiv	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the state forest department.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-7
xv	Adequate greenery by planting trees will be maintained around the project area in view of the safety measures for running the atomic power project.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-8
xvi	No labour camp shall be established on the forest land and the user agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-9
xvii	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-10
xviii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-11
xix	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of march every year regularly.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-12

No.	Compliance Details	Implementing Agency	Remarks
xx	Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of This Ministry May stipulate, with prior approval of competent authority, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-13
xxi	The User Agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to this project	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-14
xxii	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action Would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	NPCIL	Undertaking has been submitted as Annexure-15

Signature
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
मुख्य निर्माण ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
मुख्य निर्माण परमाणु विद्युत परियोजना
Nuclear Power Corporation of India Limited
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Rajasthan Atomic Power Project

उप वन संरक्षक
जिंसवाडा (राज.)

Annexure-1



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023

Sub : Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.

Ref : 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (ii)

We hereby undertake that, Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP) - 1 to 4 of Nuclear Power Corporation of India Ltd. will utilize 27.47 Ha. forest land for Nuclear Power Plant and pipeline corridor. Remaining 72.58 Ha. forest land will be developed as green belt under supervision of state forest department at our own cost. State Forest Department will be given free access to the area proposed for diversion for its management.


उप वन संरक्षक
नांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
SAROJ KUMAR VERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Annexure-2



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023

Sub : Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.

Ref : 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (iii)

We hereby undertake that, during the course of construction of Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP) - 1 to 4 of Nuclear Power Corporation of India Ltd., minimum number of trees will be felled under supervision of State Forest Department.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Annexure-3



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023

Sub : Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.

Ref : 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (iv)

We hereby undertake that, Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP) - 1 to 4 of Nuclear Power Corporation of India Ltd., will not allow any direct discharge from the project site to the Dam water.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, BANSWARA

Full Title of the Project – Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4

Proposal No. – FP/RJ/Others/22621/2016


Date of Proposal –02-12-2016

Forest Land proposed for diversion – 100.05 Ha.

**CERTIFICATE FOR DFL AREA SHOULD BE PROPERLY FENCED AND
PLANTATION SHOULD BE DONE AFTER CARRYING OUT PROPER SOIL-
MOISTURE CONSERVATION (SMC) WORKS**

This is to certify that **210.00** ha. Degraded Forest land bearing Survey No. of Village Ganeshpura are 1,2,3,4,5,6,7,8,12,20,21,22, & of Village Naroto ki Goj are 947, 997 1025, 1044, 1053, 947, 997 Tehsil Ghatol District Banswara and 94.00 Ha. Degraded Forest land bearing survey No. of Village Tejpur are 1624,1625,1626,1627/2,1650,1900/2 Tehsil Choti Sarwan District Banswara has **been** identified for Compensatory Afforestation on DFL will be properly fenced and plantation will be done only after carrying out proper soil-moisture conservation (SMC) works as suggested by condition No.(v) of 1 stage Clearance of Government of India .

Thus here I am giving my Commitment as per above mentioned certificate.



(Jignesh Sharma)

Dy. Conservator of Forests,
Banswara.

Place: Banswara

Date:- 5/12/2023

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाडा

विस्तृत व्यय प्रावकलन

कार्य पर होने वाले विस्तृत विवरण वर्ष 2023-24

नाम वन मण्डल : बांसवाडा	नामवृत प. वृत, उदयपुर
स्वीकृत क्रमांक :	स्वीकृत राशि :
बजट मद जिसमें व्यय होगा :	नाम योजना : Campa
क्र.सं. विवरण	मॉडल : D.F.L.
1 नाम राजस्व जिला - बांसवाडा	क्र.सं. विवरण
3 नाम तहसील - घाटोल	2 नाम रेन्ज - घाटोल
5 नाम कार्य - जगमेर जोगीमाल (पार्ट-ए एवं बी)	4 नाम पंचायत समिति - घाटोल
7 क्षेत्रफल - 210 Ha, (Part A - 135 Ha. + Part B - 75 Ha.)	6 नाम वन खण्ड - जगमेर जोगीमाल
9 किस्म कार्य- अग्रिम मृदा, वृक्षारोपण एवं संधारण कार्य	8 नाम ग्राम :- महुवाल / डूंगरीपाडा
11 अग्रिम मृदा कार्य वर्ष - 2023-24	10 V.F.P.M.C. - महुवाल / डूंगरीपाडा (नरोतो की गोज)
13 वृक्षारोपण संधारण कार्य वर्ष - 2025-26	12 वृक्षारोपण कार्य वर्ष - 2024-25
	14
	Part- A B
	पेरामीटर - 5800.00 4850.00 र.मी.
	नई पत्थर दीवार - 500.00 0.00 र.मी.
	नई खाई फैनसिंग - 3294.00 1900.00 र.मी.
	खाई फैनसिंग मरम्मत - 2006.00 2950.00 र.मी.

अग्रिम मृदा कार्य :- (0 वर्ष - पार्ट- ए)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वे एवं ले आउट (लाईन विलयरेस सहीत) [F.D. BSR-B-1-(I)]	130.00	130.00	है.	163.17	प्र.है.	21212.10
2	क्षेत्र में लगभग 2 है. से 2.5 है. साईज के उपखण्ड बनाना एवं उन पर पत्थर गाडकर पैंट से लिखकर सिर्मांकन करना [F.D. BSR-B-1-(III)]	130.00	130.00	है.	223.52	प्र.है.	29057.60
3	अस्थाई/स्थाई नर्सरी में पौध तैयार PB 12x30 cm (10% more)	100100	100100	पौध	8.00	प्र.पौध	800800.00
4	फैनसिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी धुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(I)-(II)-(IV) & 2.2] 3.3.-iii						
III	500 मीटर से अधिक दूरी पर उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर पत्थर की दिवार की सतह पर मिट्टी की 3 से.मी. अथवा अधिक मोटी परत जमाना	500.00	420.00	घ.मी	461.15	प्र.घ.मी.	193683.00
		500.00	500.00	र.मी	14.11	प्र.र.मी.	7055.00
5	नई खाई फैनसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(II)]						
I	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत तक बोल्डर्स हों	264.00	380.16	घ.मी	155.40	प्र.घ.मी.	59076.86
II	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक बोल्डर्स हों	830.00	1195.2	घ.मी	215.36	प्र.घ.मी.	257398.27
III	कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	2000.00	2880	घ.मी	232.45	प्र.घ.मी.	669456.00
IV	खाई फैनसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.	2006.00	2888.64	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	184468.55
6	यांत्रिक संसाधनो से मृदा खुदाई कार्य [F.D. BSR-B-2.5.1-(III)]						
	खाई फैनसिंग खुदाई कार्य माप 1.20 मी. गहरी, 1.5मी चौड़ी ऊपर तथा 0.90 मी चौड़ी पैंदें में (1.44 घ.मी./प्रति र.मी.) यांत्रिक संसाधनो यथा JCB, Back hoe loader एवं/अथवा crawler excavator की सहायता से खोदकर मिट्टी को बाहर निकालकर श्रमिकों के माध्यम से खाई की निर्धारित माप में ड्रेसिंग करना तथा खोदी गई मृदा के अन्दर की तरफ खाई से 15 से.मी. दूर डोली बनाना मय एलाइमेन्ट व निशानदेही :						
III	कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	200.00	288	घ.मी	115.02	प्र.घ.मी.	33125.76

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य						
	ट्रेन्च/वी-डिच/कन्दूर-डाईक्स/फरोज/ग्रेडोनी आदि हेतु दागबेल करना [FD BSR, B-3.2-(iii),(iv),(v)]	39000	39000	र.मी.	1.06	प्र.र.मी.	41340.00
	कन्दूर ट्रेन्च 45 से.मी. x 45 से.मी./वी-डिच (0+0.30)/2 मी. x 1.2 मी. (लगातार, स्टेगर्ड) साईज के खोदना एवं खुदी मिट्टी को बलान के नीचे की ओर ट्रेन्च/वी-डिच के साथ कंकर पत्थर अलग कर माउन्ड बनाना।						
	(i) कठोर चिकनी मिट्टी में 20 प्रतिशत एवं बोल्टर्स सहित	19500	3948.75	घ.मी.	154.89	प्र.घ.मी.	611621.89
	(ii) कठोर चिकनी मिट्टी में 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स सहित	11700	2369.25	घ.मी.	215.37	प्र.घ.मी.	510265.37
	(iii) कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड़ हो	7800	1579.50	घ.मी.	232.59	प्र.घ.मी.	367375.91
8	कन्दूर डाईक निर्माण (स्थानीय पत्थरों का उपयोग करते हुए) साईज 0.6 मी. चौड़ाई x 0.30 मी. ऊंचाई FD BSR B-3.5	1500	270.00	घ.मी.	202.41	प्र.घ.मी.	54650.70
9	(i) - CCT श्रमिक द्वारा कार्य [F.D. BSR, B-3.1-(iii) & B-3.2.3-(i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v)]						
	I सी.सी.टी. खोदने हेतु 5 से 7.5 से.मी. गहराई का दाग बेलींग कार्य 3 लाईनों में (3 No. x 5 m. = 15 m.) F.D. BSR, B-3.1-(ii)	500	7500	र.मी.	1.06	प्र.र.मी.	7950.00
	कन्टीन्यूस कन्दूर ट्रेन्च (CCT) नाप 0.60 मी. गहराई 1.70 मी. चौड़ाई ऊपर से एवं 0.50 मी. चौड़ाई धरातल से (0.68 घन मी./प्रति र.मी.) खुदाई कार्य श्रमिकों की सहायता से खोदकर मिट्टी को बाहर निकालकर श्रमिकों के माध्यम से ट्रेन्च की निर्धारित माप में ड्रेसिंग करना तथा खोदी गई मृदा की बाहर की तरफ ट्रेन्च से 15 से.मी. दूर डोली बनाना बड़े पत्थर छाटकर नीचे जमाना मय एलाईमेंट व निशानदेही : अनुप्रस्थ काट का सेटो- (1.70+0.50)/2 x 0.60 वर्ग मीटर,						
	(iii) कठोर चिकनी मिट्टी में 20 प्रतिशत एवं बोल्टर्स सहित	100	330	घ.मी.	154.89	प्र.घ.मी.	51113.70
	(iv) कठोर चिकनी मिट्टी में 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स सहित	200	660	घ.मी.	215.37	प्र.घ.मी.	142144.20
10	(ii) - CCT यांत्रिक संसाधनों से मृदा खुदाई कार्य [F.D. BSR, B-2.5.3-(i)-(ii)-(iii)]						
	कन्टीन्यूस कन्दूर ट्रेन्च (CCT) नाप 0.80 मी. गहराई 1.70 मी. चौड़ाई ऊपर से एवं 0.50 मी. चौड़ाई धरातल से (0.68 घन मी./प्रति र.मी.) खुदाई कार्य यांत्रिक संसाधनों यथा JCB इत्यादी की सहायता से खोदकर मिट्टी को बाहर निकालकर श्रमिकों के माध्यम से ट्रेन्च की निर्धारित माप में ड्रेसिंग करना तथा खोदी गई मृदा के अन्दर की तरफ ट्रेन्च से 15 से.मी. दूर डोली बनाना बड़े पत्थर छाटकर नीचे जमाना मय एलाईमेंट व निशानदेही :						
	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड़ हो	200.00	660	घ.मी.	115.02	प्र.घ.मी.	75913.20
11	खड्डे खुदाई कार्य- [F.D. BSR-B-3.1-(i)]						
	I खड्डे खुदाई हेतु दागबेल देना	39000	39000	खड्डे	1.06	प्र.खड्डा	41340.00
	* खड्डे खुदाई साईज 45 45 45 cm [F.D. BSR-B-5.1-(iv)-(v)-(vi)]						
	I कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स में	19000	1731.38	खड्डे	171.72	प्र.खड्डा	297311.72
	II कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्टर्स में	8000	729.00	खड्डे	235.18	प्र.खड्डा	171446.22
	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड़ हो	12000	1093.5	खड्डे	261.08	प्र.खड्डा	285490.98
12	MPT निर्माण कार्य	5	5	नं.	70000.00	LS	350000.00
13	पक्का चेकडेम निर्माण कार्य	2	2	नं.	650000	LS	1300000.00
14	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक x 26 दिन x 4 माह = 520)	520	520	दिन	259	प्र.दिन	134680.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
15	कैटलगाई हट निर्माण कार्य	1	1	नं.	LS	नं.	25000.00
16	बीज एकत्रीकरण		LS		LS		20000.00
17	साईन बोर्ड क्रय करना एवं साईट पर लगाना।		LS		LS		5000.00
18	गेट निर्माण हेतु पिल्लर्स निर्माण कार्य		LS		LS		25000.00
19	बाउण्ड्री पिल्लर्स निर्माण कार्य	50	50	नंग	11000	प्र.नंग	550000.00
20	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, औजार अन्य आदि व्यय)				LS		17022.97
अग्रिम मृदा कार्य (0 वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							7340000.00

अग्रिम मृदा कार्य :- (0 वर्ष - पार्ट-बी)							
क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वे एवं ले आउट (लाईन विलयर्स सहित) [F.D. BSR-B-1-(i)]	70.10	70.10	हे.	163.17	प्र.हे.	11438.22
2	क्षेत्र में लगभग 2 है. से 2.5 है. साईज के उपखण्ड बनाना एवं उन पर पत्थर गाड़कर पैन्ट से लिखकर सिमांकन करना [F.D. BSR-B-1-(ii)]	70.10	70.10	हे.	223.52	प्र.हे.	15668.75
3	अस्थायी/स्थायी नर्सरी में पौध तैयार PB 12x30 cm (10% more)	53977	53977	पौध	8.00	प्र.पौध	431816.00
4	नई खाई फौन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(ii)]						
	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	1500.00	2160	घ.मी.	232.45	प्र.घ.मी.	502092.00
	IV खाई फौन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.	2950.00	4248	घ.मी.	63.86	प्र.घ.मी.	271277.28
	यांत्रिक संसाधनों से मृदा खुदाई कार्य [F.D. BSR-B-2.5.1-(iii)]						
	खाई फौन्सिंग खुदाई कार्य माप 1.20 मी. गहरी, 1.5मी चौड़ी ऊपर तथा 0.90 मी चौड़ी पैदों में (1.44 घ.मी./प्रति र.मी.) यांत्रिक संसाधनों यथा JCB, Back hoe loader एवं/अथवा crawler excavator की सहायता से खोदकर मिट्टी को बाहर निकालकर श्रमिकों के माध्यम से खाई की निर्धारित माप में ड्रेसिंग करना तथा खोदी गई मृदा के अन्दर की तरफ खाई से 15 से.मी. दूर डोली बनाना मय एलाइमेन्ट व निशानदेही :						
	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	400.00	576	घ.मी.	115.02	प्र.घ.मी.	66251.52
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य						
	ट्रेन्च/वी-डिच/कन्दूर-ड्राईक्स/फरोज/ग्रेडोनी आदि हेतु दागबेल करना [F.D. BSR, B-3.2-(iii),(iv), (v)]	21030	21030	र.मी.	1.06	प्र.र.मी.	22291.80
	कन्दूर ट्रेन्च 45 से.मी. x 45 से.मी./वी-डिच (0+0.30)/2 मी. x 1.2 मी. (लगातार, स्टेगर्ड) साईज के खोदना एवं खुदी मिट्टी को ढलान के नीचे की ओर ट्रेन्च/वी-डिच के साथ कंकर पत्थर अलग कर मासुन्ड बनाना।						
	(i) कठोर चिकनी मिट्टी में 20 प्रतिशत एवं बोल्डर्स सहित	10515	2129.29	घ.मी.	154.89	प्र.घ.मी.	329805.34
	(ii) कठोर चिकनी मिट्टी में 20 प्रतिशत से अधिक बोल्डर्स सहित	6309	1277.57	घ.मी.	215.37	प्र.घ.मी.	275150.79
	(iii) कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	4206	851.72	घ.मी.	232.59	प्र.घ.मी.	198100.39
6	(i) - CCT श्रमिक द्वारा कार्य [F.D. BSR, B-3.1-(iii) & B-3.2.3-(i)-(iii)-(iii)-(iv)-(v)]						
I	सी.सी.टी. खोदने हेतु 5 से 7.5 से.मी. गहराई का दाग बेलौंग कार्य 3 लाईनों में (3 No. x 5 m. = 15 m.) F.D. BSR, B-3.1-(ii)	500	7500	र.मी.	1.06	प्र.र.मी.	7950.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
	कन्टीन्यूस कन्ट्रोल ट्रैच (CCT) नाप 0.60 मी. गहराई 1.70 मी. चौड़ाई ऊपर से एवं 0.50 मी. चौड़ाई धरातल से (0.66 घन मी./प्रति र.मी.) खुदाई कार्य श्रमिकों की सहायता से खोदकर मिट्टी को बाहर निकालकर श्रमिकों के माध्यम से ट्रैच की निर्धारित माप में ड्रेसिंग करना तथा खोदी गई मृदा की बाहर की तरफ ट्रैच से 15 से.मी. दूर डोली बनाना बड़े पत्थर छाटकर नीचे जमाना मय एलाईमेंट व निशानदेही : अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र— $(1.70+0.50)/2 \times 0.60$ वर्ग मीटर.						
	(iv) कठोर चिकनी मिट्टी में 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स सहित	100	330	घ.मी	215.37	प्र.घ.मी.	71072.10
	(v) कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	200	660	घ.मी	232.69	प्र.घ.मी.	153509.40
7	(ii) - CCT यांत्रिक संसाधनों से मृदा खुदाई कार्य [F.D. BSR-B-2.5.3-(i)-(ii)-(iii)]						
	कन्टीन्यूस कन्ट्रोल ट्रैच (CCT) नाप 0.60 मी. गहराई 1.70 मी. चौड़ाई ऊपर से एवं 0.50 मी. चौड़ाई धरातल से (0.66 घन मी./प्रति र.मी.) खुदाई कार्य यांत्रिक संसाधनों यथा JCB इत्यादी की सहायता से खोदकर मिट्टी को बाहर निकालकर श्रमिकों के माध्यम से ट्रैच की निर्धारित माप में ड्रेसिंग करना तथा खोदी गई मृदा के अन्दर की तरफ ट्रैच से 15 से.मी. दूर डोली बनाना बड़े पत्थर छाटकर नीचे जमाना मय एलाईमेंट व निशानदेही :						
	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	200.00	660	घ.मी	115.02	प्र.घ.मी.	75913.20
8	खड्डे खुदाई कार्य— [F.D. BSR-B-3.1-(i)]						
	I खड्डे खुदाई हेतु दागबेल देना	21030	21030	खड्डे	1.06	प्र.खड्डा	22291.80
	* खड्डे खुदाई साईज 45 45 45 cm [F.D. BSR-B-5.1-(iv)-(v)-(vi)]						
	I कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स में	9130	831.97	खड्डे	171.72	प्र.खड्डा	142866.10
	II कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्टर्स में	6500	592.31	खड्डे	235.18	प्र.खड्डा	139300.05
	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	5400	492.075	खड्डे	261.08	प्र.खड्डा	128470.94
9	MPT निर्माण कार्य	5	5	नं.	70000.00	LS	350000.00
10	PCD निर्माण कार्य	2	2	नं.	650000.00	LS	1300000.00
11	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (3 श्रमिक x 26 दिन x 4 गड = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन	80808.00
12	कैटलगाई हट निर्माण कार्य	1	1	नं.	LS	नं.	25000.00
13	बीज एकत्रीकरण		LS		LS		15000.00
14	साईन बोर्ड क्रय करना एवं साईट पर लगाना।		LS		LS		5000.00
15	गेट निर्माण हेतु पिल्लर्स निर्माण कार्य		LS		LS		15000.00
16	बाउण्ड्री पिल्लर्स निर्माण कार्य	40	40	नंग	11000	प्र.नंग	440000.00
17	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, औजार अन्य आदि व्यय)				LS		18926.31
	अग्रिम मृदा कार्य (0 वर्ष, पार्ट-बी) योग :-						5115000.00
	वृक्षारोपण कार्य (1-वर्ष, पार्ट-ए)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	अस्थाई पौधशाला में पौध का रख-रखाव पर व्यय	100100	100100	पौध	2.70	प्र.पौध	270270.00
	खड्डे खुदाई कार्य— [F.D. BSR-B-3.1-(i)]						
	I खड्डे खुदाई हेतु दागबेल देना	52000	52000	खड्डे	1.06	प्र.खड्डा	55120.00
	* खड्डे खुदाई साईज 45 45 45 cm [F.D. BSR-B-5.1-(iv)-(v)-(vi)]						
2	I कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स में	25000	2278.13	खड्डे	171.72	प्र.खड्डा	391199.63
	II कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्टर्स में	14000	1275.75	खड्डे	235.18	प्र.खड्डा	300030.89
	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	13000	1184.625	खड्डे	261.08	प्र.खड्डा	309281.90
3	WHS निर्माण कार्य	1	1	नं.	1000000	LS	1000000.00

जिगनेश शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
4	चेकडेम निर्माण - ड्राई रेण्डम रबल पत्थर की सूखी चुनाई, पत्थर खोदकर, तोड़कर चुनना (बोर्ड्स सहीत) [F.D. BSR-B-4]	100	100	घ.मी	271.31	प्र.घ.मी.	27131.00
बीज सोईग कार्य :- FD BSR Part-C Item No. - 1-II							
5	(1) खाई फेंसिंग पर पौंच लाईनों में [5300X3]	15900					
	(2) स्टॉन वाल के सहारे एक लाईनों में [500X1]	500					
	(3) कन्दूर ट्रेंच के सहारे तीन लाईनों में [39000 x 3]	117000					
	(4) कन्दूर डाईक के सहारे एक लाईनों में [1500 x 1]	1500					
	(5) सीसीटी की रीज पर (500 नंग x 3 लाईन x 5 मी. ल.)	7500					
	योग :-	142400	142400	र.मी.	0.94	प्र.र.मी.	133856.00
6	प्राईवेट वाहन से पौघ भराई व खाली कराई साईज 12x30 c.m. FD BSR Part-C Item No. - 4-iii	91000	91000	पौघ	0.79	प्र.पौघ	71890.00
7	अस्थाई पौघशाला से साईट तक ट्रेक्टर द्वारा पौघ ढूलाई 12x30 c.m. दूरी 12 K.m. तक (जी.के.एन.बी.एस.आर वर्ष 2014 आईटम नम्बर 142 अ)	91000	91000	पौघ	814	प्र.ह.पौघ	74074.00
वृक्षारोपण स्थल से खड्डों तक पौघ ढूलाई कार्य FD BSR Part-C Item No. - 2.1-III							
8	(1) वृक्षारोपण स्थल से खड्डों तक सरभार से						
	(1) - 1 कि.मी.की दूरी तक पौ.धे.साईज 12x30 cm	46000	46000	पौघ	1.34	प्र.पौघ	61640.00
	(2) - 2 कि.मी.की दूरी तक पौ.धे.साईज 12x30 cm	45000	45000	पौघ	2.00	प्र.पौघ	90000.00
खड्डों का कीटनाशक व डीएपी खाद से उपचार FD BSR Part-C Item No. - 12-I II							
9	(1) समतल भूमि पर	46000	46000	खड्डा	0.51	प्र.ख	23460.00
	(2) पहाडी क्षेत्र में	45000	45000	खड्डा	1.11	प्र.ख	49950.00
	पौघा रोपण करवाई (पौ.धे.साईज 12x30 cm Part-C-13.14, 13.2-I)						
10	(1) समतल भूमि पर	46000	46000	पौघ	5.30	प्र.पौघ	243800.00
	(2) पहाडी क्षेत्र में	45000	45000	पौघ	6.34	प्र.पौघ	285300.00
	रोपित पौघा का थावला बनाई Part-c Item No. - 16-I, II						
11	(1) अर्द्धचन्द्राकार थावला जिसका अर्द्ध व्यास कम से कम 50 से.मी. हो	46000	46000	पौघ	4.11	प्र.पौघ	189060.00
	(2) पहाडी ढलानयुक्त क्षेत्र में विपरीत ढलान का थावला बनाई (50 से.मी.अर्द्धव्यास)जिसका अन्दर की तरफ ढलान कम से कम 20 से.मी.हो में	45000	45000	पौघ	7.25	प्र.पौघ	326250.00
	थावलों पर तीन स्थान पर बीज सोईग करवाई Part-c-1-I	91000	91000	पौघ	0.51	प्र.पौघ	46410.00
12	रोपित पौघा की निदाई गुड़ाई करवाई व मिट्टी पटलवाई कम से कम 50 से.मी.अर्द्धव्यास में साथ थावला दुरस्त करवाई (दो बार)	91000	182000	पौघ	4.92	प्र.पौघ	895440.00
14	कन्दूर ट्रेंच एवं सीसीटी की रीज पर उगे पौधों की केवल निदाई करना दो बार	41500	83000	पौघ	1.40	प्र.पौघ	116200.00
15	रोपित पौधों की केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटवाई	91000	91000	पौघ	2.39	प्र.पौघ	217490.00
16	पौधों को युरिया खाद का डोज दिलवाई	91000	91000	पौघ	0.67	प्र.पौघ	60970.00
17	वृक्षारोपण में जीप जाने योग्य कच्चा निरक्षण पथ तैयार करना (3 मी चौड़ाई)	2475	2475	र.मी.	404.43	प्र.10र.मी.	100096.43
18	पौधों को पानी पिलाना 1 बार (जबकी पानी वृक्षारोपण स्थान पर उपलब्ध हो बाल्टी, मटका इत्यादी से कम से कम 15 लीटर	75000	75000	पौघ	5.84	प्र.पौघ	438000.00
19	रिप्लेसमेंट हेतु 10 प्रतिशत पौघ तैयारी पर व्यय	9100	9100	पौघ	6.90	प्र.पौघ	62790.00
20	सागवान, तेन्दु, धौक, धावडा, रोंझ आदि के पुराने टेडे-मेड पेड जो की कम से कम 50 पेड/टुंठ 30 से.मी. गोलाई (धरातल) से अधिक तथा 50 पेड 30 से.मी. गोलाई (धरातल) से कम प्रति हैक्टर होंगे उनमें कट बेक करवाना [F.D. BSR-D-2-II]	25	25	Ha.	1355.28	प्र.है.	33882.00
21	0.4 से 0.8 के घनत्व का लेन्टाना झाड़ीयों को प्रथम बार कुल्हाडी से काटकर जड़ों को मंकी जैक कर कुदाली से उखाड़ने का कार्य [F.D. BSR-D-13]	4.00	4.00	Ha.	32715.44	प्र.है.	130861.76
22	रसायनिक खाद व किटनाशक दवाई कय		LS		LS		20000.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
23	गेट निर्माण कार्य एवं फिक्सींग कार्य		LS		LS		40000.00
24	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 1560)	1560	1560	दिन	259	प्र.दिन	404040.00
25	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)				LS		11506.41
वृक्षारोपण कार्य (1-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							6480000.00

वृक्षारोपण कार्य (1-वर्ष, पार्ट-बी)							
क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	अस्थाई पौधशाला में पौध का रख-रखाव पर व्यय	53977	53977	पौध	2.70	प्र.पौध	145737.90
2	खड्डे खुदाई कार्य- [F.D. BSR-B-3.1-(II)]						
	I खड्डे खुदाई हेतु दागबेल देना	28040	28040	खड्डे	1.06	प्र.खड्डा	29722.40
	* खड्डे खुदाई साईज 45 45 45 cm [F.D.]						
	I कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स में	13040	1188.27	खड्डे	171.72	प्र.खड्डा	204049.72
	II कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्टर्स में	9000	820.13	खड्डे	235.18	प्र.खड्डा	192877.00
	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	6000	546.75	खड्डे	261.08	प्र.खड्डा	142745.49
3	WHS निर्माण कार्य	1	1	नं.	650000.00	LS	650000.00
5	बीज सोईग कार्य :- FD BSR Part-C Item No. - 1-II						
	(1) खाई फेसिंग पर पाँच लाईनों में [4850X3]	14550					
	(2) कन्दूर ट्रेंच के सहारे तीन लाईनों में [21030 x 3]	63090					
	(3) सीसीटी की रीज पर (500 नंग x 3 लाईन x 5 मी. ल.)	7500					
	योग :-	85140	85140	र.मी.	0.94	प्र.र.मी.	80031.60
6	प्राईवेट वाहन से पौध भराई व खाली कराई साईज 12x30 c.m. FD BSR Part-B Item No. - 4-III	49070	49070	पौध	0.79	प्र.पौध	38765.30
7	अस्थाई पौधशाला से साईट तक ट्रैक्टर द्वारा पौध ढूलाई 12x30 c.m. दूरी 12 K.m. तक (जी.के.एन.बी.एस.आर वर्ष 2014 आइटम नम्बर 142 अ)	49070	49070	पौध	814	प्र.ह.पौध	39942.98
8	वृक्षारोपण स्थल से खड्डों तक पौध ढूलाई कार्य						
	(1) वृक्षारोपण स्थल से खड्डों तक सरभार से						
	(1) - 1 कि.मी.की दूरी तक पो.थे.साईज 12x30 cm	29000	29000	पौध	1.34	प्र.पौध	38860.00
	(2) - 2 कि.मी.की दूरी तक पो.थे.साईज 12x30 cm	20070	20070	पौध	2.00	प्र.पौध	40140.00
9	खड्डों का कीटनाशक व डीएपी खाद से उपचार						
	(1) समतल भूमि पर	29000	29000	खड्डा	0.51	प्र.ख	14790.00
	(2) पहाडी क्षेत्र में	20070	20070	खड्डा	1.11	प्र.ख	22277.70
10	पौधा रोपण करवाई (पो.थे.साईज 12x30 cm)						
	(1) समतल भूमि पर	29000	29000	पौध	5.30	प्र.पौध	153700.00
	(2) पहाडी क्षेत्र में	20070	20070	पौध	6.34	प्र.पौध	127243.80
11	रोपित पौधा का थावला बनाई						
	(1) अर्द्धचन्द्राकार थावला जिसका अर्द्ध व्यास कम से कम 50 से.मी. हो में	29000	29000	पौध	4.11	प्र.पौध	119190.00
	(2) पहाडी ढलानयुक्त क्षेत्र में विपरीत ढलान का थावला बनाई (50 से.मी.अर्द्धव्यास)जिसका अन्दर की तरफ ढलान कम से कम 20 से.मी.हो में	20070	20070	पौध	7.25	प्र.पौध	145507.50
11	थावलों पर तीन स्थान पर बीज सोईग करवाई	49070	49070	पौध	0.51	प्र.पौध	25025.70
12	रोपित पौधा की निवाई गुड़ाई करवाई व मिट्टी पटलवाई कम से कम 50 से.मी.अर्द्धव्यास में साथ थावला दुरस्त करवाई (दो बार)	49070	98140	पौध	4.92	प्र.पौध	482848.80
13	कन्दूर ट्रेंच व सीसीटी की रीज पर उगे पौधों की केवल निवाई करना दो बार	23530	47060	पौध	1.39	प्र.पौध	65413.40
14	रोपित पौधों की केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटवाई	49070	49070	पौध	2.39	प्र.पौध	117277.30
15	पौधों को युरिया खाद का डोज दिलवाई	49070	49070	पौध	0.67	प्र.पौध	32876.90
16	वृक्षारोपण में जीप जाने योग्य कच्चा निरक्षण पथ तैयार करना (3 मी. चौड़ाई)	760	760	र.मी.	404.43	प्र.10र.मी.	30736.68

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	इकाई	दर	प्र.पौघ	राशि
17	पौधों को पानी पिलाना 1 बार (जबकी पानी वृक्षारोपण स्थान पर उपलब्ध हो बाल्टी, मटका इत्यादी से कम से कम 15 लीटर)	36000	36000	पौघ	5.84	प्र.पौघ	210240.00
18	सागवान, तेन्दु, धौक, धावडा, रोंझ आदि के पुराने टेड़े-मेड़ पेड़ जो की कम से कम 50 पेड़/बुंठ 30 से.मी. गोलाई (धरातल) से अधिक तथा 50 पेड़ 30 से.मी. गोलाई (धरातल) से कम प्रति हैक्टर होंगे उनमे कट बेक करवाना [F.D. BSR-D-2-(I)]	15	15	Ha.	1355.28	प्र.है.	20329.20
19	0.4 से 0.8 के घनत्व का लेन्तना झाड़ीयों को प्रथम बार कुल्हाड़ी से काटकर जड़ों को मंकी जैक कर कुदाली से उखाड़ने का कार्य [F.D. BSR-D-13]	2.80	2.80	Ha.	32715.44	प्र.है.	91603.23
20	रिप्लैसमेंट हेतु 10 प्रतिशत पौध तैयारी पर व्यय	4907	4907	पौघ	6.90	प्र.पौघ	33858.30
21	गेट निर्माण कार्य एवं फिक्सींग कार्य		LS		LS		35000.00
22	रसायनिक खाद व किटनाशक दवाई कय		LS		LS		7000.00
23	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (3 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 936)	936	936	दिन	259	प्र.दिन	242424.00
24	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)				LS		4785.10
वृक्षारोपण कार्य (1-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-							3585000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (2-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	कैज्यूलिटी रिप्लैसमेंट हेतु पुनः खड्डा खुदवाई चिकनी दुमट मिट्टी में माप 0.45x0.45x0.45	9100	829.24	घ.मी.	70.19	प्र.घ.मी.	58204.18
2	अस्थायी पौधशाला में पौध का रख-रखाव पर व्यय	9100	9100	पौघ	2.50	प्र.पौघ	22750.00
3	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.2]						
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	100.00	84.00	घ.मी.	194.25	प्र.घ.मी.	16317.00
4	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.4-(II)]						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.	200.00	288	घ.मी.	63.86	प्र.घ.मी.	18391.68
5	अस्थायी पौधशाला से वृक्षारोपण साईट तक पौध डुलाई सर बोज दूरी 2 कि.मी.	9100	9100	पौघ	2.00	प्र.पौघ	18200
6	प्राईवेट वाहन से पौध भराई व खाली कराई साईज 12x30 c.m.	9100	9100	पौघ	0.79	प्र.पौघ	7189.00
7	अस्थायी पौधशाला से साईट तक ट्रेक्टर द्वारा पौध डूलाई 12x30 c.m. दूरी 12 K.m. तक (जी.के.एन.बी.एस.आर वर्ष 2014 आईटम नम्बर 142 अ)	9100	9100	पौघ	814	प्र.ह.पौघ	7407.40
8	खड्डों का किटनाशक से उपचार करना पहाड़ी क्षेत्र में	9100	9100	घ.मी.	1.11	प्र.घ.मी.	10101
9	पौध रोपित करना (मय स्थानिय परिवहन थैली को उपचारिक जल में भिगोना थैली को काटकर पौध रोपित करना एवं मिट्टी को दबाना पहाड़ी क्षेत्र में)	9100	9100	पौघ	6.34	प्र.पौघ	57694
10	पौधों को रसायनिक खाद देना	9100	9100	पौघ	0.67	प्र.पौघ	6097
11	पौधों की 50 से.मी. अर्द्ध व्यास में निदाई गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई व धावाला दुरस्त करवानी 12 बार	91000	182000	पौघ	4.92	प्र.पौघ	895440
12	पौधों को पानी पिलाना 1 बार (जबकी पानी वृक्षारोपण स्थान पर उपलब्ध हो बाल्टी, मटका इत्यादी से कम से कम 15 लीटर)	66000	66000	पौघ	5.84	प्र.पौघ	385440.00
13	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 1560)	1560	1560	दिन	259	प्र.दिन	404040.00
14	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)				LS		2728.74
वृक्षारोपण संधारण कार्य (2-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							1910000.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
वृक्षारोपण संधारण कार्य (2-वर्ष, पार्ट-बी)							
1	कैज्यूलिटी रिप्लेसमेंट हेतु पुनः खड्डा खुदवाई चिकनी दुमट मिट्टी में माप 0.45x0.45x0.45	4907	447.15	घ.मी.	70.19	प्र.घ.मी.	31385.48
2	अस्थायी पौधशाला में पौध का रख-रखाव पर व्यय	4907	4907	पौध	2.50	प्र.पौध	12267.50
3	नई खाई फेंसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSM-B- 2.4-(III)]						
1	खाई फेंसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	200.00	288	घ.मी	63.66	प्र.घ.मी.	18391.68
4	अस्थायी पौधशाला से वृक्षारोपण साईट तक पौध ढूलाई सर बोज दूरी 2 कि.मी.	4907	4907	पौध	2.00	प्र.पौध	9814.00
5	प्राइवेट वाहन से पौध भराई व खाली कराई साईज 12x30 c.m.	4907	4907	पौध	0.79	प्र.पौध	3876.53
6	अस्थायी पौधशाला से साईट तक ट्रेक्टर द्वारा पौध ढूलाई 12x30 c.m. दूरी 12 K.m. तक (जी.के.एन.बी.एस.आर वर्ष 2014 आईएम नम्बर 142 अ)	4907	4907	पौध	814	प्र.ह.पौध	3994.30
7	खड्डो का कितनाशक से उपचार करना पहाडी क्षेत्र में	4907	4907	घ.मी	1.11	प्र.घ.मी.	5446.77
8	पौध रोपित करना (मय स्थानिय परिवहन थैली को उपचारिक जल में भिगोना थैली को काटकर पौध रोपित करना एवं मिट्टी को ढबाना पहाडी क्षेत्र में।	4907	4907	पौध	6.34	प्र.पौध	31110.38
9	पौधों को रसायनिक खाद देना	4907	4907	पौध	0.67	प्र.पौध	3287.69
10	पौधों की 50 से.मी. अर्द्ध व्यास में निदाई गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई व थावाला दुरस्त करवानी । 2 बार	49070	98140	पौध	4.92	प्र.पौध.	482848.80
11	पौधों को पानी पिलाना 1 बार (जबकी पानी वृक्षारोपण स्थान पर उपलब्ध हो बाट्टी, मटका इत्यादी से कम से कम 15 लीटर	30000	30000	पौध	5.84	प्र.पौध	175200.00
12	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(3 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 936)	936	936	दिन	259	प्र.दिन	242424.00
13	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)		LS		LS		9952.87
वृक्षारोपण संधारण कार्य (2-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-							1030000.00

[illegible]

वृक्षारोपण संधारण कार्य (3-वर्ष, पार्ट-बी)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
वृक्षारोपण संधारण कार्य (4-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(I)-(II)-(IV) & 2.2] 3.3.-III						48951.00
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	300.00	252.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						402318.00
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	4375.00	6300	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग							64291.50
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	40950	40950	पौध	1.57	प्र.पौध	97870.50
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	40950	40950	पौध	2.39	प्र.पौध	404040.00
3	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 1560)	1560	1560	दिन	259	प्र.दिन	2529.00
4	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		1020000.00
5	वृक्षारोपण संधारण कार्य (4-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-						
वृक्षारोपण संधारण कार्य (4-वर्ष, पार्ट-बी)							
1	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						198262.31
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	2156.00	3104.64	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग							34668.74
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	22082	22082	पौध	1.57	प्र.पौध	52773.59
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	22081	22081	पौध	2.39	प्र.पौध	242424.00
2	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (3 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 936)	936	936	दिन	259	प्र.दिन	1871.36
3	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		530000.00
4	वृक्षारोपण संधारण कार्य (4-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-						
वृक्षारोपण संधारण कार्य (5-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(I)-(II)-(IV) & 2.2] 3.3.-III						70489.44
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	432.00	362.88	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						411054.05
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	4470.00	6436.8	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग							40003.60
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	25480	25480	पौध	1.57	प्र.पौध	91345.80
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	38220	38220	पौध	2.39	प्र.पौध	404040.00
3	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 1560)	1560	1560	दिन	259	प्र.दिन	3067.11
4	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		1020000.00
5	वृक्षारोपण संधारण कार्य (5-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-						
वृक्षारोपण संधारण कार्य (5-वर्ष, पार्ट-बी)							
1	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						214263.07
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	2330.00	3355.2	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग							21571.80
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	13740	13740	पौध	1.57	प्र.पौध	49255.51
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	20609	20609	पौध	2.39	प्र.पौध	242424.00
3	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (3 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 936)	936	936	दिन	259	प्र.दिन	2485.62
4	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		530000.00
5	वृक्षारोपण संधारण कार्य (5-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-						

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
वृक्षारोपण संधारण कार्य (6-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(I)-(II)-(IV) & 2.2] 3.3.-III						
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	420.00	352.80	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	68531.40
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(II)]						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	4633.00	6671.52	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	426043.27
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग							
3	I 2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	13650	13650	पौध	1.57	प्र.पौध	21430.50
	II 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	40950	40950	पौध	2.39	प्र.पौध	97870.50
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 1560)	1560	1560	दिन	259	प्र.दिन	404040.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		2084.33
वृक्षारोपण संधारण कार्य (6-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							1020000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (6-वर्ष, पार्ट-बी)							
1	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	2400.00	3456	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	220700.16
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग							
2	I 2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	7360	7360	पौध	1.57	प्र.पौध	11555.20
	II 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	22082	22082	पौध	2.39	प्र.पौध	52775.98
3	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (3 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 936)	936	936	दिन	259	प्र.दिन	242424.00
4	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		2544.66
वृक्षारोपण संधारण कार्य (6-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-							530000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (7-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(I)-(II)-(IV) & 2.2] 3.3.-III						
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	433.00	363.72	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	70652.61
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	4765.00	6861.6	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	438181.78
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग							
3	I 2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	4550	4550	पौध	1.57	प्र.पौध	7143.50
	II 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	40950	40950	पौध	2.39	प्र.पौध	97870.50
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 1560)	1560	1560	दिन	259	प्र.दिन	404040.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		2111.61
वृक्षारोपण संधारण कार्य (7-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							1020000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (7-वर्ष, पार्ट-बी)							
1	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(II)]						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	2485.00	3578.4	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	228516.62
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग							
2	I 2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	2454	2454	पौध	1.57	प्र.पौध	3852.78
	II 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	22081	22081	पौध	2.39	प्र.पौध	52773.59
3	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (3 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 936)	936	936	दिन	259	प्र.दिन	242424.00
4	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		2433.01
वृक्षारोपण संधारण कार्य (7-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-							530000.00


क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
वृक्षारोपण संधारण कार्य (8-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(I)-(II)-(IV) & 2.2] 3.3.-III						
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	445.00	373.80	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	72610.65
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	4725.00	6804	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	434503.44
3	प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग						
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	4550	4550	पौध	1.57	प्र.पौध	7143.50
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	40950	40950	पौध	2.39	प्र.पौध	97870.50
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक × 26 दिन × 12 माह = 1560)	1560	1560	दिन	259	प्र.दिन	404040.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		3831.91
वृक्षारोपण संधारण कार्य (8-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							1020000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (8-वर्ष, पार्ट-बी)							
1	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.	2485.00	3578.4	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	228516.62
2	प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग						
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	2454	2454	पौध	1.57	प्र.पौध	3852.78
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	22081	22081	पौध	2.39	प्र.पौध	52773.59
3	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (3 श्रमिक × 26 दिन × 12 माह = 936)	936	936	दिन	259	प्र.दिन	242424.00
4	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		2433.01
वृक्षारोपण संधारण कार्य (8-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-							530000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (9-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(I)-(II)-(IV) & 2.2] 3.3.-III						
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	435.00	365.40	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	70978.95
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.	4745.00	6832.8	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	436342.61
3	प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग						
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	4550	4550	पौध	1.57	प्र.पौध	7143.50
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	40950	40950	पौध	2.39	प्र.पौध	97870.50
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक × 26 दिन × 12 माह = 1560)	1560	1560	दिन	259	प्र.दिन	404040.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		3624.44
वृक्षारोपण संधारण कार्य (9-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							1020000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (9-वर्ष, पार्ट-बी)							
1	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.	2485.00	3578.4	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	228516.62
2	प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग						
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	2454	2454	पौध	1.57	प्र.पौध	3852.78
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	22081	22081	पौध	2.39	प्र.पौध	52773.59
3	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (3 श्रमिक × 26 दिन × 12 माह = 936)	936	936	दिन	259	प्र.दिन	242424.00
4	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		2433.01
वृक्षारोपण संधारण कार्य (9-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-							530000.00


क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
वृक्षारोपण संधारण कार्य (10-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(I)-(II)-(IV) & 2.2] 3.3.-III						73426.50
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	450.00	378.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(II)]						433307.98
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.	4712.00	6785.28	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	
प्रकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग							
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	4550	4550	पौध	1.57	प्र.पौध	7143.50
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	40950	40950	पौध	2.39	प्र.पौध	97870.50
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में			दिन	259	प्र.दिन	404040.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 1560)	1560	1560	दिन			4211.52
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		1020000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (10-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							
वृक्षारोपण संधारण कार्य (10-वर्ष, पार्ट-बी)							
1	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						227689.00
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.	2476.00	3565.44	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	
प्रकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग							
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	2454	2454	पौध	1.57	प्र.पौध	3852.78
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	22081	22081	पौध	2.39	प्र.पौध	52773.59
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	936	936	दिन	259	प्र.दिन	242424.00
3	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (3 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 936)		LS		LS		3260.63
4	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)						530000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (10-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-							
वृक्षारोपण संधारण कार्य (11-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(I)-(II)-(IV) & 2.2] 3.3.-III	466.00	391.44	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	76037.22
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना						
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						432112.52
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.	4699.00	6766.56	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	
प्रकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग							
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	4550	4550	पौध	1.57	प्र.पौध	7143.50
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	40950	40950	पौध	2.39	प्र.पौध	97870.50
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	1560	1560	दिन	259	प्र.दिन	404040.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (5 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 1560)						2796.26
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		1020000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (11-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							
वृक्षारोपण संधारण कार्य (11-वर्ष, पार्ट-बी)							
1	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(III)]						227597.04
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.	2475.00	3564	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	
प्रकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग							
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	2454	2454	पौध	1.57	प्र.पौध	3852.78
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	22081	22081	पौध	2.39	प्र.पौध	52773.59
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	936	936	दिन	259	प्र.दिन	242424.00
3	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (3 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 936)						3352.59
4	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		530000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (11-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-							


क्र.सं.			कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
वृक्षारोपण संधारण कार्य (12-वर्ष, पार्ट-ए)									
1	फैन्सिंग कार्य								
	I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(I)-(II)-(IV) & 2.2] 3.3.-III							
	I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना		435.00	365.40	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी	70978.95
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(II)]								
	I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.		4750.00	6840	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी	436802.40
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग									
3	I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में		4550	4550	पौध	1.57	प्र.पौध	7143.50
	II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में		40950	40950	पौध	2.39	प्र.पौध	97870.50
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(5 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 1560)			1560	1560	दिन	259	प्र.दिन	404040.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल,बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)				LS		LS		3164.65
वृक्षारोपण संधारण कार्य (12-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-									1020000.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (12-वर्ष, पार्ट-बी)									
1	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(III)-(IV)-(V) & 2.4-(II)]								
	I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.		2489.00	3584.16	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी	228884.46
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग									
2	I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में		2454	2454	पौध	1.57	प्र.पौध	3852.78
				22081	22081	पौध	2.39	प्र.पौध	52773.59
	II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में							
				936	936	दिन	259	प्र.दिन	242424.00
3	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(3 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 936)								
					LS		LS		2065.16
4	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)								
वृक्षारोपण संधारण कार्य (12-वर्ष, पार्ट-बी) योग :-									529999.99
महायोग पार्ट-ए (0-वर्ष से 12 वर्ष) योग :-									2592999.99
महायोग पार्ट-बी (0-वर्ष से 12 वर्ष) योग :-									15030000.01
महायोग (पार्ट-ए एवं बी) के कार्यों का (0-वर्ष से 12 वर्ष) योग :-									40960000.00
ओर से :-									4,09,60,000


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यय अनुमान में अंकित दरें श्रीमान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा स्वीकृत बी.एस.आर. के पत्रांक 4507-40 दिनांक 07-07-2022 एवं 5057-88 दिनांक 21-07-2022 के अनुसार है ।


उप वन संरक्षक
बाँसवाड़ा


लेखाकार
बाँसवाड़ा


सहायक वन संरक्षक
बाँसवाड़ा


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
घाटोल

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाडा

विस्तृत व्यय प्रावकलन

कार्य पर होने वाले विस्तृत विवरण वर्ष 2023-24		नामवृत्त प. वृत्त, उदयपुर	
नाम वन मण्डल : बांसवाडा		स्वीकृत राशि :	
स्वीकृत क्रमांक :		नाम योजना : Campa	
बजट मद जिसमें व्यय होगा :		मॉडल : D.F.L.	
क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
1	नाम राजस्व जिला - बांसवाडा	2	नाम रेन्ज - बांसवाडा
3	नाम तहसील - छोटी सरवन	4	नाम पंचायत समिति - छोटी सरवन
5	नाम कार्य - रिछड़ापाड़ा (तेजपुर) पार्ट- ए	6	नाम वन खण्ड - बाबादेव खजुरी ए
7	क्षेत्रफल - 94 Ha.	8	नाम ग्राम :- रिछड़ापाड़ा
9	किस्म कार्य- अग्रिम मृदा, वृक्षारोपण एवं संधारण कार्य	10	V.F.P.M.C. - खोरापाड़ा तेजपुर
11	अग्रिम मृदा कार्य वर्ष - 2023-24	12	वृक्षारोपण कार्य वर्ष - 2024-25
13	वृक्षारोपण संधारण कार्य वर्ष - 2025-26	14	Part- A
कम्पार्टमेन्ट नम्बर :- 4		पेरामीटर -	4700.00 र.मी.
1		नई पत्थर दीवार -	1100.00 र.मी.
-		पत्थर दीवार मरम्मत -	0.00 र.मी.
		फैन्सिंग मरम्मत (कॉमन)-	1000.00 र.मी.
		नई खाई फैन्सिंग -	2600.00 र.मी.

अग्रिम मृदा कार्य :- (0 वर्ष - पार्ट- ए)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साड़ा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान		86	है.	655	प्र.है.	56330.00
2	सर्वे एवं ले आउट (लाईन विलयरेस सहीत) [F.D. BSR-B-1-(i)]	86.00	86.00	है.	163.17	प्र.है.	14032.62
3	क्षेत्र में लगभग 2 है. से 2.5 है. साईज के उपखण्ड बनाना एवं उन पर पत्थर गाड़कर पैन्ट से लिखकर सिमांकन करना [F.D. BSR-B-1-(ii)]	86.00	86.00	है.	223.52	प्र.है.	19222.72
4	अस्थाई/स्थाई नर्सरी में पौध तैयार PB 12x30 cm (10% more)	66220	66220	पौध	4.00	प्र.पौध	264880.00
5	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(iii) & 2.2] 3.3.-iii						
II	200 मीटर से कम दूरी पर उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर	500.00	420.00	घ.मी	388.50	प्र.घ.मी.	163170.00
III	200 मी. से 500 मी. दूरी के बिच उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर	400.00	336.00	घ.मी	423.87	प्र.घ.मी	142420.32
IV	500 मीटर से अधिक दूरी पर उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर	200.00	168.00	घ.मी	468.15	प्र.घ.मी.	78649.20
	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	0.00	0.00	घ.मी	168.75	प्र.घ.मी.	0.00
	पत्थर की दिवार की सतह पर मिट्टी की 3 से.मी. अथवा अधिक मोटी परत जमाना	1100.00	1100.00	र.मी	14.11	प्र.र.मी.	15521.00
6	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(ii)]						
I	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स हों	1400.00	2016	घ.मी	155.40	प्र.घ.मी.	313286.40
II	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स हों	1000.00	1440	घ.मी	215.36	प्र.घ.मी.	310118.40
III	कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	600.00	864	घ.मी	232.45	प्र.घ.मी.	200836.80
IV	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.	600.00	864	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	55175.04


जिम्मेदार
उप वन संरक्षक, बांसवाडा

1 एस.जी.टी. खोदने हेतु 5 से 7.5 से.मी. गहराई का दाग बेलींग कार्य 3 लाईनों में (3 No. x 10 m. = 30 m.) F.D. BSR, B-3.1-(ii)		750	22500	र.मी.	1.06	प्र.र.मी.	23850.00
एस0जी0टी0 खोदना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र— (1.05+0.45)/2x 0.60 वर्ग मीटर, खुदी हुई मिट्टी को बाहर निकालकर, ढलान के नीचे की ओर देच के साथ, कंकर पत्थर अलग कर माऊण्ड बनाना							
(i)- 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स युक्त कठोर चिकनी मिट्टी में [Departmental BSR, B-3.2(iii)]		300	1350	घ.मी.	154.89	प्र.घ.मी.	209101.50
(ii)- 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स युक्त कठोर चिकनी मिट्टी में [Departmental BSR, B-3.2(iv)]		450	2025	घ.मी.	215.37	प्र.घ.मी.	436124.25
8 1 सी.सी.टी. खोदने हेतु 5 से 7.5 से.मी. गहराई का दाग बेलींग कार्य 3 लाईनों में (3 No. x 5 m. = 15 m.) F.D. BSR, B-3.1-(ii)		1200	18000	र.मी.	1.06	प्र.र.मी.	19080.00
सी0सी0टी0 खोदना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र— (1.70+0.50)/2x 0.60 वर्ग मीटर, खुदी हुई मिट्टी को बाहर निकालकर, ढलान के नीचे की ओर देच के साथ, कंकर पत्थर अलग कर माऊण्ड बनाना							
(i)- 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स युक्त कठोर चिकनी मिट्टी में [F.D. BSR, B-3.2(iii)]		500	1650	घ.मी.	154.89	प्र.घ.मी.	255568.50
(ii)- 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स युक्त कठोर चिकनी मिट्टी में [F.D. BSR, B-3.2(iv)]		700	2310	घ.मी.	215.37	प्र.घ.मी.	497504.70
I डीप सी.सी.टी. खोदने हेतु 5 से 7.5 से.मी. गहराई का दाग बेलींग कार्य 3 लाईनों में (3 No. x 10 m. = 30 m.) F.D. BSR, B-3.1-(ii)		150	4500	र.मी.	1.06	प्र.र.मी.	4770.00
Deep CCT खुदाई कार्य मय भराई, खाली कराई व खुदी हुई मिट्टी का निष्पादन प्रारम्भिक लोड 50 मी. व उठान 1.5 मी., निष्पादित मिट्टी को समतल या दरेसी करना, (i)- मशीन द्वारा— c/s- 0.50m x 1.00m=0.50 Sqm							
(अ) साधारण मिट्टी, कंकर/बोल्डर, मुरम (BSR, WRD, Part-A, Item No.-1-c,p-12)		100	500	घ.मी.	87.00	प्र.घ.मी.	43500.00
(ब) नरम/विघटित चट्टान युक्त मिट्टी में (BSR, WRD, Part-A, Item No.-2-a,p-13)		50	250	घ.मी.	118.00	प्र.घ.मी.	29500.00
10 खड्डे खुदाई कार्य— [F.D. BSR-B-3.1-(i)]							
I खड्डे खुदाई हेतु दागबेल देना		25800	25800	खड्डे	1.06	प्र.खड्डा	27348.00
* खड्डे खुदाई साईज 45x45x45xcm [F.D. BSR-B-5.1-(iv)-(v)-(vi)]							
I कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स में		10200	929.48	खड्डे	171.72	प्र.खड्डा	159609.45
II कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्टर्स में		11000	1002.38	खड्डे	235.18	प्र.खड्डा	235738.55
III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो		4800	419.175	खड्डे	261.08	प्र.खड्डा	109438.21
-11 श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (1 श्रमिक 4 माह)		104	104	दिन	259	प्र.दिन	26936.00
12 कैटलगार्ड हट निर्माण कार्य		1	1	नं.	LS	नं.	30000.00
13 बीज एकत्रीकरण			LS		LS		30000.00
14 साईन बोर्ड क्रय करना एवं साईट पर लगाना।			LS		LS		10000.00
15 गेट निर्माण हेतु पिल्लर्स निर्माण कार्य			LS		LS		20000.00
16 बाऊण्ट्री पिल्लर्स निर्माण कार्य		100	100	नं.	11000	प्र. पिल्लर	110000.00
17 अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, औजार अन्य आदि व्यय)					LS		35000.00
प्रशासनिक व्यय			LS		LS		363288.34
अग्रिम मृदा कार्य (0 वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							5300000.00

जिम्मेदार शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

वृक्षारोपण कार्य (1-वर्ष, पार्ट-ए)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान		86	है.	73	प्र.है.	6278.00
2	अस्थायी पौधशाला में पौध का रख-रखाव पर व्यय	66220	66220	पौध	2.50	प्र.पौध	165550.00
	खड्डे खुदाई कार्य- [F.D. BSR-B-3.1-(i)]						
	I खड्डे खुदाई हेतु दागबेल देना	34400	34400	खड्डे	1.06	प्र.खड्डा	36464.00
3	* खड्डे खुदाई साईज 45x45x45xcm [F.D. BSR-B-5.1-(iv)-(v)-(vi)]						
	I कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स में	12000	1093.50	खड्डे	171.72	प्र.खड्डा	187775.82
	II कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्टर्स में	12400	1129.95	खड्डे	235.18	प्र.खड्डा	265741.64
	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	10000	911.25	खड्डे	261.08	प्र.खड्डा	237909.15
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की पत्थर कि दिवार के अन्दर की ओर Live hedge fancing हेतु दिवार से 0.30 मी. दुर 0.30मी. x 0.30मी अनुप्रस्थ काट की नाली, खोदना एवं खोदी गई मिट्टी को कंकर - पत्थर अलग कर दिवार कि ओर माउन्ड बनाना [F.D. BSR-B-3.3-(ii)]						
	कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्टर्स में	1100	99	घ.मी	215.37	प्र.घ.मी.	21321.63
5	चेकडेम निर्माण - ड्राई रेण्डम रबल पत्थर की सूखी चुनाई, पत्थर खोदकर, तोडकर चुनना (वोर्ड्स सहीत) [F.D. BSR-B-4]	170	170	घ.मी	271.31	प्र.घ.मी.	46122.70
	नाडी बनाना	2					200000.00
6	बीज सोईग कार्य :- FD BSR Part-C Iteam No. - 1-ii						
	(1) खाई फेसिंग पर चार लाईनों में [3600X4]	14400					
	(2) स्टॉन वाल के सहारे एक लाईनों में [1100X1]	1100					
	(3) एसजीटी की रीज पर (750 नंग x 3 लाईन x 10मी. ल.)	22500					
	(4) सीसीटी की रीज पर (1200 नंग x 3 लाईन x 5 मी. ल.)	18000					
	(5) डीपसीसीटी की रीज पर (150 नंग x 3 लाईन x 10 मी. ल.)	4500					
	योग :-	60500	60500	र.मी.	0.94	प्र.र.मी.	56870.00
7	प्राईवेट वाहन से पौध भराई व खाली कराई साईज 12x30 c.m. FD BSR Part-C Iteam No. - 4-iii	66220	66220	पौध	0.79	प्र.पौध	52313.80
8	अस्थायी पौधशाला से साईट तक ट्रेक्टर द्वारा पौध दूलाई 12x30 c.m. दूरी 22 K.m. तक (जी.के.एन.बी.एस.आर वर्ष 2014 आइटम नम्बर 142 अ)	66220	66220	पौध	1134	प्र.ह.पौध	75093.48
9	वृक्षारोपण स्थल से खड्डो तक पौध दूलाई कार्य FD BSR Part-c Iteam No. - 2.1-iii						
	वृक्षारोपण स्थल से खड्डों तक सरभार से						
	(1) 1 कि.मी.की दुरी तक पो.थे.साईज 12x30 cm	35000	35000	पौध	1.34	प्र.पौध	46900.00
	(2) 2 कि.मी.की दुरी तक पो.थे.साईज 12x30 cm	31220	31220	पौध	1.95	प्र.पौध	60879.00
8	खड्डों का कीटनाशक व डीएपी खाद से उपचार FD BSR Part-c Iteam No. - 12-1 II						
	(1) समतल भूमि पर	35000	35000	खड्डा	0.51	प्र.ख	17850.00
	(2) पहाडी क्षेत्र में	31220	31220	खड्डा	1.11	प्र.ख	34654.20
9	पौधा रोपण करवाई (पो.थे.साईज 12x30 cm Part-C -13.1-i, 13.2-i)						
	(1) समतल भूमि पर	35000	35000	पौध	5.30	प्र.पौध	185500.00
	(2) पहाडी क्षेत्र में	31220	31220	पौध	6.34	प्र.पौध	197934.80
	रोपित पौधा का थावला बनाई Part-c Iteam No. - 16- i, II						
	(1) रोपित पौधो के चारो ओर अर्द्धचन्द्राकार थावला जिसका अर्द्ध व्यास कम से कम 50 से.मी. हो में	35000	35000	पौध	4.11	प्र.पौध	143850.00
	(2) पहाडी ढलानयुक्त क्षेत्र में विपरीत ढलान का थावला बनाई (50 से.मी. अर्द्धव्यास)जिसका अन्दर की तरफ ढलान कम से कम 20 से.मी.हो में	31220	31220	पौध	7.25	प्र.पौध	226345.00


जिगजेश शर्मा
 संरक्षक, बांसवाड़ा

11	धावलॉ पर तीन स्थान पर बीज सोईग करवाई Part-c-1-i	66220	66220	पौध	0.51	प्र.पौध	33772.20
12	रोपित पौधा की निदाई गुड़ाई करवाई व मिट्टी पटलवाई कम से कम 50 से.मी.अर्द्धव्यास में साथ थावला दुरस्त करवाई (दो बार) Part-c Item No. - c-19-i	66220	132440	पौध	4.92	प्र.पौध	651604.80
13	एसजीटी, व सीसीटी एवं डीपी सीसीटी /खाई फेन्सिंग /पत्थर किं दिवार के सहारे रीज पर उगे पौधों की केवल निदाई गुड़ाई करना एक बार Part-c Item No. - c-19-iii	19700	19700	पौध	1.40	प्र.र.मी	27580.00
14	रोपित पौधों की केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पटलवाई Part-c Item No. - c-19-ii	66220	66220	पौध	2.39	प्र.पौध	158265.80
15	पौधों को गुरिया खाद का डोज दिलवाई Part-c Item No. - c-14	66220	66220	पौध	0.67	प्र.पौध	44367.40
16	वृक्षारोपण में जीप जाने योग्य कच्चा निरक्षण पथ तैयार करना (3 मी. चौड़ाई) Part-c Item No. - B-7 i	1500	1500	र.मी.	404.43	प्र.10र.मी.	60664.50
17	पौधों को पानी पिलाना 1 बार (जबकी पानी वृक्षारोपण स्थान पर उपलब्ध हो वाल्टी, मटका इत्यादी से कम से कम 15 लीटर Part-c Item No. - C-18 i	66200	66200	पौध	5.84	प्र.पौध	386608.00
18	रिप्लैन्मेंट हेतु 10 प्रतिशत पौध तैयारी पर व्यय	7285	7285	पौध	3.94	प्र.पौध	28702.90
19	0.4 से 0.8 के घनत्व का लेन्टाना झाड़ीयों को प्रथम बार कुल्हाडी से काटकर जड़ों को मंकी जैक कर कुदाली से उखाड़ने का कार्य [F.D. BSR-D-13]	5	5.00	Ha.	32715.44	प्र.है.	163577.20
20	रसायनिक खाद व किटनाशक दवाई कय		LS		LS		30000.00
21	वृक्षारोपण क्षेत्र में पौधों पर किटनाशक दवा से छिड़काव करना Part-c Item No. - C-15	66200	66200	पौध	1.18	प्र.पौध	78116.00
22	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (1 श्रमिक X 26 दिन X 12 माह = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन	80808.00
23	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल,विजली बिल ,अन्य आदि व्यय)				LS		30196.98
24	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		360383.00
वृक्षारोपण कार्य (1-वर्ष,) योग :-							4400000.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (2-वर्ष,)

1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो पलान		86	है.	73	प्र.है.	6278.00
2	कैज्यूलिटी रिप्लेसमेन्ट हेतु पुनः खड़डा खुदवाई घिकनी दुमट मिट्टी में माप 0.45x0.45x0.45 [F.D. BSR-B-5.2 (ii)]	6020	548.57	घ.मी.	70.19	प्र.घ.मी.	38504.30
	अस्थायी पौधशाला में पौध का रख-रखाव पर व्यय	6020	6020	पौध	2.15	प्र.पौध	12943.00
4	फैन्सिंग कार्य						
	I पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80x0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.2]						
	I पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	100.00	84.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	16317.00
5	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50x0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.4- (ii)]						
	I खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50x0.90/2x1.20 मी.	360.00	518.4	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	33105.02
6	अस्थायी पौधशाला से वृक्षारोपण साईट तक पौध डुलाई सर बोज दूरी 2 कि. मी.	6020	6020	पौध	1.95	प्र.पौध	11739
7	प्राईवेट वाहन से पौध भरवाई व खाली कराई साईज 12x30 c.m. [F.D. BSR-C-4-(iii)]	6020	6020	पौध	0.79	प्र.पौध	4755.80
8	अस्थायी पौधशाला से साईट तक ट्रेक्टर द्वारा पौध डुलाई 12x30 c.m. दूरी 22 K.m. तक (जी.के.एन.बी.एस.आर वर्ष 2014 आईटम नम्बर 142 अ)	6020	6020	पौध	1134	प्र.ह.पौध	6826.68
9	खड़डों का किटनाशक से उपचार करना पहाडी क्षेत्र में [F.D. BSR-C-12- (ii)]	6020	6020	घ.मी	1.11	प्र.घ.मी.	6682

जिगेनश शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

10	पौध रोपित करना (मय स्थानिय परिवहन थैली को उपचारिक जल में भिगोना थैली को काटकर पौध रोपित करना एवं मिट्टी को दबाना पहाड़ी क्षेत्र में। [F.D. BSR-C-13.2-(i)]	6020	6020	पौध	6.34	प्र.पौध	38166.8
11	पौधों को रसायनिक खाद देना [F.D. BSR-C-14]	6020	6020	पौध	0.67	प्र.पौध	4033.4
12	पौधों की 50 से.मी. अर्द्ध व्यास में निदाई गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई व थावाला दुरस्त करवानी । 1 बार [F.D. BSR-C-19.(i)]	66220	66220	पौध	4.92	प्र.पौध.	325802.4
13	पौधों की 50 से.मी. अर्द्ध व्यास में केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई व थावाला दुरस्त करवानी । 1 बार [F.D. BSR-C-19.(ii)]	66220	66220	पौध	2.39	प्र.पौध.	158265.8
14	पौधों को पानी पिलाना 1 बार (जबकी पानी वृक्षारोपण स्थान पर उपलब्ध हो वाल्टी, मटका इत्यादी से कम से कम 15 लीटर [F.D. BSR-C-18(i)]	66200	66200	पौध	5.84	प्र.पौध	386608.00
15	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)	50000	50000	पौध	1.18	प्र.पौध	59000.00
16	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)	312	312	दिन	259	प्र.दिन	80808.00
17	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		113520.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (2-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							1326000.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (3-वर्ष,)

1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान फैंसिंग कार्य		86	है.	73	प्र.है.	6278.00
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	65268.00
2	नई खाई फैंसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(ii)]						
I	खाई फैंसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	800.00	1152	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	73566.72
3	प्राकृतिक/ रोपित पेड़ों में पुर्निंग/ब्रंच कटिंग [F.D. BSR-D-1-(i),(ii)]						
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	30200	30200	पौध	1.57	प्र.पौध	47414.00
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.39	प्र.पौध	71700.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन	80808.00
	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		17625.28
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (3-वर्ष,) योग :-							415000.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (4-वर्ष,)


1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान फैंसिंग कार्य		86	है.	73	प्र.है.	6278.00
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	65268.00
2	नई खाई फैंसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(ii)]						
I	खाई फैंसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	800.00	1152	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	73566.72
3	प्राकृतिक/ रोपित पेड़ों में पुर्निंग/ब्रंच कटिंग [F.D. BSR-D-1-(i),(ii)]						
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.57	प्र.पौध	54950.00
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	25200	25200	पौध	2.39	प्र.पौध	60228.00

जिम्मेदार शाखा
वन संरक्षक, बांसवाड़ा

4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन	80808.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		17625.28
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (4-वर्ष,) योग :-							411064.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (5-वर्ष,)							
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान फैनसिंग कार्य		86	है.	73	प्र.है.	6278.00
	I पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
	I पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	65268.00
2	नई खाई फैनसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(iii)]						
	I खाई फैनसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	800.00	1152	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	73566.72
3	प्राकृतिक/ रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग [F.D. BSR-D-1-(i),(ii)]						
	I 2' मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	40000	40000	पौध	1.57	प्र.पौध	62800.00
	II 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	20000	20000	पौध	2.39	प्र.पौध	47800.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन	80808.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		17625.28
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (5-वर्ष,) योग :-							406486.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (6-वर्ष,)							
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान फैनसिंग कार्य		86	है.	73	प्र.है.	6278.00
	I पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
	I पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	65268.00
2	नई खाई फैनसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(iii)]						
	I खाई फैनसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	800.00	1152	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	73566.72
3	प्राकृतिक/ रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग [F.D. BSR-D-1-(i),(ii)]						
	I 2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	40000	40000	पौध	1.57	प्र.पौध	62800.00
	II 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	0	0	पौध	2.39	प्र.पौध	0.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन	80808.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		17625.28
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (6-वर्ष,) योग :-							358686.00


उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

वृक्षारोपण संधारण कार्य (7-वर्ष, पार्ट-ए)		86	है.	73	प्र.है.	6278.00
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान फैन्सिंग कार्य					
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii					
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी. 65268.00
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(iii)]					
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	800.00	1152	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी. 73566.72
3	प्राकृतिक/ रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग [F.D. BSR-D-1-(i),(ii)]					
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	45000	45000	पौध	1.57	प्र.पौध 70650.00
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	0	0	पौध	2.39	प्र.पौध 0.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन 80808.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)		LS		LS	17625.28
6	प्रासासनिक व्यय 10%		LS		LS	52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (7-वर्ष,) योग :-						366536.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (8-वर्ष, पार्ट-ए)		86	है.	73	प्र.है.	6278.00
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान फैन्सिंग कार्य					
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii					
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी. 65268.00
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(iii)]					
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	800.00	1152	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी. 73566.72
	प्राकृतिक/ रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग [F.D. BSR-D-1-(i),(ii)]					
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	48000	48000	पौध	1.57	प्र.पौध 75360.00
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	0	0	पौध	2.39	प्र.पौध 0.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन 80808.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)		LS		LS	17625.28
6	प्रासासनिक व्यय 10%		LS		LS	52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (8-वर्ष,) योग :-						371246.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (9-वर्ष,)		86	है.	73	प्र.है.	6278.00
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान फैन्सिंग कार्य					
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii					
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी. 65268.00
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(iii)]					

उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

1	खाई फैंसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	800.00	1152	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	73566.72
3	प्राकृतिक/ रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग [F.D. BSR-D-1-(i),(ii)]						
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में						78500.00
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	50000	50000	पौध	1.57	प्र.पौध	0.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 312)	0	0	पौध	2.39	प्र.पौध	80808.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)	312	312	दिन	259	प्र.दिन	17625.28
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (9-वर्ष,) योग :-							374386.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (10-वर्ष, पार्ट-ए)							6278.00
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान	86	है.	73	प्र.है.		
	फैंसिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						65268.00
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	
2	नई खाई फैंसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(iii)]						73566.72
I	खाई फैंसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	800.00	1152	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	
3	प्राकृतिक/ रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग [F.D. BSR-D-1-(i),(ii)]						78500.00
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	50000	50000	पौध	1.57	प्र.पौध	0.00
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	0	0	पौध	2.39	प्र.पौध	80808.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन	17625.28
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)		LS		LS		52340.00
	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		
वृक्षारोपण संधारण कार्य (10-वर्ष,) योग :-							374386.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (11-वर्ष, पार्ट-ए)							6278.00
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान	86	है.	73	प्र.है.		
	फैंसिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						65268.00
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.	
2	नई खाई फैंसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(iii)]						73566.72
I	खाई फैंसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	800.00	1152	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.	
3	प्राकृतिक/ रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग [F.D. BSR-D-1-(i),(ii)]						0.00
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	0	0	पौध	1.57	प्र.पौध	0.00
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	0	0	पौध	2.39	प्र.पौध	80808.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन	17625.28
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)		LS		LS		52340.00
	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		
वृक्षारोपण संधारण कार्य (11-वर्ष,) योग :-							295886.00

जिगेंदेश शर्मा
वन संरक्षक, बांसवाड़ा

6	प्रशासनिक व्यय 10%		LS		LS		योग :-	52340.00
				LS			योग :-	295886.00
		वृक्षारोपण संधारण कार्य (11-वर्ष,)						
1.	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान फैंसिंग कार्य	वृक्षारोपण संधारण कार्य (12-वर्ष,)		86	हे.	73	प्र.हे.	6278.00
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii							
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	194.25	प्र.घ.मी.		65268.00
2	नई खाई फैंसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(iii)]							
I	खाई फैंसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	800.00	1152	घ.मी	63.86	प्र.घ.मी.		73566.72
3	प्राकृतिक/ रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग [F.D. BSR-D-1-(I),(II)]							
I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	0	0	पौध	1.57	प्र.पौध		0.00
II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	0	0	पौध	2.39	प्र.पौध		0.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना (1 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 312)	312	312	दिन	259	प्र.दिन		80808.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS			22063.00
6	प्रशासनिक व्यय 10%		LS		LS			52340.00
		वृक्षारोपण संधारण कार्य (12-वर्ष,) योग :-						
		महायोग पार्ट-ए (0-वर्ष से 12 वर्ष) योग :-						
		ओर से :-						
		1,47,00,000						

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यय अनुमान में अंकित दरें श्रीमान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा स्वीकृत बी.एस.आर. के पत्रांक 5036-68 दिनांक 24-08-2021 एवं जीकेएन बीएसआर-2014 बांसवाड़ा के अनुसार है।

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा

लेखाकार
बांसवाड़ा

राज्य वन संरक्षक
बांसवाड़ा (अ.न.व.न.)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

जिगनेश शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा



Reports

View Remarks on Polygons Uploaded by States

Use to download KML File

State* : Rajasthan

Circle : CIRCLE UDAIPUR (CCF UDAIP

Division : DCF Banswara

Range : - Select All -

Site Type* : CA Land

GPS ID :

BMSV
कैप्चा कोड प्रविष्ट करें.

View Sites for which polygons uploaded

GPS ID	Updated On	Updated By	State	Division	Range	Site/Work/Asset Name	Area(In Ha.)	Download
15611	26/12/2023 15:49:00	DFODCF Banswara	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE BANSWARA	sarvan deri part b	100.050	
26652	26/12/2023 15:39:00	DFODCF Banswara	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE BANSWARA	teipur	94.000	
26651	26/12/2023 15:32:00	DFODCF Banswara	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE GHATOL	jagmer jogimaal	210.000	
88217	06/11/2023 11:56:00	Administrator	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE BANSWARA	KALYANPURA	50.000	
87580	12/10/2023 17:35:00	DFODCF Banswara	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE BANSWARA	Kalakhait B - 60 Ha.	60.000	
87572	12/10/2023 16:42:00	DFODCF Banswara	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE BANSWARA	Forest Block Kalakhait (Kundal)	64.000	
75743	06/12/2023 10:14:00	DFODCF Banswara	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE BANSWARA	MEDIMAL BHANDAR (GHATI PADA B.)	50.000	
87481	10/10/2023 12:15:00	Administrator	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE GHATOL	Umarjhala Pathara (Dagal) SP (RDF-II)	50.000	
87480	10/10/2023 12:13:00	Administrator	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE GHATOL	Vadita Hilej (Chundai) Part-2 SP (RDF-II)	50.000	
87479	10/10/2023 12:10:00	Administrator	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE GHATOL	Garjiya Mangara (Khakariya Gara) SP (RDF-II)	50.000	
87478	10/10/2023 12:12:00	Administrator	Rajasthan	DCF Banswara	RANGE GHATOL	Jagmer Jogimal C.N.-11 (Mahuwal) SP (RDF-I)	50.000	

Verified
(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Nuclear Power Corporation of India Limited

(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)

माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना

Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001

P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001

(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/

08.11.2023

To,

Deputy Conservator of Forests,

Banswara,

Rajasthan

Sub : Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project. (MBRAPP)-1 to 4 – **Submission of compliance to in-principle / Stage-1 approval.**

Ref : Letter No. F. 14(98/10)2016/FCA/PCCF/7886 dtd. 13.10.23

With respect to subject above and letter at Ref, the following is our point wise submission.

(4) Point No (viii) - Present status and approved R&R plan to be enclosed. Undertaking shall be enclosed to the effect that prior to project, R&R plan will be implemented as per Government of Bharat guidelines.

NPCIL deposited the full amount with state government for land award as well as R&R award. These awards have been disbursed to the beneficiaries.


Total 128 families opted for house allotment in R&R colony. NPCIL has finished construction of R&R colony as per Rajasthan government policy in consonance with National R&R policy. The newly constructed R&R colony has been offered by NPCIL to state government for allotment to beneficiaries. State government is in the process of allotment of houses.

Rajasthan Government approval of award including R&R have been enclosed as **Annexure-A**. Revised undertaking for R&R implementation is also enclosed.

(5) Point No (x) –FRA certificate doesn't contain minutes of meeting of Lalpur, Vank proposed forest area and certification of proposed forest land is less in Rel and Sajwania. It is proposed to submit District level, Sub Division level & village level minutes of meeting and certification according to proposed forest land.

Minutes of meetings held under FRA for villages Lalpura and Vank have been enclosed herewith as **Annexure-B**.

After review, it is found that area certification by gram panchayat is matching with the forest area proposed to be diverted.


जिगनेश शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक: प.16(6)ऊर्जा/2012

जयपुर दिनांक: 10-5-16

उपखण्ड अधिकारी,
(भूमि अवाप्ति अधिकारी),
बांसवाड़ा।

विषय: — सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 4x700 मेगावाट परियोजना हेतु निजी खाते की अवाप्त योग्य भूमि का हितबद्ध व्यक्तियों को देय मुआवजा राशि के अवार्ड के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक अवाप्ति/2014/SP-1 दिनांक 25.04.2016 के कम में माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट 4X700 के निर्माण हेतु भूमि के मुआवजा राशि परिशिष्ट "क" और आरएण्डआर को विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार हितबद्ध व्यक्तियों को राशि भुगतान करने की राज्य सरकार की स्वीकृति निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्देशानुसार प्रदान की जाती है।

	रूपये
1. भूमि के अवार्ड की मुआवजा राशि	2811021505/-
2. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की मुआवजा	1342048000/-
3. पुजीगत मूल्य	200300/-
4. कुल अवार्ड राशि	4153269805/-
5. पूर्व में अनुमोदित अवार्ड की कुल राशि	4159352128/-
6. शेष राशि	6082323/-


राज्य सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदित अवार्ड की शेष राशि रु. 6082323/- (अक्षरे रूपये साठ लाख बत्तारसी हजार तीन सौ तेईस मात्र) भविष्य के लिये अवार्ड से सम्बन्धित किसी भी कार्य हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी के खाते में जमा रहेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अंतिम अवार्ड की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर राज्य सरकार को की गई कार्यवाही से अवगत कराने का अम करें।


भवदीय,


(गोपाल जसोरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को उनके पत्र क्रमांक 382 दिनांक 18.02.2016 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



शासन उप सचिव


जिगनेश शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

Annexure-4



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023

- Sub :** Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.
- Ref :** 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (viii)

We hereby undertake that, R&R plan for Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP) - 1 to 4 of Nuclear Power Corporation of India Ltd., has been prepared as per R&R policy of state government in consonance with national R&R policy. Amount of R&R award has been deposited with state government and the same has been disbursed to all the beneficiaries. R&R colony for PAFs to be displaced is completely ready.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area

NPV : Net Present Value;

To be Verified

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

Challan Generated

: This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid

: This icon shows that the payment yet to be made.

Paid

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :	Jaipur	Select State :	Rajasthan
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	<input checked="" type="radio"/> Paid <input type="radio"/> Unpaid <input type="radio"/> All		
Bank Name :	--Select All--	Mode of Payment :	--Select All--
Transaction Date (From) :		Transaction Date (To) :	
Enter value for Search :	22621		
SEARCH			

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/Others/22621/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/Others/22621/2016) Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (MBRAP)-1 to 4	OTHERS226212016395	12 May 2023	CA: 55660000/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 122920430/- Total : 178580430/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 22 Aug 2023 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 22 Aug 2023 Transaction Date 23 Aug 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/180820231526172508_FPRJOthers226212016_User_Fund_Demand) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS226212016395)




(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Verified
by

(विनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाडा (राज.)

क्रमांक/राजस्व/फर 6) 280/2017/3942

दिनांक :- 1/12/2017

मुख्य अभियन्ता
एन.पी.सी.आई.एल. बांसवाडा।

विषय:- वन विभाग की भूमि का अकृषि परियोजनार्थ उपयोग हेतु डाईवर्जन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम आडीभीत, कटुम्बी, रेल, बारी व सजवानिया में स्थापित होने वाले 4 गुणा 700 मेगावाट एन.पी.सी.आई.एल. प्रोजेक्ट में आने वाली वन विभाग की भूमि रकबा 455.15 बीघा (73.77 हैक्टेयर) के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 27-04-2017 तथा प्रोजेक्ट हेतु वाटर कारिडोर की स्थापना में ग्राम बारी, लालपुरा एवं डॉक की वन विभाग की भूमि 162.02 बीघा (26.35 हैक्टेयर) की बैठक दिनांक 28-11-2017 को आयोजित की जाकर कुल रकबा 100.12 (73.77+26.35) हैक्टेयर का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।


अतः उक्त प्रमाण पत्र एवं बैठक कार्यवाही विवरण मय सलग्न कागजात वास्ते आवश्यक कार्यवाही भिजवाये जा रहे है।


- सलग्न :- 1 डाईवर्जन हेतु प्रमाण पत्र।
2 जिला स्तरीय वनाधिकार की बैठक कार्यवाही विवरण।
3 सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव।

प्रतिलिपि :-

1. उप वन संरक्षक वन विभाग बांसवाडा।


उप वन संरक्षक
बांसवाडा (राज.)


जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)


जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

FORM-II

(for project other than linear projects)

Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR BANSWARA (RAJASTHAN)

Dated....1.12/2017

No. 3943

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposed, it is certified the 73.77 Hect. for project and 26.35 Hect. Land for water corridor total 100.12 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of NPCIL Banswara for establishment of Nuclear Power Project in Banswara district falls within Jurisdiction of Bari, Sajwaniya Adibhit, Katumbi, Rail, Lalpura and Wank village(s) in Chotiservan tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 100.12 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabah(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure...1.....to 69...annexure
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabah of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,
- the each of concerned Gram Sabah(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabah of Napla, Bar and Katumbi village(s) enclosed as annexure...1..70.69
- the discussion and decisions of such proposals and taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the member54s of Gran Sabah present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabah have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Group and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above

उप वन सुरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

Signature
District Collector
Banswara (Rajasthan)

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बांसवाड़ा की बैठक आज दिनांक 27-04-2017 को अपरान्ह 3.00 बजे को जिला कलक्टर सभा कक्ष में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न प्रयोजनार्थ वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड स्तरीय बांसवाड़ा/छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के अनुमूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशाथा की जाने हेतु प्रकरण निम्नानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :-

- ग्राम पंचायत कटुम्बी के ग्राम आडीभीत व कटुम्बी ग्राम पंचायत नापला के ग्राम रेल, ग्राम पंचायत बारी के ग्राम बारी, सजवानिया द्वारा भारत सरकार के उपक्रम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पंचायत समिति छोटीसरवन के ग्राम कटुम्बी, आडीभीत, रेल, सजवानिया व बारी तथा ग्राम पंचायत कैसरपुरा के ग्राम खाण्डियादेव में स्थापित होने वाले 4X700 मेगावाट परमाणु बिजलीघर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रमाण पत्र जारी करवाने के सम्बन्ध में :-

क्र.स.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित खसरा नम्बर	प्रभावित रकबा बीघा में	कुल रकबा हैक्टर में
1	कटुम्बी	आडीभीत	314/183	12.02	
			315/194	10.00	
		योग		22.02	3.57
		कटुम्बी	246/2	3.09	
			253/2	62.18	
			1683/253/1	0.05	
			254/2	0.06	
		योग		66.18	10.82
2	नापला	रेल	63	12.10	
			64	18.00	
			65	6.00	
		योग		36.10	5.90
3	बारी	बारी	127	103.11	
			643	2.01	
			646	0.19	
			647	4.07	
			648	1.10	
			652	2.15	
			655	9.02	
			811	3.04	
			918	11.17	
			915	9.18	
			644	2.00	
			645	2.00	
			653	2.00	
			654	0.10	
		योग		155.14	25.20
		सजवानिया	807	0.09	
			808	34.10	
			880	9.09	
			881	0.01	
			889	22.13	
			914	15.12	
			915	0.05	
			917	0.19	
			919	0.10	
			956	27.17	
			957	0.10	
			984	3.19	
			985	0.05	
			992	7.15	
			995	2.15	
			999	47.06	

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

		योग		174.15	28.28
		वन विभाग की सम्पूर्ण भूमि का योग		455.15	73.77
		श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल			
1	कटुम्बी	आडीभीत	19	22.05	
			32	6.16	
			100	1.05	
			103	7.07	
			109	4.10	
			111	6.01	
		योग		48.04	7.80
		कटुम्बी	223	0.01	
		योग		0.01	
2	बारी	बारी	119	1.05	
			114	3.04	
			115	1.11	
			121	1.01	
			124	7.02	
			126	3.02	
			139	2.04	
			475	0.12	
			478	17.07	
			481	4.05	
			639	0.14	
			642	1.07	
			717	2.05	
			766	12.08	
			806	10.11	
			810	4.12	
			813	1.14	
			825	1.10	
			903	11.12	
			909	6.18	
			919	17.00	
			924	1.07	
			927	21.17	
			934	10.17	
			945	0.05	
			946	0.08	
			947	0.07	
			958	0.07	
			991	9.14	
			999	1.02	
			483	5.00	
		योग		163.08	26.45
3	केसरपुरा	खाण्डियादेव	1	21.05	
			12	0.09	
			17	1.07	
			22	0.07	
			29	0.18	
			30	1.03	
			32	0.08	
			454/1	0.15	
			470/1	1.00	
			475/1	1.10	
			429/1	1.05	
			483/5	1.17	
			476/1	2.10	
			420/32	0.07	
			481/3	0.15	

उपवन संरक्षक
बांसवाड़ा (रज.)


		484/5	0.17	
		488/5	2.17	
		490/5	1.00	
	योग		40.10	6.55
	श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल का सम्पूर्ण योग		252.03	40.80


2. जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में निम्न सदस्य उपस्थिति हुए :-


- (1) उप वन संरक्षक
- (2) परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा।
- (3) श्री मान सिंह जिला परिषद सदस्य
- (4) श्री किशोरीलाल जिला परिषद सदस्य


पूर्व बैठक दिनांक 15-03-2017 में उक्त प्रकरण में संकल्प पारित करने के पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बारी द्वारा वनाधिकार सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के क्रम में सचिव ग्राम पंचायत बारी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 4 (6) राज/2017/1147-48 दिनांक 15-03-2017 स्मरण पत्रांक 1453-54 दिनांक 10-04-2017 को जारी कर उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने लिखा गया था। परन्तु दो बार लिखने के पश्चात भी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना 1 नवम्बर 2011 बाबत राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 16) के अध्याय 5 के बिन्दु संख्या 18 (6) के अनुसार कार्यवाही का निर्णय लेते हुए उपस्थित सदस्यों द्वारा उपरोक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन की उपखण्ड स्तरीय समिति बांसवाड़ा/छोटीसरवन द्वारा अनुशंभा किये जाने एवं समीक्षा में सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी किये जाने स्वीकृति दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही उपस्थित सदस्यों द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति बांसवाड़ा/छोटीसरवन द्वारा प्रस्तुत वन विभाग की सम्पूर्ण प्रभावित भूमि 455.15 बीघा अर्थात् 73.77 हेक्टर तथा श्री सरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल कुल रकबा 252.03 बीघा अर्थात् 40.80 हेक्टर पर वन अधिकार के अधिभोग के सम्बन्ध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और पाया कि भारत सरकार के उपक्रम माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को उक्त श्री सरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल भूमि परमाणु बिजलीघर स्थापना हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना उचित होने से प्रत्यावर्तन करने की सहमति व्यक्त की है। सर्वसम्मति से उपरोक्त वन विभाग की वन भूमि एवं श्री सरकार सिवायचक किस्म जंगल भूमि का प्रत्यावर्तन माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को किये जाने हेतु समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।


अन्त में बैठक सघन्यवाद समाप्त की गई।


मनोनीत सदस्य


मनोनीत सदस्य


उपवन संरक्षक
बांसवाड़ा


परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास
विभाग बांसवाड़ा


अध्यक्ष जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
बांसवाड़ा


कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा


क्रमांक एफ 4 (2) राजस्व/2017/1943-51

दिनांक :- 27-04-2017

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उपवन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा/छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा।
3. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा।
4. वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता एन.पी.सी.आई.एल. बांसवाड़ा (राज.)
5. मनोनीत सदस्य श्री
6. रक्षित पत्रावली।


उपवन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


अतिरिक्त जिला कलक्टर
बांसवाड़ा


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)


क्रमांक/राजस्व/2016/ 265

दिनांक : 22-02-2017

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बांसवाड़ा द्वारा जिला बांसवाड़ा की तहसील आवापुरा के ग्राम खाण्डियादेव में स्थापित किये जाने वाले परमाणु बिजलीघर के अधिकारी/कर्मचारीयों के निवास हेतु ग्राम पंचायत केसरपुरा के ग्राम खाण्डियादेव के खसरा नम्बरों की 236.19 बीघा भूमि में से 40.10 बीघा भूमि श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 40.10 बीघा वन भूमि के अलावा अन्य कोई गैर वन भूमि इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जो यूजर एजेंसी को वन भूमि पर परमाणु बिजलीघर का निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जा सके।


उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड स्तरीय समिति की कार्यवाही

प्रपत्र-9

[नियम 6 एवं 14 देखें]


अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियान्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक 20-02-2017 को आयोजित की गई। बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत केसरपुरा के ग्राम खाण्डियादेव द्वारा भारत सरकार के उपक्रम न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पंचायत समिति बांसवाड़ा के ग्राम खाण्डियादेव में स्थापित होने वाले 4X700 मेगावाट परमाणु बिजलीघर के अधिकारी/कर्मचारियों के आवास व्यवस्था हेतु श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल पर वन अधिकार के अधिभोग के सम्बन्ध में पारित सकल्प पर विचार किया गया और पाया कि भारत सरकार के उपक्रम माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट को निम्न वन भूमि परमाणु बिजलीघर स्थापना हेतु आवंटित किया जाना है।


श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल


ग्राम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)	भूमि का वर्गीकरण	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा	अधिभोग का प्रकार	वि.वि.
केसरपुरा	1	212.14	जंगल	21.05	पॉवर प्लान्ट की स्थापना हेतु	
	12	0.09	जंगल	0.09		
	17	1.07	जंगल	1.07		
	22	0.07	जंगल	0.07		
	29	0.18	जंगल	0.18		
	30	1.03	जंगल	1.03		
	32	0.08	जंगल	0.08		
	454/1	0.15	जंगल	0.15		
	470/1	1.00	जंगल	1.00		
	475/1	1.10	जंगल	1.10		
	429/1	1.05	जंगल	1.05		
	483/5	1.17	जंगल	1.17		
	476/1	2.10	जंगल	2.10		
	420/32	0.07	जंगल	0.07		
	481/3	0.15	जंगल	0.15		
	484/5	5.17	जंगल	0.17		
	488/5	2.17	जंगल	2.17		
	490/5	1.00	जंगल	1.00		
योग :-	21	236.19		40.10		


उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत केसरपुरा की ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उल्लेखित आराजीयान को माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बांसवाड़ा को देने हेतु सहमति व्यक्त की है, तथा यह प्रमाणित किया है कि वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि में दिनांक 13-12-2005 के पूर्व के समस्त अतिक्रमी अथवा कब्जाधारी को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त तिथि के पूर्व के किसी भी अतिक्रमी अथवा कब्जाधारी को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल को माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बांसवाड़ा को आवंटन करने हेतु सहमति व्यक्त की है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही विवरण की प्रति सलग्न है। वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा निरीक्षण किया जाकर सहमति व्यक्त की गई है।


अतः समिति सर्वसम्मति से उपरोक्त वन भूमि पर उपरोक्त वर्णित दावेदार को वन अधिकार दिये जाने की अनुशंसा करती है।


उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा


वन विभाग का भार
साधक अधिकारी


विकास अधिकारी
बांसवाड़ा


मनोनीत सदस्य


मनोनीत सदस्य

मनोनीत सदस्य


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत केसरपुरा पंचायत समिति बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :- SPL-1

दिनांक :- 28/11/2016


प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. भारत सरकार के उपक्रम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पंचायत समिति छोटीसरवन के ग्राम कटुम्बी, आडीभीत, रेल, सजवानिया व बारी में स्थापित होने वाले 4X700 मेगावाट परमाणु बिजलीघर का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम खाण्डियादेव की श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल आराजी किता 21 रकबा 42.01 बीघा के उक्त वन भूमि के व्यप्रवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यप्रवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परिक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 28/11/2016 को रखी गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यप्रवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यप्रवर्तन के विवरण को समझ लिया है।
4. यह प्रमाणित किया है कि वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि में दिनांक 13-12-2005 के पूर्व के समस्त अतिक्रमी अथवा कब्जाधारी को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त तिथि के पूर्व के किसी भी अतिक्रमी अथवा कब्जाधारी को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष नहीं है।
5. वन विभाग/श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल में कब्जाधारी/अतिक्रमी व्यक्तियों को नियमानुसार अवार्ड/पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की राशि का भुगतान किया जा रहा है।
6. वन भूमि व्यप्रवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।


सलग्न :- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छाया प्रति।


ग्राम सेवक

पदेन सचिव


ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत केसरपुरा
पं.स.व जिला बांसवाड़ा

सरपंच


ग्राम पंचायत केसरपुरा
पं.स.बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा


उप वन सरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक/राजस्व/ 2016/ 442

दिनांक :-26-10-2016

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
बांसवाड़ा।

विषय :-भारत सरकार के उपक्रम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा जिले की उपखण्ड छोटीसरवन में स्थापित होने वाले परमाणु बिजलीघर हेतु वन भूमि पर वनाधिकार के अधिभोग के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बांसवाड़ा जिले के उपखण्ड छोटीसरवन में स्थापित होने वाले परमाणु बिजलीघर हेतु अवाप्त होने वाली वन भूमि पर वनाधिकार के अधिभोग के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26-10-2016 को उपखण्ड मुख्यालय छोटीसरवन पर आयोजित की जाकर वन अधिकार के अधिभोग के सम्बन्ध में सकल्य पारित कर कार्यवाही विवरण एवं वाछित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सलंगन प्रेषित कर निवेदन है कि जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करा वन भूमि के अधिभोग के सम्बन्ध में सकल्य पारित करा प्रमाण पत्र जारी कराने का श्रम करे।

सलंगन :- उपरोक्तानुसार।

26/10/16
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड स्तरीय समिति की कार्यवाही

प्रपत्र-9

[नियम 6 एवं 14 देखें]

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियान्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक 26-10-2016 को आयोजित की गई। बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत नापला के ग्राम रेल, ग्राम पंचायत बारी के ग्राम बारी एवं सजवानिया तथा ग्राम पंचायत कटुम्बी के ग्राम कटुम्बी व आडीभीत द्वारा भारत सरकार के उपक्रम न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पंचायत समिति छोटीसरवन के ग्राम कटुम्बी, आडीभीत रेल, सजवानिया व बारी में स्थापित होने वाले 4X700 मेगावाट परमाणु बिजलीघर हेतु वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के सम्बन्ध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और पाया कि भारत सरकार के उपक्रम माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट को निम्न वन भूमि परमाणु बिजलीघर स्थापना हेतु आवंटित किया जाना है।
वन विभाग की भूमि

ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा-बिस्वा)	पावर प्लान्ट में अवाप्त होने वाला रकबा	अधिभोग का प्रकार	वि.वि.
आडीभीत	314/183	12.02	12.02	पॉवर प्लान्ट की स्थापना हेतु	
	315/194	21.04	10.00		
	योग:-	33.06	22.02		
कटुम्बी	246/2	3.09	3.09		
	253/2	62.18	62.18		
	1683/253/1	0.05	0.05		
	254/2	0.06	0.06		
	योग :-	66.18	66.18		
रेल	63	12.10	12.10		
	64	18.00	18.00		
	65	6.00	6.00		
	योग :-	36.10	36.10		
बारी	127	115.01	103.11		
	643	2.01	2.01		
	646	0.19	0.19		
	647	4.07	4.07		
	648	1.10	1.10		
	652	2.15	2.15		
	655	9.02	9.02		
	811	3.04	3.04		
	918	11.17	11.17		
	915	9.18	9.18		
	644	2.00	2.00		
	645	2.00	2.00		
	653	2.00	2.00		

	654	0.10	0.10		
	योग :-	167.04	155.14		
सजवानिया	807	0.09	0.09		
	808	34.10	34.10		
	880	62.17	9.09		
	881	0.15	0.01		
	889	22.13	22.13		
	914	15.12	15.12		
	915	0.05	0.05		
	917	0.19	0.19		
	919	0.10	0.10		
	956	27.17	27.17		
	957	0.10	0.10		
	984	3.19	3.19		
	985	0.05	0.05		
	992	7.15	7.15		
	995	2.15	2.15		
	999	47.06	47.06		
	योग :-	228.17	174.15		
सम्पूर्ण योग :-		532.15	455.19		

श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल

ग्राम आडिभीत

क्र. सं.	खेवट (खतोनी)		भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)	भूमि का वर्गीकरण	आवंटन की जाने वाली भूमि का रकबा
	नया	पुराना						
1	1		श्री सरकार	श्री सरकार झाड झखाड वाले वन	19	22.05	जंगल	22.05
2	1			"	32	6.16	जंगल	6.16
3	1			"	100	1.05	जंगल	1.05
4	1			"	103	7.07	जंगल	7.07
5	1			"	109	4.1	जंगल	4.10
6	1			"	111	6.01	जंगल	6.01
				योग	6	48.04		48.04

उप वन संरक्षक
बांसवाडा (राज.)

ग्राम बारी

क्र. सं.	खेवट (खतोनी)		भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)	भूमि का वर्गीकरण	आवंटन की वाली भूमि का रक्
	नया	पुराना						
7	1			श्री सरकार झाड झखाड वाले वन	119	2.1	जंगल	1.05
8				"	114	3.04	जंगल	3.04
9				"	115	1.11	जंगल	1.11
10	1			"	121	1.01	जंगल	1.01
11	1			"	124	7.02	जंगल	7.02
12				"	126	3.02	जंगल	3.02
13	1			"	139	2.04	जंगल	2.04
14	1			"	475	0.12	जंगल	0.12
15	1			"	478	17.07	जंगल	17.07
16	1			"	481	4.05	जंगल	4.05
17	1			"	639	0.14	जंगल	0.14
18	1			"	642	1.07	जंगल	1.07
19	1			"	717	2.05	जंगल	2.05
20	1			"	766	12.08	जंगल	12.08
21	1			"	806	10.11	जंगल	10.11
22	1			"	810	4.12	जंगल	4.12
23	1			"	813	1.14	जंगल	1.14
24	1			"	825	1.1	जंगल	1.10
25	1			"	903	11.12	जंगल	11.12
26	1			"	909	6.18	जंगल	6.18
27	1			"	919	17.00	जंगल	17.00
28	1			"	924	1.07	जंगल	1.07
29	1			"	927	21.17	जंगल	21.17
30	1			"	934	10.17	जंगल	10.17
31	1			"	945	0.05	जंगल	0.05
32	1			"	946	0.08	जंगल	0.08
33	1			"	947	0.07	जंगल	0.07
34	1			"	958	0.07	जंगल	0.07
35	1			"	991	9.14	जंगल	9.14

उप वन संरक्षक
बांसवाडा (राज.)


36	1			999	1.02	जंगल	1.02
37	1			483	5.05	जंगल	5.00
			योग	31	164.18		163.08


ग्राम कटूम्बी


क्र. सं.	खेवट (खतोनी)		भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)	भूमि का वर्गीकरण	आवंटन की जाने वाली भूमि का रकबा
	नया	पुराना						
38	1	1	श्री सरकार खाल खददर	श्री सरकार खाल खददर	223	0.10	जंगल	0.01
			योग		1	0.10		0.01
श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल का कुल योग :-					38	213.12		211.13


उपरोक्तानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उल्लेखित आराजीयान को माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बांसवाड़ा को देने हेतु सहमति व्यक्त की है, तथा यह प्रमाणित किया है कि वन भूमि अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि में दिनांक 13-12-2005 के पूर्व के समस्त अतिक्रमी अथवा कब्जाधारी को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त तिथि के पूर्व के किसी भी अतिक्रमी अथवा कब्जाधारी को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल को माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बांसवाड़ा को आवंटन करने हेतु सहमति व्यक्त की है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही विवरण की प्रति सलग्न है। वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा निरीक्षण किया जाकर सहमति व्यक्त की गई है।


अतः समिति सर्वसम्मति से उपरोक्त वन भूमि पर उपरोक्त वर्णित दावेदार को वन अधिकार दिये जाने की अनुशंसा करती है।



उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन, ज. बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा


वन विभाग का भार
साधक अधिकारी


विकास अधिकारी
छोटीसरवन


उप वन सुरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)
मनोनीत सदस्य
प. न. सदस्य


मनोनीत सदस्य
उप प्रधान
छोटीसरवन


मनोनीत सदस्य
मुख्य सदस्य
प. न. सदस्य


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.)


क्रमांक/राजस्व/2016/ 443

दिनांक :-26-10-2016

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता माही बांसवाडा न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बांसवाडा द्वारा जिला बांसवाडा की तहसील छोटीसरवन के ग्राम आडीभीत, कटुम्बी, रेल, बारी, सजवानिया में स्थापित किये जाने वाले परमाणु बिजलीघर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बारी के ग्राम पंचायत नापला के ग्राम रेल, ग्राम पंचायत बारी के ग्राम बारी एवं सजवानिया तथा ग्राम पंचायत कटुम्बी के ग्राम कटुम्बी व आडीभीत रेन्ज बांसवाडा के अधीन वन खण्ड सरवन, डेरी पार्ट-ए एव बी के विभिन्न खसरा नम्बरों की 532.15 बीघा भूमि में से 455.19 बीघा वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 455.19 बीघा वन भूमि के अलावा अन्य कोई गैर वन भूमि इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जो यूजर एजेंसी को वन भूमि पर परमाणु बिजलीघर का निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जा सके।


उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन


उप वन सरक्षक
बांसवाडा (राज.)

उपखण्ड स्तरीय समिति की कार्यवाही

पृष्ठ-9

(नियम 6 एवं 14 देखें)

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पंचपरगल वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) के प्रावधानानुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्दिष्टन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्तर को समिति की बैठक दिनांक 30-10-2017 को आयोजित की गई।

भूमि अधिपति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा में अपने पत्र क्रमांक एनपीसीआईएन/2017/1178 दिनांक 16-10-2017 से यह सूचित किया है कि परमाणु बिजलीघर परियोजना में वाटर कारिडोर के निर्माण में वन काले वन विभाग की भूमि क्षयित किया 17 एकड़ 162.02 बीघा अर्थात् 26.35 हेक्टेयर तथा श्रीरंगवार सिंचायावक भूमि क्षयित खानरा बिना 1 एकड़ 0.14 बीघा अर्थात् 0.1133 हेक्टेयर भूमि का ग्राम पंचायत वारी से जमाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 18 (3) से 7) बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित करने/प्रमाण पत्र जारी करने निर्देश दिये गये तथा विधायक अतिथि पंचायत समिति बांसवाड़ा द्वारा भी बैठक हेतु ग्राम पंचायत को वाकफ किया गया था। विभिन्न आदेशों की ताकत में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13-06-2017, 28-06-2017, 18-09-2017 तथा दिनांक 10-10-2017 को बैठक से आयोजित की गई परन्तु प्रस्ताव पारित नहीं करवाये गये। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियमित बैठक दिनांक 02-10-2017 में भी उक्त प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। बार-बार निर्देशों के बावजूद प्रस्ताव पारित नहीं होने से भूमि अधिपति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा प्राचीन विवाद एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना 1 नवम्बर 2011 द्वाारा राजस्थान पंचायती राज (उपखण्ड) का अनुसूचित क्षेत्रों में वनकाले लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 16) के अध्याय 5 के विन्दु संख्या 18 (8) के अनुसार उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित करने निर्णय पारित किया गया।

उक्त ग्राम पंचायत वारों के ग्राम बांसवाड़ा एवं वीक की विमानानुसार आरक्षणान में परमाणु बिजलीघर का जल परमाणु हेतु वाटर कारिडोर की स्थापना में वन काले वन विभाग की भूमि एवं श्रीरंगवार सिंचायावक भूमि क्षयित खानरा के अधिकारों के अधिनियम के सम्बन्ध में परितः संकल्प पर विचार किया गया और पाया गया कि भारत सरकार के उपखण्ड मार्ग बांसवाड़ा स्थित वाटर प्रोजेक्ट के वाटर कारिडोर की स्थापना को निम्न भूमि आवंटन किया जाना आवश्यक है।

वन विभाग की भूमि :-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आरक्षी नम्बर	रकबा बीघा में	प्रस्तावित रकबा का प्रतिशत	रकबा बीघा में	क्षयित भूमि का विभाग
1	वारी	वारी	99	1.05	40	0.10	वन विभाग
			105	189.11	16	30.05	
			110	70.00	30	21.00	
		योग :-		260.16		61.15	
		लातपुरा	111	5.05	53	2.13	
		योग		5.05		2.13	
	वारी	वाक	213	22.05	14	3.02	
			244	2.06	20	0.06	
			245	36.06	30	10.18	
			246	65.08	25	16.07	
			247	2.10	10	0.05	
			248	17.15	50	8.18	

जिगतेश शर्मा
उप वन संयोजक, बांसवाड़ा

		609	3.11	40	108
		611	0.04	50	0.02
		619	1.21	100	1.01
		620	0.15	100	0.10
		621	2.02	100	2.02
		622	39.00	25	9.15
		625	132.93	40	52.17
	योग :-		295.01		107.14
	महायोग :-		461.02		162.02

श्रीसरकार रियासतक भूमि किस्म जंगल

	बरी	बारी	104	2.05	30	0.14	जंगल
	योग :-			2.05		0.14	

संप्रदायानुसार सम्बन्धित ग्रामों की भूमि का मौका एवं रिकार्ड से पताचरी हल्का बारी भूमि कटुम्बी एवं पाल वन नाम सारवजन रम्ज बांसवाड़ा से रकब करवाई गई। मृतकविक सर्व रिपोर्ट संप्रोक्त भूमि में किमी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं पाया गया और न ही किसी का स्वाम्य/कूँडा पाया गया। वन विभाग द्वारा किमी भी कबज अनधिकार परतवा जारी नहीं किया गया। वन विभाग की भूमि में विभागीय फेंड-बोर्ड स्थित है जिसकी सम्बन्धित विभाग नियमानुसार हस्तान्तरण हेतु अनुशंसा की गई है।

अतःसमिति सदस्यगणों से उपरोक्त वन विभाग की भूमि एवं श्रीसरकार रियासतक भूमि किस्म जंगल सारोबत वर्णित दावेदार को वन अधिकार दिये जाने की अनुशंसा करती है।

संप्रदाय अधिकारी
छोटोसदस्य

वन विभाग अधिकारी
सामान्य अधिकारी (रियासतक)

विभागीय अधिकारी
छोटोसदस्य

समीक्षित सदस्य

समीक्षित सदस्य

समीक्षित सदस्य

उप प्रधान
पंचायत समिति छोटी सदाय
जिला बांसवाड़ा (रा.ग.)

रजिस्ट्रार
पंचायत समिति सदस्य
कै.रा. ७. ६१

ज.स.स.
पं. स.स.

जिगनेश शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बांसवाड़ा की बैठक आज दिनांक 28-11-2017 को प्रातः 11:00 बजे जिला कलक्टर समा कक्ष में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न प्रयोजनार्थ वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड स्तरीय छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के अनुरोधित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने की अनुसंधान की जाने हेतु प्रकरण नियमानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

- भारत सरकार के उपक्रम न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पंचायत समिति छोटीसरवन के ग्राम कटुम्बी, आडीभीत, रेल, सजयानिया व बारी को वाटर कारिडोर की स्थापना में आने वाली वन विभाग की भूमि एवं श्रीसरकार विवाद्यक भूमि किस्म जंगल ग्राम बारी, लालपुरा एवं बाँक की निम्नानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

क्र.स.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	जोखली नम्बर	एकड़ बीघा में	प्रस्तावित एकड़ का प्रतिशत	एकड़ बीघा में	किस्म भूमि
1	बारी	बारी	99	1.05	40	0.10	वन विभाग
			105	189.11	16	30.05	
			110	70.00	30	21.00	
			योग :-	260.16		51.15	
		लालपुरा	117	5.05	50	2.13	
		योग :-		5.05		2.13	
	बारी	बाँक	243	22.05	14	3.02	
			244	2.06	20	0.09	
			245	38.06	30	10.16	
			246	65.08	25	16.07	
			247	2.10	10	0.05	
			248	17.15	50	8.18	
			699	3.11	40	1.08	
			611	0.04	50	0.02	
			619	1.01	100	1.01	
			620	0.10	100	0.10	
			621	2.02	100	2.02	
			622	39.00	25	9.15	
			625	132.03	40	52.17	
		योग :-		295.01		107.14	
		महायोग :-		461.02		162.02	

श्रीसरकार विवाद्यक भूमि किस्म जंगल :-

	बारी	बारी	104	2.05	30	0.14	जंगल
		योग :-		2.05		0.14	


(4)

2. जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए
1. उप वन संरक्षक।
2. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा।
3. श्री नान सिंह जिला परिषद सदस्य।
4. श्री किशोरीलाल जिला परिषद सदस्य।

ग्राम पंचायत वारी द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक दिनांक 28-08-2017 में ग्राम सभा द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कर उल्लेखित भूमि को मौके पर जॉन/सर्वे कराई जावे तथा यदि किसी व्यक्ति का वनाधिकार पट्टा अतिक्रमण अथवा परिसम्पत्ति (मकान/कुँआ) बाया जाये, तो उसका उचित मुआवजा उन्हे दिलाया जावे। ग्राम पंचायत की आपत्ति प्राप्त होने पर पट्टा जारी हल्का चारी भूअ.नि. कटुम्भी तथा वन विभाग के वन पाल वननाका सरवन रेन्ज बांसवाड़ा से मौका एवं रेकार्ड से सर्वे कराई गई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 14-09-2017 को उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। मुताबिक रिपोर्ट उल्लेखित आराजीयान में किसी भी व्यक्ति को वनाधिकार पट्टा जारी नहीं किया गया है, किसी भी व्यक्ति का मौके पर अतिक्रमण तथा परिसम्पत्ति (मकान, कुँआ आदि) नहीं बाई गई है। जिसकी सूचना सरपंच ग्राम पंचायत वारी को भी दी गई एवं ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18-09-2017 तथा दिनांक 02-10-2017 को ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई परन्तु उक्त आराजीयान पर सहमति/असहमति का प्रस्ताव नहीं लिया गया, एवं ग्राम सभा की सहमति मानकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पंचायती राज (उपखण्डों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 16) के अध्याय 5 के विन्दु संख्या 18 (6) के अनुसार उपखण्ड स्तरीय बैठक दिनांक 30-10-2017 को आयोजित की जाकर प्रस्ताव पारित किया गया। एवं इस कार्यालय को निजवाकर स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया।


उपखण्ड स्तरीय समिति बांसवाड़ा की अनुसंधान पर विचार विमर्श किया जाकर सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी किये जाने स्वीकृति दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गई, साथ ही उपस्थित सदस्यों द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत वन विभाग की सम्पूर्ण प्रभावित भूमि रकबा 162.02 बीघा अर्थात् 26.35 हेक्टेयर तथा श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल का प्रभावित रकबा 0.14 बीघा पर वन अधिकार के उपभोग के सम्बन्ध में पारित सकल पर विचार किया गया और पाया कि भारत सरकार के उपक्रम माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट को बाटर करिडोर में आने वाली उक्त वन विभाग एवं श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल परमाणु बिजलीघर स्थापना हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना उचित होने से प्रत्यावर्तन करने की सहमति व्यक्त की है। सर्व सम्मति से उपरोक्त वन विभाग की वन भूमि एवं श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल भूमि का प्रत्यावर्तन माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट को किये जाने हेतु समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।


अन्त में बैठक सफाया समाप्त की गई।



नमोनीत सदस्य


नमोनीत सदस्य

नमोनीत सदस्य


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा


परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास
विभाग बांसवाड़ा।


अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
बांसवाड़ा

(राज.)

$$\underline{221876}$$
[illegible]

10/10/20

कैलाश जी आपकी है - अर्थात् यह -

पुनर्जन्म

इस प्रकार आपका नाम निरुद्ध है

पुनर्जन्म

आपकी भावना में आपका भावना में

पुनर्जन्म

आपकी भावना में आपका भावना में

पुनर्जन्म

आपकी भावना में आपका भावना में

पुनर्जन्म

आपकी भावना में आपका भावना में

पुनर्जन्म

आपकी भावना में आपका भावना में

पुनर्जन्म

आपकी भावना में आपका भावना में

पुनर्जन्म

आपकी भावना में आपका भावना में

पुनर्जन्म

पुनर्जन्म (राज.)

पुनर्जन्म (राज.)

पुनर्जन्म (राज.)

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत कटुम्भी
प.स.छोटी सरन, जि. नासिक

ग्राम पंचायत कटुम्भी
प.स.छोटी सरन, जि. नासिक

पंचायत/ उप समिति

.....

बैंच

जिला

खोसवाडा

वैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

28/5/86

(7)



दिनांक 20/5/86
वैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

वैठक में की गई कार्यवाहियाँ

वैठक का स्थान	अध्यक्ष/समय के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	वैठक में की गई कार्यवाहियाँ	
---------------	--------------------	------------------------	-----------------------------	--

28/5/86

रजवाडा

312/135

4-13

313/136

0-10

318/204

7-06

16-10

बिधा

C2-67] हेम

21/5/86

28/5/86

रजवाडा

413

0-18

302/2

0-03

312/2

8-00

9-01

बिधा

C1-46 हेम

बिधा

उक्त बिधा का निर्वाचन

मेडक पंटेन बिधा

उप वन सुरक्षक
बांसवाडा (राज.)

एवं प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव
 मंडली की ओर से प्रस्ताव पर प्रस्तावप्रयोग
 प्रयोग का परिणाम है निर्धारित रूप में
 गान पर जोड़ आयोजी नहीं है।

20/11/2015
 20/11/2015

प्रमाण लेखक पदेन सचिव
 प्रमाण पंजीयत कटुम्बी
 प्रमाण प्रमाण लेखक प्रमाण

(प्रमाण लेखक प्रमाण)
 प्रमाण प्रमाण प्रमाण
 प्रमाण प्रमाण प्रमाण

उपवन सुरक्षक
 बांसवाड़ा (राज.)

23/11/2015
 (प्रमाण लेखक प्रमाण)
 प्रमाण प्रमाण प्रमाण

प्रमाण लेखक प्रमाण

प्रमाण लेखक प्रमाण

प्रमाण लेखक प्रमाण

प्रमाण लेखक प्रमाण


प्रमाण लेखक प्रमाण

कार्यालय ग्राम पंचायत नापला पंचायत समिति छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)


प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. भारत सरकार के उपक्रम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पंचायत समिति छोटीसरवन के ग्राम कटुम्बी, आडीभीत, रेल, सजवानिया व बारी में स्थापित होने वाले 4X700 मेगावाट परमाणु बिजलीघर का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम रेल आरक्षित वन क्षेत्र वन विभाग बांसवाड़ा के वन खण्ड डेरी पार्ट ए और बी के आराजी किता 3 रकबा 36.10 बीघा के उक्त वन भूमि के व्यप्रवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यप्रवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परिक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23-11-2016 को रखी गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यप्रवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यप्रवर्तन के विवरण को समझ लिया है।
4. यह प्रमाणित किया है कि वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि में दिनांक 13-12-2005 के पूर्व के समस्त अतिक्रमी अथवा कब्जाधारी को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त तिथि के पूर्व के किसी भी अतिक्रमी अथवा कब्जाधारी को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष नहीं है।
5. वन विभाग/श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल में कब्जाधारी/अतिक्रमी व्यक्तियों को नियमानुसार अवार्ड/पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की राशि का भुगतान किया जा रहा है।
6. वन भूमि व्यप्रवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छाया प्रति।


ग्राम सचिव प्रदेव साधव
ग्राम पंचायत नापला
प.स. छोटी सरवन, (बांसवाड़ा)
प्रदेव साधव


(साक्षरणी मिश्रा)
सरपंच
ग्राम पंचायत नापला
प.स. छोटी सरवन, (बांसवाड़ा) (राज.)
जिला बांसवाड़ा


उप वन सरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

आज दिनांक 26/8/2016

ग्राम सभा

आज दिनांक 26/8/2016 को कार्यक्रम में अ
छोरी सरवन जिस बांसवाडा का पत्र क्रमांक
246-17/1602 दिनांक 23/8/2016 के पालना में
माध बांसवाडा - मुस्लिम पावर जोर्जमट 7x400-2800
मेगावाट हेतु वन विभाग से भूमि के डायवर्जिंग के
लिख अनुरोध प्रमाण-पत्र ग्राम सभा द्वारा पारित करने
ग्राम सभा की आयोजन समिति रंगली देवी
सरपंच द्वारा के अध्यक्षता में किया गया।
जिसमें भू प्रयोजन इस ग्राम सभा के आयोजन
का प्रमाण प्रमाणित किया गया।

ग्राम सभा में परवारी हल्का बारी
द्वारा ग्राम प्रमुख बारी के अर्थात् वन
विभाग कि भूमि जो माध बांसवाडा मुस्लिम
पावर जोर्जमट 7x400-2800 मेगावाट में आरक्षित है
के खसरा नं. जो निम्न अनुसार है-

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं.
आर	127	115-01 खसरा नं.
जी सरकाव भूमि किस्म जंगल	643	2-01 = 644
कुल खसरा किता डा खसरा	646	0-19 इतिहास
163 विवा 8 विवा	647	4-17 645-
पनाधिकार का पट्टा जारी	648	1-10 शिवा
होगया है किसी सचिवरी का	652	2-15 653
पट्टा बीष नही है	655	5-02 विवा
	811	3-04 654
	918	11-17 शिवा
	1074	9-18
	915	152.12 वीर
		7-6-10

उप वन सुरक्षक
बांसवाडा (राज.)

ग्राम सचिव/निर्वाह

अनुरोध निम्न

807	108	880	881	889
0-09	04.10	0-17	0-15	12-18
914	915	917	919	956
15-15	0-05	0-19	0-10	27-17
				957
				914
				2-19

(12) ग्राम सभा

985 992 995 999 कुकारणा = 174-06 बी/का
 0-05 2-15 4-15 47-06

उक्त छत्ताव का ग्राम सभा में सर्व
 सहमति से अनुमोदन किया गया
 इस प्रकार ग्राम सभा में सर्व
 सहमति से स. दल-भावाप सभापति किर्ग
 एवं ग्राम सभा के अध्यक्ष सतलगाभा
 के हस्ताक्षर व अंगुलि लिखे गये

दलीपगवा

देवाली

साधन

सिम्प
 सतलगाभा

देवाली
 (गौरी देवी मईड़ा)
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बारी
 प.स.भोटी सरवन, वि. बांसवाड़ा

दलीपगवा
 (दलीपगवा)
 कनिष्ठ लिपिक
 ग्राम पंचायत बारी
 प.स.भोटी सरवन, वि. बांसवाड़ा

बिंदल
 20/02

सिम्प

कनिष्ठ लिपिक

सुबेस

आ.प.व.

व.सि.व.

प्रम.स.व.

अ.सि.म.स.व.

उपवन सरपंच
 बांसवाड़ा (सज.)

Amul

पु

प्र

मन्त्र

शंकर काशी
वालीया

रामचन्द्र
भीता

दामिनीगवा

(सिद्धि)

प.स.छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा

इशानी
(रंगेली देवी मईडा)
सरपंच
ग्राम पंचायत कारी
प.स.छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा

उप वन सुरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

दामिनीगवा

(दलीचन्द गणावा)
कनिष्ठ लिपिक
ग्राम पंचायत कारी
प.स.छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः

जकुडा बापु बापु शिवायु भगिन
शंकल जयु कनका देवीलाल
पुष्प १ मोहन दुलीया
अमरिलाल प्रभु रामा कालू
कमल भइवा
रमेश
दीनर

पत्नीगण/वा


इंगली

देवगली
(रंगली देवी मईडा)
सरपंच
ग्राम पंचायत कारे
प.स.छोटी सरवन, जि. बांसवाडा

पत्नीगण/वा
(दलाचन्द गणेश)
कनिष्ठ लिपिक
ग्राम पंचायत कारी
प.स.छोटी सरवन, जि. बांसवाडा

उप वन सरक्षक
बांसवाडा (राज.)

23/11/2015



कार्यालय ग्राम पंचायत, नापला

पंचायत समिति छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा (राज.)

लक्ष्मण अगोरा
सरपंच

पता :-
ग्राम तालाब,
पो. नापला, जि. बांसवाड़ा (राज.)
मो. 9001804895

मांक गुाफजा / NOC / NPCL / 2015-16

दिनांक 23/11/2015

अनापत्ति प्रमाण-पत्र [NOC]

[वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति करने वाला]

राजस्व ग्राम रेवेन ग्राम पंचायत न पटवार हल्दा नापला तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा में अवस्थित भागशी.न. 63, 64 व 65 कुल 36 खिन्ना 10 बिघा वन भूमी न्युक्मिस्तर पार प्रोजेक्ट [NPCL] हेतु भूमि अधिग्रहण किया गया प्रस्तावित है। वन भूमि का प्रस्ताव विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण स्वयं वन सेवालय द्वारा प्रकटावित करने हेतु NOC लाना आज दिनांक 23/11/15 को आयोग ग्राम राक्ष बंठ में विस्तार चर्चा हेतु प्रस्ताव सदन पर पेश कर रखा गया।

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ ग्राम राक्ष बंठ में प्रमोक्ता विभाग/ संस्था द्वारा प्रकटित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति निर्गत करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राधानों के तहत किसी अन्य गैर स्वतंत्र का एक कस्ता जारी है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण में प्रकटित वन भूमि पर ग्राम वारिधियों के परम्परागत अधिकारों का रक्षण नहीं हो रहा।

ग्राम राक्ष दिनांक 23/11/2015 के प्रस्ताव सं. ② द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्माणार्थ आशी.न. 63, 64 व 65 कुल 36 खिन्ना वन भूमि में परियोजना निर्माण हेतु कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

प्रमोक्ता विभाग न्युक्मिस्तर पार प्रोजेक्ट [NPCL] हेतु इस वन भूमि परियोजना के अनुमोदनार्थ निर्माण हेतु हेतु कोई आपत्ति नहीं है। इस NOC प्रमाण पत्र दिनांक 23/11/15 को प्रकटित पार न पटवार हल्दा नापला तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा में प्रकटावित करने हेतु जारी किया गया है।

(हस्ताक्षर)

अ. अगोरा

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत नापला

23/11/2015

पं. स. छोटी सरवन

जिल्हा बांसवाडा (राज.)

विशेष ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण

[वन अधिकार अधिनियम 2006 व अन्वयित सर्वेक्षण प्रयोजनात्मक भूमी अध्यापन 3 ले]

डाउन दिनांक 23/11/2015 को
सोमवार विकास अधिकारी पं. स. छोटी सरवन
आपके माउरी पत्रांक पस छो। ग्रामसभा/2015-16/3/62 दि. 16/11/15
को निर्देशानुसार व्यक्तिगत पावर स्वम् रेखवे हेतु
वन भूमी। गैर खातेदारी। मित्री कस शूडा भूमी अध्यापन
क्रिया जाना है इस हेतु वीमान लुहमण पिला पुनाजी भगोरा
सरपंच शा. पू. नापला की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा
को. 3 का आयोजन शा. पू. नापला में डा. 11. 11. 15 को से
आरम्भ की गई।

ग्राम सभा बैठक में निम्न अधिकारी,
कृषि अधिकारी, जनप्रतिनिधियों व स्थानीय वयस्कु
नागरिकों ने भाग लिया स्वम् हस्तांतर। झुंझ छिमे
उपस्थित

गणमान्य	पटनास	विभाग	मो. नं.	हस्ताक्षर
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदेव सिंह खुडा	श. र. कोटी सरवन	राजस्व	9982528163	
लुहमण भगोरा	सरपंच	पं. रा. विभाग		
लक्ष्मीश वागले	श. र. ना. कु. पु. नी	राजस्व		
अस्तुत्य काडर बेग	वन फेडर	—		
डिनेश भूट	पटवारी	—		
शुविंदर सिंह राठोड	अध्यक्ष/पं. रा.	Revenue		
पयशित्या निनामा	सचिव	पं. रा.		
	ग्राम. नापला			
अनुराग डिंडोर	वार्ड पंच			
गिरीश लक्ष्मी				
डा. वृद्ध पान	वार्ड पंच			
ला निनामा	वार्ड पंच			

उपवन सरक्षक
बांसवाडा (राज.)

अनुराग डिंडोर
लक्ष्मी
रमेश
कला

कार्यालय ग्राम पंचायत नापवा

पं. स. छोटी सरवन

जिला बांसवाडा (राज.)












विशेष ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण

[वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी प्रयोजन की भूमि अध्याप्त करने]

आज दिनांक 23/11/2015 को

समाप्त विकास अधिकारी पं. स. छोटी सरवन
आपके आदेश प्रान्त प्रसिद्ध। ग्राम सभा 2015-16/3162 दि. 16/11/15
को निर्देशानुसार, व्यक्तिगत पॉवर एक्ट रेखे हेतु
वन भूमि। जैर खातेशरी। मित्र कलेशुदा भूमि अध्याप्त
किया जाना है इस हेतु समान लक्ष्मण पिल पुनोजी भगोरा
सरपंच आर्पू नापवा की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा
होई का आयोजन आगे सहायक में आतः। प्रकृति से
आरम्भ की गई।

ग्राम सभा बैठक में निम्न अधिकारी,
कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों व स्थानीय वयस्कु
नागरिकों ने भाग लिया स्वयं हस्ताक्षर। सारांश क्रिये
उपस्थित

उपस्थित जनमानस	पटनाम	विभाग	मो. नं.	हस्ताक्षर
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वदेव सिंह खुडा	सरपंच	राजस्व	9983528163	
लक्ष्मण भगोरा	सरपंच	पे. रा. विभाग		
रमेश वागले	कृ. अ. नि. कुटुंबी	राजस्व		
अस्तुल भांडर बेग	नं. के. फुडर	—		
जिनेश भट्ट	पटवारी	—		
शक्तिर सिंह राठोड	कृ. अ. नि. कुटुंबी	राजस्व		
पयशिता निनामा	सचिव	पे. रा.		
अनुराग डिंडोर	वार्ड पंच			
सोमरा लक्ष्मी	वार्ड पंच			
श. वृद्ध पंग	वार्ड पंच			
ला निनामा	वार्ड पंच			

उप वन संरक्षक
बांसवाडा (राज.)

अनुराग डिंडोर
लक्ष्मी
रमेश
कला

3] रेल्वे हेतु कृषी मर्यादा करणे हेतु NOC -
(अनापत्ति वाक्य) मिहिरा

नारायण

कमला

राममाम

रामेश्वरी

नाथन

मनोर

मनोर

मनोर

मनोर

मनोर

मनोर

मनोर

मनोर

मनोर

मनोर

मनोर

मनोर

लुलु

कमला

कमला

3] आम लक्ष्य क्षेत्र हे आम. इलाका क्षेत्र
0.83 हेक्टर क्षेत्रात खसरांक 939, 942, 943, 945 व
946 इत्यादी खुला खसरा 0.02, 1.02, 1.17, 0.07 व
1.14 इत्यादी रकमा 0.02 सिल्ले कृषी शेतके परिचोजना

हेतु असावित होवून कृषि का. प्रजापति विभागाला सल्ला
के 48 म. आला सरकारी, पत्रविरत स्वरूप म. मालूम
होता असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला

उपलब्ध प्रजापति विभागाला आम. म. मालूम होत
आम लक्ष्य क्षेत्र हे असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला

हेतु असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला सल्ला
के 48 म. आला सरकारी, पत्रविरत स्वरूप म. मालूम

होता असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला
उपलब्ध प्रजापति विभागाला आम. म. मालूम होत

आम लक्ष्य क्षेत्र हे असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला
हेतु असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला

उपलब्ध प्रजापति विभागाला आम. म. मालूम होत
आम लक्ष्य क्षेत्र हे असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला

हेतु असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला
उपलब्ध प्रजापति विभागाला आम. म. मालूम होत

आम लक्ष्य क्षेत्र हे असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला
हेतु असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला

उपलब्ध प्रजापति विभागाला आम. म. मालूम होत
आम लक्ष्य क्षेत्र हे असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला

हेतु असावित होवून आदेशानुसार प्रजापति विभागाला
उपलब्ध प्रजापति विभागाला आम. म. मालूम होत

(विपरीत) विपरीत

(विपरीत) विपरीत

(विपरीत) विपरीत

द. म. मालूम

द. म. मालूम

उपवन सरक्षक
बांसावाडा (राज.)

[1] गत वर्षक कार्याली विवरण का वाचन:-
ग्राम सभा वर्षक के माध्यम से आगन्तुक
अधिकारियों, कमिश्नरों स्थानीय अफसरों, विद्वानों,
गठामान्य वयस्क नागरिकों को स्वागत व अभिनंदन
सरपंच सा. आनंदनाथ झा को किया गया। तदुपस्थान
झाप हीमान की अनुमति से सभा वर्षक माध्यम का
जारी रखने का निर्णय हुआ।

ग्राम सभा वर्षक के उपरिष्ठों के द्वारा
दिनांक 23/11/18 को आयोज्य वर्षक के उपदेशों पर
प्रवेश तथा स्व. निम्नानुसार विवरण रचा कर
उत्सव के मुद्राओं का निर्णय हुआ।

जयप्रकाश

मि -

मालु
नाथ झा

रुद्रा

मंगलनाथ

प्रमोद

रामनाथ

व्यास

[2] NPCTL हेतु भूमी अध्याप हेतु NOC -
(अनापत्ति वाचन)

आज दिनांक को आयोज्य ग्राम सभा वर्षक के
द्वारा के वृद्धाधारी भूमिस्वर पावर (NOC) हेतु
दिए गए न. 63, 64, 65 निम्नीय व भूमी
अध्याप किया जाना उस्तावित है। उस्ताव के
अनुषंग विस्तृत जानकारी दी गई। ग्राम सभा में
उपरिष्ठ समस्त स्थानीय वयस्क मंडलार्थी सर्वसम्मति
से इस में भूमिस्वर पावर (NOC) हेतु अनापत्ति जारी
पत्र जारी करने पर भूमी अध्यापित नहीं की गई।
अनापत्ति उमाश का (NOC) जारी करने का निर्णय
हुआ।

वंशीलाल

जगत

वर्मा

मंडल

राजमल

वर्मा

वर्मा

मि. मि. मि.

व्याप

वर्षक के NPCTL से अनापत्ति व वृद्धाधारी
कार्यकारों की रूप विशेष वर्षक आगन्तुक अधिकारियों
की अध्यापन के प्रोत्साहन के साथ उनके वरुणीय
हैं। समस्त ग्रामियों की उपरिष्ठों बाहर उस्तावित है।
समस्त ग्रामियों को स. आनंदनाथ उस्ताव
के अनुमोदन हेतु ग्रामियों की अध्यापन माना। तदुप
ग्राम सभा हेतु आभार व अभिनंदन साधित किया।

मि. मि. मि.

मि. मि. मि.

माला

माला

माला

माला

माला

माला

उप वन सचिव
बांसवाडा
राम

इंद्र प्रभाकर

राजेश्वर

मि. मि. मि.

मि. मि. मि.

कार्यालय ग्राम पंचायत कटुम्बी पंचायत समिति छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज)

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. भारत सरकार के उपक्रम न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पंचायत समिति छोटीसरवन के कटुम्बी, आडीभीत, रेल, सजवानिया व बारी में स्थापित होने वाले 4X700 मेगावाट परमाणु बिजलीघर का कार्य किया जा प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम आडीभीत आरक्षित वन क्षेत्र वन विभाग बांसवाड़ा के वन खण्ड डेरी पार्ट ए 3 बी के आराजी किता 2 रकबा 22.02 बीघा एवं श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल आराजी किता 6 रकबा 48. बीघा के उक्त वन भूमि के व्यप्रवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारा प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यप्रवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परिक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23-11-2015 को रखी गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यप्रवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यप्रवर्तन के विवरण को समझ लिया है।
4. यह प्रमाणित किया है कि वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि में दिनांक 13-12-2005 के पूर्व के समस्त अतिक्रमी अथवा कब्जाधारी को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त तिथि के पूर्व के किसी भी अतिक्रमी अथवा कब्जाधारी को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष नहीं है।
5. वन विभाग/श्रीसरकार सिवायचक भूमि किस्म जंगल में कब्जाधारी/अतिक्रमी व्यक्तियों को नियमानुसार अवार्ड/पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की राशि का भुगतान किया जा रहा है।
6. वन भूमि व्यप्रवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छाया प्रति।

ग्राम प्रमुख सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत कटुम्बी
पदेन सचिव छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा

सरपंच

ग्राम पंचायत पंचायत
समिति छोटीसरवन
जिला बांसवाड़ा

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)



ग्राम सभा

(77)

दिनांक: 28/11/2016

स्थान :- मटल सेवा केंद्र केशरपुरा

आज दिनांक 28/11/2016 को कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक जि.प.बो.स./पीएमएआई/2016-17/2243 दिनांक 21/11/2016 एवं कार्यालय पंचायत समिति बांसवाड़ा (राज.) के पत्र क्रमांक 1585 दिनांक 26/11/2016 एवं शासन सचिव महोदय याचि एवं पं.राजवि (अनुभाग-5) जयपुर के पत्र क्रमांक 27(43) ग.वि.वि./ग्रुप-5/PMAY-6/M-1/विविध/2016-17 दिनांक 17.11.2016 के अनुसार आज निर्देशों के क्रम में आज सभा का आयोजन गा.पं. केशरपुरा में रखा गया है।

ग्राम सभा में निम्नलिखित अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

क्र.सं.	नाम	पद व विभाग	हस्ताक्षर
1.			
2.	(संजिव) अमोल	उपहाताय (शिष्टा विभाग)	(निम) प्रधानाचार्य
3.		21.3.2016-5.10.2016	रा.उ.भा.वि.केशरपुरा
4.	रंजन नेता	अ.प्र.पा. 17	
5.	पूनम शाह	JTA, W. Ward बांसवाड़ा (प.व.)	
6.	कलावती मीणा	काली.	
7.	रंजित/रा. ग.व.वि.		
8.	NPCIA		
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)



क्र. सं.	नाम	पद व विभाग	हस्ताक्षर
(1)	श्री हनुमान	वार्ड पंच 05	श्री हनुमान
(2)	देवा	वार्ड पंच 04	क 211
	इश्वरलाल रज्जु	वार्ड पंच 07	देवा
	रंगलाल	प. स. सदस्य - 14	
	मुंगी चरपोटा	वार्ड पंच 03	रंगलाल
	वनिता निनामा	आशा	मुंगी
	सुशीला चरपोटा	आशा स. सदस्यपाडा	वनिता
	कल्पना निनामा	आशा स. खोडिपिपरी	सुशीला
	रीता निनामा	आ. कार्यकर्ता केसरडा	कल्पना
	कल्पना अहारी	आ. कार्यकर्ता सोरूपडा	रीता निनामा
		आ. कार्यकर्ता आगपाडा	कल्पना
			लक्ष्मी अहारी
			ग्राम पंचायत
			प. स. बांसवाडा
	रजमल	वार्ड पंच	रजमल

ग्राम सभा कार्यवाही विवरण :-

ग्राम सभा की विधिवत बुलवाने संबंधित शीपनी लक्ष्मी अहारी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उप वन संरक्षक
बांसवाडा (राज.)

प्रति 05/11/17

- उपधानमंत्री आवास योजना की वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की सूची तैयार कर अनुमोदन करवाना।
- उपधानमंत्री आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों का नाम सूची से हटाना।
- कार्यालय ग्राम सभा अधिकारी (उपबंड अधिकारी बांसवाडा) के पत्र क्रमांक 85055 दिनांक 26-10-2016 के अनुसार माही बांसवाडा।



82

उत्तराखण्ड
वन विभाग

कश्वाही गई जिसका नाम सभा में
सर्वसम्मति से मनुमोहन दिया गया

मनुमोहन

दीला

रकमा

इंजी

इंजी 42 वात मई

राजु

उरु

पल/इर

किरजी

रमेश

पल/इर

पल/इर

राजिंदर लाल

पंकज

काठ

राजिंदर

मोहन लाल

राजि

सुरज

दीप

कलजी

पल/इर

राजिंदर

पल/इर

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)



79/

बटुडा
लकुभण

न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 7x400 = 2800 मेगावाट हेतु वन विभाग की भूमि के डाइवर्जन के लिए अनुरोध आयेगा करना।

लगाए

रुप

लगाए

राज

शुद्ध

विदल

म. १. ५. ५. ५.

- ④ ग्राम सभाओं में आभाषण योजना के माध्यम से दिये गए लाभों के प्रजासमिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।


- ⑤ अन्य अवस्था में भी आजा से।

- ① सर्वप्रथम गत बैंक कार्यवाही विवरण पर कर सुनाया गया तत्पश्चात् भोज की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

- ② आज दिनांक 28/11/2016 को कार्यालय भूमि अधिपति अधिकारी (उपरखण्ड अधिकारी) वांसवाड़ा का पत्र क्रमांक 85055 दिनांक 26/10/2016 के अंतर्गत विकास अधिकारी पं. स्व. वांसवाड़ा को लिखे गए पत्र की पालना में माही वांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 7x400 = 2800 मेगावाट हेतु वन विभाग की भूमि के डाइवर्जन के लिए अनुरोध प्रमाण पत्र ग्राम सभा द्वारा पारित करने ग्राम सभा का आयोजन श्रीमती लक्ष्मी महारी सरपंच साहब की अध्यक्षता में किया गया। ग्राम सभा में सर्वप्रथम इस ग्राम सभा के आयोजन का प्रयोजन बताया गया।

ग्राम सभा में पटवारी हल्का केसरपुरा द्वारा ग्राम पंचायत खांडियादेव के अंतर्गत ग्रीष्मकार सिवाचनक भूमि किस्म पंगल की भूमि जो

उपवन सारथक



માહી વૉસવાડા ન્યુક્લિયર પાવર પ્રોજેક્ટ
 $7 \times 400 = 2800$ મેગાવાટ મેં આ રહી
 છે. વસરા નેબર જો મિત્થાનુસાર છે



વેજી

ગ્રામ રવૉડિથાદેવ

4/11/11

હકાર
 દુબી

મિત્રેશ મિત્ર

ગોપાલભાઈ
 મલિયા

કે.કે.ભાઈ

ગોપાલ

દાસ

દેસાઈ

ચાંદન

સુખલાલ

વ.પ.ભાઈ

ક્ર. સં.	રેવર (રવતીની)		કૂમિ ધારક કા નામ	કાશન કાર કા નામ	વસરા નેબર	કૂમિ કા ક્ષેત્રફલ (બીધા-સિરહા)	કૂમિ કા વર્ગી-કરગ	મકાન કી ખાને વાલી કૂમિ કા રકમ
	નર્ગા	પુરાના						
1	1	1	રામ	શ્રી	1	212.14	ખેડલ	21.05
2	1	1		સરકાર	12	0.09	ખેડલ	0.09
3	1	1	સરકાર	વિલામળ	17	1.07	ખેડલ	1.07
4	1	1			22	0.07	ખેડલ	0.07
5	1	1		ખાલિલ-કાશન	29	0.18	ખેડલ	0.18
6	1	1			30	1.03	ખેડલ	1.03
7	1	1			32	0.08	ખેડલ	0.08
8	1	1			36	0.18	ખેડલ	0.18
9	1	1			37	0.05	ખેડલ	0.05
10	1	1			38	0.08	ખેડલ	0.08
11	1	1			454/1	0.15	ખેડલ	0.15
12	1	1			470/1	1.00	ખેડલ	1.00
13	1	1			475/1	1.10	ખેડલ	1.10
14	1	1			480/1	1.05	ખેડલ	1.05
15	1	1			483/5	1.17	ખેડલ	1.17
16	1	1			476/1	2.10	ખેડલ	2.10
17	1	1			480/32	0.07	ખેડલ	0.07
18	1	1			481/3	0.15	ખેડલ	0.15
19	1	1			484/5	5.17	ખેડલ	0.17
20	1	1			488/5	2.17	ખેડલ	2.17
21	1	1			490/5	1.00	ખેડલ	1.00
ગ્રોગ					21	228.10		42.01

ઉપ વન સરક્ષક
 વાંસવાડા (રાજ)

ગ્રામ પંચાયત કેસરપુરા
 પં.સ. વાંસવાડા જિ. વાંસવાડા

ગ્રામ સેવક પદેન સચિવ
 ગ્રામ પંચાયત કેસરપુરા
 પં.સ. વાંસવાડા જિ. વાંસવાડા

SBI INSTA REMIT (RTGS)
Application Form FOR Customers

ANNEXURE - C

Date: 22nd August, 2023

Time of Request: _____ AM/PM

REQUEST OPTION: A (execution within 2 hours) ☐

B (execution within 4 hours) ☐

The Manager
State Bank of India,
V. S. Bhavan Branch,
Anushaktinagar, Mumbai - 094.

Please transfer Rs. 1,10,88,356/- (Rs. One Crore Ten Lakhs Eighty Eight Thousand Three Hundred and Fifty Six Only) under RTGS and debit the amount with your Current Account No. 10536132070. The details of remittance are as under:-

1. Name of Beneficiary:

DFO/PD ACCOUNTANT

2. Name of Beneficiary's Bank:

ICICI BANK LTD

3. Name of Branch of Beneficiary's Bank and Account No.

BANSWARA

3. b) Beneficiary's Bank Account No.: 689901701496

4. IFSC Code of Beneficiary Branch (To be filled by our Bank)

ICIC0006899

5. Amount of remittance:-

Rs. 1,10,88,356/- (Rs. One Crore Ten Lakhs Eighty Eight Thousand Three Hundred and Fifty Six Only)

6. Commission (To be filled by our Bank)

Rs. Nil

7. Total Amount to be Debited/Received from Customer

Rs. 1,10,88,356/-

8. Total Amount to be Debited/Received from Customer (In words)

Rs. One Crore Ten Lakhs Eighty Eight Thousand Three Hundred and Fifty Six Only

I agree that the credit to the beneficiary account shall be accorded on the next day if the beneficiary bank and beneficiary branch is closed on account of holiday. I hereby agree that the Bank will not be held responsible in any way for unexecuted RTGS Request for the reasons beyond the control of State Bank of India or Reserve Bank of India, or both.

FOR NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LTD.

AUTHORISED SIGNATORY

AUTHORISED SIGNATORY

Applicant Name: Nuclear Power Corporation of India Ltd.

Applicant's Account No.: SBI A/C NO. 10536132070

Telephone No.: Landline: 25991818

at B/O. V. S. Bhavan Branch

Mobile:

(Address of the Non-Customer Applicants must be recorded in this form against the name of the beneficiary at col. No. 1)

UTR No. (for office use)

ACKNOWLEDGMENT FOR CUSTOMER (To be cut from this perforated line and deliver to applicant)

Received from

उप वन संरक्षक
बांसवाडा (राज.)

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

Unpaid

: This icon shows that the payment yet to be made.

Challan Generated

: This icon shows that the challan has been generated.

Paid

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All

Bank Name : Mode of Payment :

Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/Others/22621/2016 [./viewreport.aspx?pid=FP/RJ/Others/22621/2015] Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4	OTHERS226212016395	12 May 2023	CA: 55660000/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 122920430/- Total : 178580430/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 22 Aug 2023 Transaction Date : 23 Aug 2023	Demand Letter [./writereaddata/Fundpdf/180820231526172508_FPRJOthers226212016_User_Fund_Demanded_M5022.pc] Generated Challan ([./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS226212016395])



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



Open Government Data (OGD) Platform India

MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

उप वन संरक्षक
बांसवाडा (राज.)

Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
FC Division, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bag Road, Aliganj, New Delhi - 110003

PUBLIC NOTICE

Government of India, Ministry of Environment & Forest and Climate Change, FC Division, Aliganj, New Delhi - 110003, vide order No. I/42901/2023 dated 12th May, 2023 has granted stage-I approval under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for Diversion of 100.05 ha. of forest land in favor of Nuclear Power Corporation of India Limited for "Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1to4" subject to fulfillment of the following conditions:


- i. Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.
- ii. The user agency shall utilize 27.47 ha forest land for operating stand and pipeline Corridors and remaining area of forest land i.e. 72.58 ha. will be maintained as Green Belt at the project cost under the supervision of state Forest Department. The state Forest Department. The State Forest Department shall be given free access to the area proposed for diversion for its management.
- iii. The minimum number for trees shall be felled and the felling shall be done under the supervision of State Forest Department.
- iv. User Agency Will not allow any direct discharge from the project site to the Dam Water.
- v. Since the Ghatol DFL site proposed for CA is situated on plateau, which is good grass land having heavy biotic pressure, this area should be properly fenced and plantation should be done after carrying out proper soil-moisture conservation (SMC) works.
- vi. **Compensatory Afforestation:**
 - a. The Compensatory Afforestation over the identified degraded forest land of 304 ha. in two patches located under Banswara district of Rajasthan shall be raised by the State Forest Department at the project cost. At least 1000 saplings per ha. shall be planted over identified CA land. If this is not possible to plant these many seedlings in the identified DFL, the balance seedlings, if any, will be planted in another degraded forest land as per the prescription of the Working Plan at the cost of the User Agency.
 - b. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
 - c. The KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the e- Green watch portal with all requisite details prior to Stage II approval.
- vii. The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 19.01.2022.
- viii. The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
- ix. The User Agency shall implement the R & R Plan as per the R&R policy of State Government in consonance with National R & R policy, Government of India before commencement of the project work and implementation. The said R&R plan will be monitored by the state government / Regional office of MOEF & CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.
- x. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in the account of National Authority only through e-portal (<https://parivesh.nic.in>). Amount deposited through other modes will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.
- xi. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by the State Govt.
- xii. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.
- xiii. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in>)
- xiv. At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.
- xv. The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.
- xvi. Adequate greenery by planting trees will be maintained around the project area in view of the safety measures for running the Atomic Power Project.
- xvii. No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;
- xviii. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- xix. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
- xx. The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of march every year regularly.
- xxi. Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of this Ministry May stipulate, with prior approval of competent authority, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- xxii. The User Agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to this project; and
- xxiii. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action Would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.

After receipt of compliance report on fulfillment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Sd/-

(Suneet Bhardwaj)

Assistant Inspector General of Forests



Registered Office: 'Trishul', 3rd floor, opposite Samartheshwar
Temple, Law garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

उप वन संरक्षक
बांसवाडा (राज.)

6

उदयपुर ■ 12 सितम्बर 2023 ■ मंगलवार

उत्तरा उद्योगों के लिए ही आवर्तन स
गासपुर में भूखण्डों की आरक्षित दर
नी गई है तथा कॉर्नर भूखण्ड के 10
भाग लेने के लिए रीको की वेबसाइट
सम्पर्क कर सकते हैं। अधिक
धक रीको, बांसावाड़ा के मोबाइल
कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, री
014393934 पर सम्पर्क व

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एफ.सी. दिवौजन, इन्दिरा पर्यावरण मन्त्र, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003

पञ्चसत्त्व, पञ्चगव्य और वन मंत्रावलि जैसी छात्राभ्यास परीक्षाओं, एकलौटी, विद्वान्, उद्योग, वन्य दिवसों-110003 से आगे बढ, अमृतमय, वन्य दिवसों-110003 के अन्तर्गत 2 वस्तु-पञ्चगव्य परीक्षा वार्षिकी और राष्ट्रीय ओपन स्पोर्ट्स दिवसों-110003 के अन्तर्गत 12 मई 2023 के माहान से वन (सकल) अभियन्ता 1980 को आनन्द-प्रदान किया है :-

- [illegible]

उपर्युक्तलिखित कक्षाओं की पूर्ति पर अनुसूचन निर्देश प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित वी.एस. (लिखन) अधिनियम, 1990 को धारा-2 के तहत जामिन अनुसूचन के तहत विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा जामिन मन्त्री के तहत एक दस सत्रों में इन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित होगा।

Sd/-
(सुनील भारद्वाज)
सहस्रक वन महाविद्यालय

श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्या
अतिथि ।

मतदाता पं के सेल

न्यूज सर्विस/नवज्योति, बांसवाडा

श्री गोविंद गुरु राजकीय
महाविद्यालय में इलेक्टोरल लिटरैस,
क्लब के तत्वाधान व स्वीप अधिकारि
के सानिध्य में मतदाता सूचियों के
विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के
तहत स्वीप कार्यशाला का आयोज
किया गया।

कार्यशाला में महाविद्यालय
मतदाता पंजीकरण तथा मत
जागरूकता के सेल्फी पॉइंट

जिला परिषद
साधारण सभा
की बैठक
आज

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023

- Sub :** Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.
- Ref :** 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xi)

It is to state here that application for Environmental Clearance of Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP) - 1 to 4 of Nuclear Power Corporation of India Ltd. has been submitted vide. F. No. J-14011/2/2014-IA-II (N) and it is under process at MoEF&CC. We hereby undertake that the Environmental Clearance will be obtained as per provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

ANNEXURE IC.1 : ToR FOR MBRAPP

F. No. J-14011/2/2014-IA-II (N)
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(I.A. Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi- 110 003

E-mail : pb.rastogi@nic.in
Telefax : 011-2436 2434

Dated: 5th June, 2014

To, ✓
Shri G.K. Sharma, Executive Director,
National Power Corporation of India Ltd.
Nabhikya Urja Bhavan, Anushaktinagar,
Mumbai – 400 094, Maharashtra
(E-mail: gksharma@npcil.co.in)

Subject: Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (4x700 MWe PHWR) at
District Banswara, Rajasthan by Nuclear Power Corporation of India Ltd.
(NPCIL) – reg.

Sir,


Kindly refer to your letter no. NPCIL/ED(NL)/Banswara/2014/M/17 dated 27th March, 2014 along with the application in prescribed format (Form-I) and Pre-feasibility Report regarding the above mentioned project.

2. The proposal for Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (4x700 MWe PHWR) at District Banswara, Rajasthan by Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) was considered in the 17th Meeting of the Expert Appraisal Committee (Nuclear) held at the Ministry of Environment & Forests, New Delhi on 6th May, 2014. A township is also proposed to be set up as part of this project. The proposal has, therefore, been considered as an integrated proposal.
3. Total project area is 623 ha for the project and 70 ha. for township & CISF Colony. 107.57 ha forest land is involved and have applied to State Govt. of Rajasthan for the approval of forest land vide application No. 311 on dated 24th February, 2014. M.P. State border is at 8 km. In-principle approval for setting up Nuclear Power Plant at Mahi-Banswara site has been accorded by the Department of Atomic Energy, GOI, vide letter No. 1/5 (5)/2010-Power/9100 dated 17th August, 2011. Pundia and Bunder rivers are at 2.5 and 9 kms. Total 2,307 people will be affected. No litigation case is in pending. Total estimated cost of the Stage-I will be Rs. 11,250.00 Crores and completion cost as Rs. 16,650.00 Crores (for 2 units only).
4. No conventional pollutants like SPM, SO₂, NO_x etc. will be generated by the nuclear plant. Total water requirement from Mahi-Bajajsagar Reservoir for the plant as well as township will be 782 MLD. No ground water will be used. A sewage treatment plant (STP) with 'zero' discharge will be provided for township at project area. Liquid effluent treatment plant will be installed. Radioactive liquid effluent will be treated to achieve AERB specifications before discharge. Radioactive solid waste will be segregated, conditioned, treated and stored as per AERB specifications in Near Surface Disposal Facility (NSDF) within exclusion zone boundary. A green belt will be developed in 33 % area. Rehabilitation and Resettlement (R&R) will be carried out as per recommendations of Rajasthan Government. ✓

ANNEXURE IC.1 : ToR FOR MBRAPP

5. Based on the presentation made, the Committee (Nuclear) prescribed the following TORs for undertaking detailed EIA study:

- i. A note on site selection should be included in the EIA report.
- ii. A copy of the site clearance accorded by the Atomic Energy Regulatory Board (AERB).
- iii. The data contained in the EIA report should be for the ultimate capacity of the plant.
- iv. All the corner coordinates of the plant site as well as the township with toposheet should be given.
- v. Distance between the boundary of two super critical thermal power plants at Wagatalab and Phephar and proposed nuclear power plant.
- vi. A copy of the application submitted to the State Government of Rajasthan for forest land approval. A note on follow-up of Ministry's OM No. J-11013/41/2006-IA.II (I) dated 9th September, 2011 and 18th May, 2012 regarding procedure to be followed where forest land is involved.
- vii. The impact of the project should include both terrestrial as well as aquatic components including sacred grooves and Bheels.
- viii. The study area should cover an area of 10 km radius around the proposed site for conventional pollutants and 30 km radius for radiological parameters.
- ix. Impact of 2 thermal power plants proposed within 10 km. on the nuclear power plant and vice versa should also be incorporated.
- x. Land use of the study area as well as the project area shall be given separately.
- xi. Location of any national park, sanctuary, elephant/tiger reserve (existing as well as proposed), migratory routes, biosphere reserve, heritage site, eco-sensitive areas, if any, within 10 km of the project site shall be specified and marked on the map duly authenticated by the Chief Wildlife Warden.
- xii. Documentary proof indicating that Mahi-Bajaj Sagar Reservoir is one of the important wetland of Rajasthan but does not fall under Ramsar Wetland site.
- xiii. Land requirement for the project along with usage for different purposes should be given. It should also give information relating to as well as details of township.
- xiv. The EIA report should also include the process details.
- xv. Design details of incinerator as per CPCB guidelines.
- xvi. Location of intake and outfall points (with coordinates) should be given.
- xvii. Topography of the area should be given clearly indicating whether the site requires any filling. If so, details of filling, quantity of fill material required, its source, transportation etc. should be given.
- xviii. Impact on drainage of the area and the surroundings should be given.
- xix. Information regarding surface hydrology and water regime and impact of the same, if any due to the project should be given.
- xx. One season site-specific meteorological data shall be provided. One complete season AAQ data (except monsoon) to be given along with the dates of monitoring for the purpose of the EIA report for obtaining environmental clearance; however, data collection should continue for the entire one year (three seasons). The parameters to be covered shall include PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂ and NO_x. Besides, conventional pollutants information on long lived radio nuclides and background natural radio activity, gross alpha and gross beta levels should also be given. Food chain sample matrix chosen for base line survey should include inter alia milk samples from the study area. The location of the monitoring stations should be so decided so as to take into consideration the pre-dominant downwind direction, population zone and sensitive receptors including reserved forests. There should be at least one monitoring station in the upwind direction. There should be at least one monitoring station in the pre dominant downwind direction at a location where maximum ground level concentration is likely to occur. Baseline data on noise levels may also be generated.
- xxi. Detailed biological study covering both terrestrial and aquatic environment should be carried out and details furnished in the EIA report.
- xxii. Impact of the project on the AAQ of the area. Details of the model used and the input data used for modeling should also be provided. The air quality contours may be plotted on a location map showing the location of project site, habitation nearby,


जिजायेंत राजी
उप वन स. वंशराज

ANNEXURE IC.1 : ToR FOR MBRAPP

- sensitive receptors, if any. The wind roses should also be shown on this map. Levels due to radioactive releases should also be predicted and radiation dose there from at the fence post should also be worked out.
- xxiii. Source of water and its availability. Commitment regarding availability of requisite quantity of water from the competent authority. Efforts should be made to reduce water consumption. Water balance cycle indicating clearly water intake, recycle/reuse in the process/green belt development and discharge. It may clearly be stated whether any groundwater is to be used in the project or township. If so, detailed hydro-geological study should be carried out. Otherwise, commitment that no ground water will be used for the project related activities and township.
 - xxiv. Details of rainwater harvesting during construction and operation phase.
 - xxv. Impact of the thermal discharge on the aquatic life should be studied in detail. In this regard, information from some existing operating units should also be given in terms of the thermal range which is normally achieved in such power plants.
 - xxvi. Modeling study should be carried out to determine the impact zone due to thermal discharge.
 - xxvii. Impact of the project on any other community, if any, should be clearly brought out in the EIA report along with necessary mitigation / safeguard measures.
 - xxviii. Details of water balance taking into account reuse and re-circulation of effluents.
 - xxix. Details of dredging involved, if any, and disposal / management of dredged material should be given in the report.
 - xxx. Details of green belt in 33 % area i.e. land with not less than 1500 trees per ha giving details of species, width of plantation, planning schedule etc.
 - xxxi. Detailed Rehabilitation and Resettlement (R&R) plan/compensation package in consonance with the National / State R&R Policy for the project affected people including that due to fuel transportation system/pipeline and their ROW, if any, shall be prepared taking into account the socio-economic status of the area, homestead oustees, land oustees, landless laborers. R & R plan should be as per LARR-2013.
 - xxxii. Details of flora and fauna duly authenticated should be provided.
 - xxxiii. Project involves scheduled fauna (Black buck and Chinkara) in the study area. Conservation plan should be prepared in consultation with State Wildlife Department and included.
 - xxxiv. Details regarding waste management, liquid and solid waste (conventional and radioactive) should be given in the EIA report.
 - xxxv. Details regarding storage and management of spent fuel should be given.
 - xxxvi. Details regarding storage of hazardous chemical including maximum inventory to be stored at any point of time should be given.
 - xxxvii. Detailed risk assessment and disaster management plan should be given. The risk contours may be plotted on location map. The impact of the highest high tide on the proposed facilities should also be discussed in the EIA report.
 - xxxviii. Issues relating to de-commissioning of the plant and the related environmental issues should be discussed.
 - xxxix. Demographic data of the study area as well as pre-project health survey of the population in study area around the project site should be collected.
 - xl. Detailed environmental management plan to mitigate the adverse environmental impacts due to the project should be given. It should also include possibility of use of solar energy for the project including measures for energy conservation.
 - xli. Details of post-project monitoring should also include in the EIA report.
 - xlii. Details regarding infrastructure facilities such as sanitation, fuel, rest room, medical facilities, safety during construction phase etc. to be provided to the labour force during construction as well as to the casual workers including truck drivers during operation phase.
 - xliii. Public hearing issues raised and commitment of the project proponent on the same. An action plan to address the issues raised during public hearing and the necessary allocation of funds for the same should be provided.
 - xliv. Measures of socio-economic influence to the local community proposed to be provided by project proponent. As far as possible, quantitative dimension to be given.

ANNEXURE IC.1 : ToR FOR MBRAPP

- xlv. Impact of the project on local infrastructure of the area such as road network and whether any additional infrastructure would need to be constructed and the agency responsible for the same with time frame particularly keeping in view the transportation of over sized consignments should be given.
- xlvi. EMP to mitigate the adverse impacts due to the project along with item-wise cost of its implementation.
- xlvi. Budget allocation for CSR activities and details of activities to be carried out.
- xlvi. Any litigation pending against the project and /or any direction /order passed by any Court of Law against the project, if so, details thereof.

TORs for township:

- i. A site plan showing the project site and its surroundings with physical features and topographical details, such as land use, contours and drainage pattern, along with photographs of the site from all four sides, shall be examined in detail.
- ii. If the site is low lying and will require extra earth, examine the quantity required and identify the area from where the earth will be borrowed and whether any permission will be required or not.
- iii. Examine in detail the proposed site with reference to impact on infrastructure covering water supply, storm water drainage, sewerage, power, etc., and the disposal of treated/ raw wastes from the complex on land/water body and into sewerage system.
- iv. Consider soil characteristics and permeability for rainwater harvesting proposals, which should be made with due safeguards for ground water quality. Maximize recycling of water and utilization of rainwater.
- v. Provision should be made for guard pond and other provisions for safety against failure in the operation of wastewater treatment facilities. Identify acceptable outfall for treated effluent.
- vi. Examine existing education and health facilities, police and other services and include adequate provisions in the proposal.
- vii. Study the existing flora and fauna of the area and the impact of the project on them.
- viii. Landscape plan, green belts and open spaces should be described.
- ix. Assess soil erosion in view of the soil characteristics, topography and rainfall pattern.
- x. Application of renewable energy/alternate energy, such as solar and wind energy may be described including solar water heating. Provide for conservation of resources, energy efficiency and use of renewable sources of energy in the light of ECBC code.
- xi. Arrangements for waste management may be described as also the common facilities for waste collection, treatment, recycling and disposal of all effluent, emission and refuse including MSW. Identification of recyclable wastes and waste utilization arrangements may be made.
- xii. Traffic management plan including parking and loading / unloading areas may be described. Traffic survey should be carried out both on weekdays and weekend.
- xiii. Use of local building materials should be described.
- xiv. Application of resettlement and rehabilitation policy may be described. Project affected persons should be identified and rehabilitation and resettlement plan should be prepared.
- xv. Examine separately the details for construction and operation phases both for Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan.
- xvi. Examine and prepare in detail the Disaster Management Plan and emergency Evacuation Plan for natural and manmade disasters like earthquakes, cyclones/flooding, Tsunami and terrorists attack.

Besides the above, the below mentioned points will also be followed:-

- a) All the information contained in various project documents should be rechecked and reconciled.
- b) All documents to be properly referenced with index, page numbers and continuous page numbering.

ANNEXURE IC.1 : ToR FOR MBRAPP

- c) Where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were collected and the sources should be indicated.

It was decided that TORs prescribed by the Expert Appraisal Committee (Nuclear) should be considered for preparation of draft EIA/EMP report for the above mentioned project in addition to all the relevant information as per the Generic Structure of EIA given in Appendix III and IIIA in the EIA Notification, 2006. The prescribed ToRs would be valid for a period of two years for submission of the EIA/EMP Reports. The draft EIA/EMP report should be submitted to Rajasthan State Pollution Control Board for conducting public hearing as per EIA Notification, 2006. The final EIA/EMP report alongwith Certificate of Accreditation issued by the QCI should be submitted to the Ministry for obtaining environmental clearance.



(Dr. P. B. Rastogi)
Director

Copy to:-

1. The Secretary, Department of Environment, Govt. of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan.
2. The Chairman, Rajasthan Pollution Control Board, 4, Jhalana Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur - 302 004, Rajasthan
3. The Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central), Ministry of Environment and Forests, Regional Office (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow - 226 024, Uttar Pradesh.
4. The Secretary, Department of Atomic Energy, Anushakti Bhawan, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Mumbai-400 001, Maharashtra
5. Guard File.



(Dr. P. B. Rastogi)
Director



जिगनेश शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

By Speed Post

F. No. J-14011/2/2014-IA-II (N)

**Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(IA Division)**

**Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110 003
Telefax: 011-24695327
E-Mail: rita.khanna@nic.in**

Dated ^{5th} 25 October, 2016

To,


Shri M Rama Somayajulu
Chief Engineer (HSE),
National Power Corporation of India Ltd.
Nabhikya Urja Bhavan, Anushaktinagar,
Mumbai - 400 094, Maharashtra


Subject: Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (4x700 MWe PHWR) at District Banswara, Rajasthan by Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) - reg. - Extension of validity of Terms of Reference (TOR)- reg.

Sir,

The undersigned is directed to refer to your communication no. NPCIL/CE(HSE)/MBRAPP/M/2016 dated 01.06.2016 with regard to extension of validity of the Terms of Reference (TOR) granted to the above mentioned project vide even no letter dated 05.06.2014 which was valid upto 04.06.2016.

2. The request was considered by the Expert Appraisal Committee for Nuclear, Defence and Related Projects in its 11th meeting held on 27th September, 2016. Based on the information furnished, discussions held and the Committee's recommendation the validity of Terms of Reference (TOR) is extended up to 04.06.2017.


**(Rita Khanna)
Scientist 'F'**


**जिगवेश शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा**

F. No. J-14011/2/2014-IA-II (N)

**Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(IA Division)**

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110 003
Telefax: 011-24695327
E-Mail: rita.khanna@nic.in

Dated 17th July, 2017

To,

Shri M Rama Somayajulu
Chief Engineer (HSE),
National Power Corporation of India Ltd.
Nabhikya Urja Bhavan, Anushaktinagar,
Mumbai – 400 094, Maharashtra

Subject: Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (4x700 MWe PHWR) at District Banswara, Rajasthan by Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) – reg. - Extension of validity of Terms of Reference (TOR)- reg.


Sir,


The undersigned is directed to refer to your communication no. NPCIL/AD(PHWR-P)/MBRAPP/M/2017 dated 01.07.2017 with regard to extension of validity of the Terms of Reference (TOR) granted to the above mentioned project vide even no letter dated 05.06.2014 which was valid upto 04.06.2017

2. The Ministry of Environment and Forests had issued TOR to above mentioned proposed project vide letter of even no. 5th June 2014. The validity period of TOR prescribed for this Project is till 4th June, 2017 as per the OM no J-11013/41/2006-IA-II(I).

3. The proposal was considered by the Expert Appraisal Committee in its 20th meeting held on 23rd June, 2017. Based on the information furnished and discussions held, the Committee recommended the extension of the validity of TOR for one year.

4. Based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change hereby extend the validity of TOR prescribed to the above mentioned project upto 04.06.2018.


(Rita Khanna)
Scientist 'F'


जिगेंद्र शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

F. No. J-14011/2/2014-IA.I(N)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(IA Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110 003
E-mail: shruti.rao@nic.in

Dated: 03 June, 2022

To,

Shri K K De
Executive Director (HS&E)
NPCIL, 12-N-21, Vikram Sarabai Bhavan
Anushaktinagar, Mumbai-400094
Tel: 022-25991250
E-mail: kkde@npcil.co.in

Subject: ENVIRONMENTAL CLEARANCE FOR MAHI BANSWARA RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT (MBRAPP) (4x700 MW PHWR) AT DISTRICT BANSWARA, RAJASTHAN BY NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LTD (NPCIL). Reg


This has reference to your communication dated 02.03.2022 regarding the project proposal pertaining to above cited subject. The proposal was considered during the 49th EAC (N&D) meeting held on 06th May, 2022.

2. Terms of Reference (ToR) for EIA/EMP of 4x700 MW PHWR Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP) at District Banswara, Rajasthan was approved by MoEF vide letter no. J-14011/212014-1A-II (N) dated 5th June, 2014. As per the above referred letter, the validity of ToR for MBRAPP was for two years, i.e. up to 4th June 2016. However, in light of the Ministry's OM dated 08.10.2014 and 07.11.2014, the validity of ToR was extended up to 04.06.2017 with approval EAC (N&D) in its 11th meeting held on 27.09.2016.

3. Again, upon the request from PP, the instant project was referred in 20th EAC (N&D) meeting held on 23rd June, 2017 and committee further extended the validity of ToR by one year i.e. up to 5th June, 2018. Thereafter, the PP has submitted the application for EC along with EIA/EMP report on 29th May, 2018 and the project was appraised by EAC (N&D) in its 33rd Meeting held on 30.07.2018.

4. On the basis of information submitted by the PP and detailed discussion held during aforesaid meeting, it was noted by the committee that the project involves


ENVIRONMENTAL CLEARANCE FOR MAHI BANSWARA RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT (MBRAPP) (4x700 MW PHWR) AT
DISTRICT BANSWARA, RAJASTHAN BY NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LTD (NPCIL)


जिगीशु शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

100.05 ha of forest land and PP has not obtained Stage-1 forest clearance. In this regard, PP was asked to submit requisite information as directed by the Ministry.

5. Response to above mentioned additional information sought by the Ministry in 2018 was received vide letter dated 02.03.2022. Responses submitted by NPCIL are as follows:


- i. Application for forest clearance has been approved by Nodal Officer, Rajasthan and is under consideration of State Government, Rajasthan.
- ii. 97% of private land and 100% government land has been transferred to NPCIL.
- iii. According to Rajasthan Electricity Authority the two thermal power projects in the vicinity of the MBRAPP are not coming up yet as the process have been held as per the directions of Govt. of Rajasthan. Hence, NPCIL is requesting to de-link the requirement of cumulative environmental impact study considering the uncertainty of these projects.
- iv. Application has been submitted to AERB for sitting consent. Application and associated information were reviewed for its adequacy by AERB. Response to queries raised by AERB is under preparation.

6. The EAC (N&D) noted that baseline data and public consultation of the proposed project was older than 3 years. As per Ministry's OM dated 29.09.2017, baseline data and public consultation should not be older than 3 years at the time of submission of proposal for EC. Furthermore, the said OM also specifies that if the proposal for EC is not submitted within the validity of period of ToR, the process shall be started *de novo*. Though NPCIL initially had applied for EC in 2018 i.e. during the validity period of ToR, the baseline data for this project, as mentioned in attached EIA Report and public consultation report is older than 3 years as of now. **The EAC (N&D) asked the PP to get the baseline data validated on the basis of at least one season data (pre-monsoon or post-monsoon) for one month. In addition, wrt to public hearing following was proposed by the committee:**

- a. PP shall carry out the socioeconomic profile study of the area around the project site and submit the comparative assessment wrt the period when public hearing was undertaken in past.
- b. The EIA/EMP report shall be uploaded on PP's website for 30 days for the purpose of stakeholder comment.
- c. PP shall again forward the copy of EIA/EMP report along with summary to (i) District Magistrate/District Collector/Deputy Commissioner; (ii) Zila Parishad or Municipal Corporation; (iii) District Industries Office; (iv) Urban Local Bodies (ULBs). The authorities shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdiction and share the comments received, if any; with the PP for appropriate consideration.
- d. The revised EIA/EMP report, taking into account the information available on the basis of above exercise, will be submitted to the Ministry for EC purpose.

7. Accordingly, the proposal was deferred.


8. On the basis of recommendation of the EAC (N&D), the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) hereby defer the proposal for want of requisite information as prescribed under the policy. The proposal may be re-submitted after fulfilment of the deficiencies as elucidated by EAC (N&D) (para 6 above).




Dr. Shruti Rai Bhardwaj)
Addl. Director/Scientist 'E'

Copy to:

1. The Chief Secretary, Government of Rajasthan, Government Secretariat, Jaipur-302005.
2. Secretary, Department of Atomic Energy, Anushakti Bhawan, CSM Marg, Mumbai-400001.
3. Chairman, Atomic Energy Regulatory Board, Niyamak Bhawan, Anushakti Nagar, Mumbai-400094.
4. CMD, NPCIL, Nabhikiya Urja Bhawan, Anushakti Nagar, Mumbai-400094.
5. The Additional Chief Secretary (Forest and Environment) Department, Govt. of Rajasthan, Vaniki Path, Near Secretariat, Jaipur-302005.
6. Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Env., Forest and Climate Change, Integrated Regional Office, A-209&218, Aranya Bhawan, Mahatma Gandhi Road, Jhalana Institutional Area, Jaipur - 302004, E-mail: iro.jaipur-mefcc@gov.in
7. The Chairman, Central Pollution Control Board Parivesh Bhavan, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi - 110 032. Email: ccb.cpcb@nic.in
8. The Chairman, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Jhalana Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004. E-mail: chairperson@rpcb.nic.in
9. Guard File/ Monitoring Cell



जिगनेश शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा





न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम / A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह. छोटी सरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)


NPCIL/MBRAPP/2023/


08.11.2023

- Sub :** Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.
- Ref :** 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (viii)

We hereby undertake that, R&R plan for Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4 of Nuclear Power Corporation of India Ltd., has been prepared as per R&R policy of state government in consonance with national R&R policy. Amount of R&R award has been deposited with state government and the same has been disbursed to all the beneficiaries. R&R colony for PAFs to be displaced is completely ready. We hereby also undertake that R&R plan as per R&R policy of state government in consonance with national R&R policy will be implemented prior to project implementation.


जिगेंद्र शर्मा
उप वन सहायक, बांसवाड़ा


(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer

Annexure-6



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023

- Sub :** Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.
- Ref :** 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xiii)

We hereby undertake to pay any additional payment of Net Present Value (NPV), if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/ 243

25.08.2023

- Sub :** Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.
- Ref :** 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xiv)

We hereby undertake that, felling of trees will be executed if it is unavoidable, under strict supervision of State Forest Department. We will explore the possibilities to translocate maximum number trees identified to fell.

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

Saraj Kumar Verma
25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Annexure-8



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023


Sub : Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.

Ref : 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xv)

We hereby undertake that, adequate greenery by planting trees will be maintained around Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP) - 1 to 4 area.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Annexure-9



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023

Sub : Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.

Ref : 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xvi)

We hereby undertake that, no labour camp will be established on the forest land within Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP) - 1 to 4. It will be ensured that labour and staff working at site are provided with alternate fuels.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer-
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Annexure-10



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023

- Sub :** Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.
- Ref :** 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xvii)

We hereby undertake that, the forest land will not be used for any purpose other than specified in the project proposal of Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP) - 1 to 4.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Annexure-11



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/ 243

25.08.2023

- Sub :** Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.
- Ref :** 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xviii)

We hereby undertake that, NPCIL will ensure that no damage is caused to the flora and fauna of the area adjoining to Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP) - 1 to 4.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243


25.08.2023

- Sub :** Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.
- Ref :** 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xix)

We hereby undertake that, NPCIL will submit regularly, annual self-compliance report to State Government, concerned Regional Office and Ministry by the end of March every year.


उप वन सरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Annexure-13



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023


Sub : Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.

Ref : 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xx)

We hereby undertake that, NPCIL will fulfil any other condition stipulated by concerned Integrated Regional Office of the Ministry with prior approval of the competent authority, which are in the interest of conservation of, protection and development of forests and wildlife.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023


Sub : Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.

Ref : 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xxi)

We hereby undertake that, NPCIL will comply all the provisions of all the acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable.


उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)


25.08.2023
(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Annexure-15



न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/243

25.08.2023

Sub : Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.

Ref : 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (xxii)

We hereby undertake that, violation of any of the conditions mentioned in in-principle / Stage-1 approval granted by MoEFCC, will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and we will be liable for any action as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project



न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited

(भारत सरकारका एक उद्यम) A Government of India Enterprise)

माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना

Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

NPCIL/MBRAPP/2023/

30.10.2023

Sub : Diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.

Ref : 1. Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016
2. In-Principle / Stage-1 Approval vide No. I/42901/2023 dtd. 12.05.2023

UNDERTAKING FOR SR. NO. 2 (ix)

Activities regarding Environmental Clearance (EC) in chronological order :

- NPCIL submitted application for EC to MoEF&CC vide letter No. NPCIL / ED(NL) / Banswara/ 2014 / 17 dtd. 27.03.2014. (F. No. J-14011/2/2014-IA-II (N))
- Terms of Reference (ToRs) approved in 17th meeting of EAC(Nuclear) held at MoEF&CC, New Delhi on 06.05.2014. Approval letter for ToRs issued on 05.06.2014 with validity of 2 years.
- NPCIL requested MoEF&CC to extend validity of ToRs. The request was considered by EAC(Nuclear) and granted extension up to 04.06.2017 in 11th meeting held on 27.09.2016.
- NPCIL requested MoEF&CC to extend validity of ToRs. The request was considered by EAC(Nuclear) and granted extension up to 04.06.2018 in 20th meeting held on 23.06.2017.
- NPCIL submitted application for EC along with EIA/EMP report on 29.05.2018 and the project was appraised by EAC(Nuclear) in its 33rd meeting held on 30.07.2018.
- In the 49th meeting of EAC(Nuclear) dtd. 06.05.2022, it was asked to NPCIL to get the baseline data validated on the basis of at least one season for one month.
- NPCIL conducted additional baseline data collection during March-2023 and draft EIA/EMP reports have been prepared. The report is being submitted to MoEF&CC.

We hereby undertake that the Environmental Clearance will be obtained as per provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

जिगनेश शर्मा
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer